



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए  
भारतीय रेलवे में अपशिष्ट प्रबंधन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (रेलवे)  
निष्पादन लेखापरीक्षा  
2022 की संख्या 16



# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन

को लोकसभा/राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया

**संघ सरकार (रेलवे)**

निष्पादन लेखापरीक्षा

2022 की संख्या 16



## विषय सूची

विवरण	पैरा संख्या	पृष्ठ
प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षर		
प्राक्कथन		
कार्यकारी सार		i से iii
<b>अध्याय-1: प्रस्तावना</b>		
संगठनात्मक ढांचा	1.1	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	3
लेखापरीक्षा मापदंड	1.3	3
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	3
नमूना चयन	1.5	4
मंत्रालय की प्रतिक्रिया	1.6	5
अभिस्वीकृति	1.7	5
<b>अध्याय-2: रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो पर अपशिष्ट प्रबंधन</b>		
ईएनएचएम विंग की स्थापना	2.1	7
बजट आवंटन और व्यय	2.1.1	9
जवाबदेह सत्वों का गठन	2.2	10
उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और इसका उचित प्रबंधन	2.3	11
स्टेशनों पर नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन	2.4	12
एनजीटी के आदेश के अनुसार 37 चिन्हित प्रमुख स्टेशन पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना	2.5	14
37 स्टेशनों (720 स्टेशनों का शेष) के अलावा अन्य पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना	2.6	16
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई योग्य बिंदु पर प्रगति	2.7	17
सीएसआर पहल के माध्यम से रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए प्रयास	2.8	20

स्टेशनों पर खानपान इकाइयों द्वारा और ओबीएचएस के तहत आने वाली ट्रेनों से उत्पन्न अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण	2.9	21
स्टेशनों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्धारण और संग्रह/पृथक्करण	2.10	22
नगर निगम ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और अलग संचय	2.11	24
ठोस अपशिष्ट का परिवहन और निपटान	2.11.1	26
ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सुविधाएं	2.11.2	27
निष्कर्ष	2.12	28
सिफारिशें	2.13	29
<b>अध्याय-3: रेलवे कार्यशालाओं, रखरखाव शेड कोचिंग डिपो और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन</b>		
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित करने के लिए सहमति (सीटीई) या परिचालन हेतु सहमति (सीएफओ)	3.1	31
खतरनाक और अन्य अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार	3.2	32
एफ्लुएंट और खतरनाक अपशिष्ट के संचालन के लिए एसपीसीबीसे प्राधिकार में विलम्ब-	3.3	32
पर्यावरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना	3.4	33
खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए अभिलेखों का रखरखाव	3.5	34
अनुमेय अवधि के बाद खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण	3.6	35
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)/ग्रीन रेटिंग प्रमाणन	3.7	36
निष्कर्ष	3.8	37
सिफारिशें	3.9	38

<b>अध्याय-4: रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट जल का प्रबंधन</b>		
एफ्लुएंट/सीवेज उपचार संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी) का प्रावधान/योजना बनाना, चालू करना और कार्यचालन	4.1	39
स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी से निस्तारण किए गए एफ्लुएंट/कीचड़ का विश्लेषण	4.2	41
जल पुनःचक्रण संयंत्रों (डब्ल्यूआरपी) का प्रावधान	4.3	42
कोचिंग डिपो और कार शेड में स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) का प्रावधान	4.4	42
पर्यावरण संबंधी कार्यों (इआरडब्ल्यू) के लिए सृजित निधियों से संस्वीकृत अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति	4.5	43
निष्कर्ष	4.6	45
सिफारिशें	4.7	46
<b>अध्याय-5: रेलवे अस्पतालों में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन</b>		
जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण	5.1	47
जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण के नवीकरण में विलम्ब होना/ जारी न करना	5.2	48
जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए अस्पतालों में अवसरचना का निर्माण	5.3	49
भंडारण से पहले जैविक अपशिष्ट का पूर्व-उपचार	5.4	50
द्रव रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण और पूर्व-उपचार	5.5	51
जैविक अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) के लिए उचित भंडारण सुविधा	5.6	51
जैविक अपशिष्ट के निपटान के लिए बीएमडब्ल्यू नियमावली के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन	5.7	53
अस्पताल स्तर पर जैविक अपशिष्ट का निपटान	5.8	54

बीएमडब्ल्यू नियमावली के तहत आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट की गैर-प्रस्तुति	5.9	55
जैविक अपशिष्ट का संचालन करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रशिक्षण	5.10	56
जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था की मौजूदगी	5.11	57
निष्कर्ष	5.12	58
सिफारिशें	5.13	59
<b>अध्याय-6: ई-अपशिष्ट का प्रबंधन</b>		
ई-अपशिष्ट के संचालन के लिए समेकित निर्देशों और प्रशिक्षण की अनुपस्थिति	6.1	61
एसपीसीबी को निर्धारित प्रपत्र 3 प्रस्तुत करना	6.2	62
स्वीकार्य सीमा से अधिक ई-अपशिष्ट का भंडारण	6.3	63
निष्कर्ष	6.4	63
सिफारिश	6.5	64
<b>अनुलग्नक</b>		<b>65-145</b>

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षर

एसीडब्ल्यूपी	आटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट
एडीआरएम	अपर मंडल रेल प्रबंधक
एईसी एकट	परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
एजीएम	अपर महाप्रबंधक
एटीएन	की गई कार्रवाई टिप्पणी
बैटरीज़ रूल्स	दि बैटरीज़ (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2001
बीएलडब्ल्यू	बनारस लोकोमोटिव वर्कस
बीएमडब्ल्यू रूल्स	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016
बीओओ	बिल्ड, आउन एंड आपरेट
सी एंड डब्ल्यू	कैरेज एंड वेगन
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीसीटीवी	क्लोज़ड सर्किट टेलीविज़न
सीडीओ	कोचिंग डिपो ऑफिस
सीई	सिविल इंजीनियरिंग
सीईईडब्ल्यू	काउंसिल आनएनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर
सीईएनएचएम	चीफ एनवायरनमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजर
सीएफओ	परिचालन हेतु सहमति
सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ	कामन हज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट सप्लाई एंड डिसपोज़ल
सीएमई	चीफ मकेनिकल इंजीनियर
सीपीसीबी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीआरबी	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
सीएसआर	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
सीटीई	स्थापित करने के लिए सहमति
डीईएमयू	डीज़ल-इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
डीईएनएचएम	डिवीज़नल एनवायरनमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजर
डीजी सैटस	डीज़ल जेनरेटर सैट
डीएलएस	डीज़ल लोको शेड
डीएलडब्ल्यू	डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस
डीएमडब्ल्यू	डीज़ललोको माडर्नाइजेशनवर्कस
डीआरएम	डिवीज़नल रेलवे मैनेजर
ईबीआर (आईएफ)	अतिरिक्त-बजटीय संसाधन (सांस्थानिक निधियन)

ईडी	कार्यकारी निदेशक
ईडीपी	इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग
ईएलएस	इलेक्ट्रिक लोको शेड
ईएमएस	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
ईएनएचएम	एनवायरनमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट
ईपी एक्ट	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
ईपी रूल्स	पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986
ईआरडब्ल्यू	पर्यावरण सम्बन्धी निर्माणकार्य
ईटीपी	एफ्लुएंट्स ट्रीटमेंट प्लांट
ई-अपशिष्ट	इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट
ई डब्ल्यूएम	ई-अपशिष्ट प्रबंधन
ई डब्ल्यूएम रूल्स	ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016
एफओबी	फुट ओवरब्रिज
जीएम	महाप्रबंधक
जीपीएस	ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम
जीएसडी	जनरल स्क्रेप डिपो
एचडब्ल्यूएम	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन
एचडब्ल्यूएम रूल्स	दि हज़ार्डस एंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) रूल्स, 2016
आईसीएफ	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
आईएमएस	एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली
आईआर	भारतीय रेल
आईआरसीटीसी	भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेपीओ	संयुक्त क्रियाविधिक आदेश
केजी	किलोग्राम
केएलडी	किलोलीटर प्रतिदिन
एलबी	स्थानीय निकाय
एमसीएफ	मार्डन कोच फैक्टरी
एमई	मकेनिकल इंजीनियरिंग
एमईएमयू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट

एमओईएफ सीसी	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओपी	निष्पादन के माप
एमओयू	समझौता जापन
एमआरएफ	मेटीरियल रिकवरी फेसिलिटी
एमएसडब्ल्यू	शहरी ठोस अपशिष्ट
एमएसडब्ल्यू रूल्स	शहरी ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2000
एमटी	मीट्रिक टन
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनआईआर	भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
ओए	ओरिजनल एप्लीकेशन
ओबीएचएस	ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज
ओएचएसएस	आकुपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सर्विस
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीबीसीएम	प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन
पीसीसी	प्रदूषण नियंत्रण समिति
पीसीएमई	प्रिंसीपल चीफ मकेनिकल इंजीनियर
पीईडी	प्रधान कार्यकारी निदेशक
पीआरएस	यात्री आरक्षण प्रणाली
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीयू	उत्पादन इकाई
आरबी	रेलवे बोर्ड
आरसीएफ	रेल कोच फैक्टरी
आरआईटीईएस	रेल इंडिया टेकनीकल एंड इकनामिक सर्विस
आरडब्ल्यूएच	रेन वाटर हार्वेस्टिंग
आरडब्ल्यूपी	रेल व्हील प्लांट
एसएंडटी	संकेत और दूरसंचार
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीनियर डीएमई	सीनियर डिवीज़नल मकेनिकल इंजीनियर
एसटीपी	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
एसडब्ल्यूएम	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
एसडब्ल्यूएम रूल्स	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016
टीपीडी	टन प्रतिदिन

टीआईएम	ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी
टीएसडीएफ	उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा
टी.वी.	टेलीविज़न
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूटीएस	अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली
वाटर एक्ट	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
डब्ल्यूबीपीसीबी	पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआरपी	वाटर रीसाइकलिंग प्लांट
एक्सईएनएचएम	एक्सीक्यूटिव एनवायरनमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजर
जेडआर	जोनल रेलवे

### प्रतिवेदन में जोनल रेलवे के लिए प्रयुक्त संकेताक्षर

मरे	मध्य रेलवे
पूरे	पूर्व रेलवे
पूमरे	पूर्व मध्य रेलवे
पूतरे	पूर्व तटीय रेलवे
उरे	उत्तर रेलवे
उमरे	उत्तर मध्य रेलवे
उपूरे	उत्तर पूर्व रेलवे
पूसीरे	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
उपरे	उत्तर पश्चिम रेलवे
दरे	दक्षिण रेलवे
दमरे	दक्षिण मध्य रेलवे
दपूरे	दक्षिण पूर्व रेलवे
दपूमरे	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
दपरे	दक्षिण पश्चिम रेलवे
पमरे	पश्चिम मध्य रेलवे
परे	पश्चिम रेलवे
आरपीयू	रेलवे उत्पादन इकाई

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन' के मामले पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरण वे हैं जो अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गयी है।



## कार्यकारी सार

अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान से जुड़ी एक प्रक्रिया है। भारतीय रेल में कचरे के मुख्य स्रोत हैं:

- **मुख्य गतिविधियों से अपशिष्ट** - यात्री और माल ढुलाई, पैकेजिंग, प्लास्टिक और कागज का कचरा, खाद्य अपशिष्ट, मानव मल और
- **गैर-प्रमुख गतिविधियों से अपशिष्ट** - मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों (कार्यशालाओं और शेडों में) से उत्पन्न होने वाले तरल और ठोस रूप में संस्थागत अपशिष्ट।

यह रिपोर्ट "भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन" के ऑडिट के परिणाम प्रस्तुत करती है और स्टेशनों, कोचिंग डिपो, रखरखाव और उत्पादन इकाइयों और अस्पतालों में उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के पहलुओं को शामिल करती है। साथ ही इस रिपोर्ट में ई-कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट में उनके विभिन्न आदेशों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन भी शामिल है। **प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:-**

- स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी के साथ कोई अलग प्राधिकरण को अपशिष्ट प्रबंधन कार्य नहीं सौंपा गया था और साथ ही विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई सीमांकित निधि आवंटन नहीं था।

### (पैरा 1.2 - पृष्ठ 3 और पैरा 2.1.1 - पृष्ठ 9)

- अगस्त 2015 में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश जारी करने के बावजूद मरे, पूरे, उरे और उपूसीरे के 11 मंडलों में पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन (इएनएचएम) विंग का गठन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 109 में से 59 स्टेशनों में, सहमति प्राप्त करने के लिए एनजीटी के निर्देश संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से स्थापना (सीटीई) का अनुपालन नहीं किया गया था (31 जुलाई 2021 तक)

### (पैरा 2.1 - पृष्ठ 7 और पैरा 2.4 - पृष्ठ 12)

- 720 प्रमुख स्टेशनों के पांच प्रतिशत (36) पर अपशिष्ट प्रबंधन की उचित निगरानी के लिए 24 सत्यापन योग्य संकेतकों के कार्यान्वयन के लिए एनजीटी के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। 65 अन्य स्टेशनों में, सत्यापन योग्य संकेतकों के कार्यान्वयन में गंभीरता की कमी देखी गई।

### (पैरा 2.5 - पृष्ठ 14 और पैरा 2.6 - पृष्ठ 16)

- ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस) के साथ पेंटी कारों और ट्रेनों से एकत्र किए गए अलग-अलग कचरे को ऑडिट के लिए चुने गए 109 स्टेशनों में से 49 स्टेशनों पर सुरक्षित बैग में नहीं उतारा गया था। इन 49 स्टेशनों में से 42 में, पेंटी कारों या ओबीएचएस ट्रेनों से एकत्र किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग इस्टबिन में नहीं डाला गया था।

### (पैरा 2.9 - पृष्ठ 21)

- उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का आकलन 71 स्टेशनों पर नहीं किया गया था और 109 स्टेशनों में से 26 कोचिंग डिपो और 30 कोचिंग डिपो को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। योजना के अनुसार प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन (पीबीसीएम) की स्थापना न करना और 90 स्टेशनों और 25 कोचिंग डिपो में 'केवल प्लास्टिक बिन' के प्रावधान का अभाव महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रयासों की कमी को दर्शाता है।

(पैरा 2.10 - पृष्ठ 22)

- बायो-डिग्रेडेबल और नॉन-बायो-ग्रेडेबल कचरे को अलग करने की मूल शर्त सुनिश्चित नहीं की गई थी। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की सुविधाएं जैसे गीला कचरा प्रसंस्करण, सामग्री वसूली सुविधा, खाद संयंत्र का प्रावधान, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्रों के 70 प्रतिशत स्टेशनों और 90 प्रतिशत कोचिंग यार्डों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(पैरा 2.11.2 - पृष्ठ 27)

- चयनित 131 (30 कोचिंग डिपो सहित) में से 40 इकाइयों के संबंध में एसपीसीबी का प्राधिकरण प्राप्त करने में गंभीरता का अभाव देखा गया था। इसके अलावा, 102 इकाइयों (चयनित 131 में से) में खतरनाक कचरे के भंडारण और लेबलिंग के लिए निर्धारित नियमों का पालन न करना पर्यावरण और इन इकाइयों में लगे लोगों के लिए एक संभावित खतरा बना रहा।

(पैरा 3.5 - पृष्ठ 34)

- लेखापरीक्षा ने चयनित 102 प्रमुख स्टेशनों, 30 कोचिंग डिपो और 101 कार्यशाला/शेड/उत्पादन पर स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट (एसीडब्ल्यूपी) और जल पुनर्चक्रण संयंत्रों (डब्ल्यूआरपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल के प्रबंधन और पानी के उपयोग में कमी के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावकारिता की जांच की। इकाइयां बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र/सीवेज उपचार संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी), हालांकि 19 प्रमुख कोचिंग डिपो और 40 कार्यशालाओं में चालू करने की योजना बनाई गई थी, मार्च 2020 तक चालू नहीं किए गए थे। 86 स्टेशनों पर डब्ल्यूआरपी प्रदान नहीं किए गए थे। स्वीकृत 63 में से 43 स्थानों पर एसीडब्ल्यूपी की स्थापना मार्च 2020 तक बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई थी।

(पैरा 4.1 - पृष्ठ 39, पैरा 4.3 - पृष्ठ 42 और पैरा 4.4 - पृष्ठ 42)

- लेखापरीक्षा हेतु चयनित 72 चिकित्सालयों में से 46 चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भण्डारण हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली के संदर्भ में सुरक्षित कक्ष का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अलावा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए अपेक्षित उपकरणों के अभाव में, 15 अस्पतालों ने विभागीय रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए अपशिष्ट निपटान का प्रबंधन किया। जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के निगरानी तंत्र की निगरानी के लिए 52 अस्पतालों में समीक्षा एवं निगरानी समिति मौजूद नहीं थी।

(पैरा 5.3 - पृष्ठ 49 और पैरा 5.11 - पृष्ठ 57)

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली में यथा निर्धारित श्रेणीवार ई-अपशिष्ट के उत्पादन के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए चयनित 86 ई.डी.पी. केन्द्रों तथा 32 पी.आर.एस. इकाइयों/स्क्रेप डिपो में से 86 इकाइयों (ईडीपी/पीआरएस/यूटीएस/जीएसडी) में अनुरक्षित नहीं किया गया था।

(पैरा 6.2 - पृष्ठ 62)

## सिफारिशों का सार

- भारतीय रेल को अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए एनजीटी के निर्देशानुसार जोनल और डिवीजन स्तर पर इएनएचएम विंग के गठन और जवाबदेह संस्थाओं के गठन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आईआर को विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निधि आवंटन और जिम्मेदारियों के लिए स्पष्ट भूमिका परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, भारतीय रेल को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- भारतीय रेल को आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सुनिश्चित करने और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए रखरखाव और उत्पादन इकाइयों में लगे कार्यबल को संवेदनशील बनाने के उपाय शुरू करने की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरे से बचा जा सके।
- भारतीय रेल की जल नीति के तहत जल संरक्षण के लिए बनाए गए ईटीपी/एसटीपी, जल पुनर्चक्रण संयंत्र, स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र जैसे कार्यों के शीघ्र पूरा होने की निगरानी के लिए भारतीय रेल को एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- भारतीय रेल को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, संग्रहण, पूर्व-उपचार, पृथक्करण, भंडारण और निपटान के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- भारतीय रेल को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र तैयार करने के अलावा ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए उपाय शुरू करने की आवश्यकता है।



भारतीय रेल (भा.रे.) एक विशाल नेटवर्क है जो यात्रियों, विक्रेताओं, खानपान इकाइयों, हॉकर्स, रेलवे अस्पतालों, कार्यशालाओं, शेड, उत्पादन इकाइयों आदि जैसे विविध स्रोतों से भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करता है। अपशिष्ट के मुख्य स्रोत मूल गतिविधिया से उत्पन्न अपशिष्ट है जैसे यात्री आवागमन और माल ढुलाई, पैकेजिंग, प्लास्टिक और कागज के अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट और मानव मल<sup>1</sup> और गैर-मूल गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों (कार्यशालाओं और शेड में) से उत्पन्न होने वाले संस्थागत अपशिष्ट और ऐसी गैर-मूल गतिविधियों में, तरल या ठोस रूप में उत्पन्न अपशिष्ट। इसके अलावा, अपशिष्ट की अन्य श्रेणियां जैसे अस्पतालों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक माल वाले अंत जीवन उत्पाद शामिल हैं, जिनकी भारतीय रेल द्वारा संचालन और निपटान की आवश्यकता होती है।

रेलवे प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा<sup>2</sup> और प्रकार को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा अपशिष्ट की सफाई, संग्रहण, पृथक्करण (प्लास्टिक अपशिष्ट सहित) और निपटान के लिए बड़ी संख्या में संविदा प्रदान की जाती हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत भारत सरकार के सफाई और स्वच्छता अभियान का अनुसरण करते हुए रेलवे बोर्ड ने 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने विभिन्न आदेशों<sup>3</sup> में रेल प्रशासन को पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियमों और नियमों के पालन के लिए भी निर्देश दिया था। इस पृष्ठभूमि में, अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भारतीय रेल के प्रयासों की प्रभावकारिता एवं दक्षता की समीक्षा की गयी है।

<sup>1</sup> "भारतीय रेल में यात्री कोचों में जैव शौचालयों को शामिल करने" पर 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 36 में स्टेशनों, पटरियों और ट्रेनों में मानव मल (जैविक अपशिष्ट) के पहलू को शामिल किया गया है।

<sup>2</sup> भारतीय रेल द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट (ठोस या अपशिष्ट जल) की मात्रा पर किसी केंद्रीकृत डेटा का रखरखाव नहीं किया गया है। जैसाकि भारतीय रेल द्वारा 2015 में भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (NAIR) द्वारा तैयार की गई "भारतीय रेल में स्वच्छता" पर रिपोर्ट में कहा गया है। 2014 में लोक लेखा समिति (PAC) की तीसरी रिपोर्ट में भी इस बात को उजागर किया गया था। तथापि, ऊर्जा, पर्यावरण और जल पर एक स्वतंत्र एजेंसी परिषद (CEEW) द्वारा जून, 2016 में किए गए विश्लेषण के अनुसार भारतीय रेल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लगभग 670 टन प्रतिदिन (टीपीडी) ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसी प्रकार, इस विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि केवल पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय खंड में प्रतिदिन लगभग 22.11 मिलियन लीटर पानी की खपत होती है।

<sup>3</sup> 2014 की OA संख्या 141 में NGT के आदेश दिनांक 18.03.2015, 01.10.2018, 22.01.2019, 26.03.2019, 04.12.2019 और 18.08.2020

भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन के पहलू पर पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट<sup>4</sup> में भी समीक्षा की गई थी और उस पर टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी इस पर विचार-विमर्श किया है और समय-समय पर पीएसी ने अपनी चार लेखापरीक्षा रिपोर्टों विशेष रूप से 2008-09 की रिपोर्ट संख्या 83, 2009-10 की 21, 2014-15 की 3 और 2015-16 की 38 में अपनी सिफारिशें दी हैं।

## 1.1 संगठनात्मक ढांचा

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रेलवे बोर्ड में पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन (इएनएचएम) निदेशालय की स्थापना (अप्रैल 2015) की। पर्यावरण से संबंधित कार्यों में जल संरक्षण, सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे, जल कुशल जुड़नार और निर्माण और रखरखाव के दौरान वायु और जल प्रदूषण को कम करने के उपाय आदि जैसे कार्य शामिल थे।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में पर्यावरण और हाउसकीपिंग मैनेजमेंट (इएनएचएम) निदेशालय सदस्य, कर्षण और चल स्टॉक के नियंत्रण एवं प्रधान कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत हैं। प्रधान कार्यकारी निदेशक को कार्यकारी निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर भी पर्यावरण और हाउसकीपिंग मैनेजमेंट (इएनएचएम) शाखा स्थापित की जाती हैं जो महाप्रबंधक के नियंत्रण में होती हैं इसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य अभियांत्रिक अभियंता द्वारा की जाती है और मण्डल रेलवे स्तर पर इसका नियंत्रण मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा किया जाता है और डिविजिनल पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग मैनेजर, वरिष्ठ डिविजिनल मैकानिकल इंजीनियर के नियंत्रण में होता है। इसी प्रकार की व्यवस्था उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं में भी उपलब्ध है। उत्पादन इकाइयों, कार्यशालाओं और अस्पतालों के संबंध में, उनके इकाई प्रमुख अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं।

रेलवे बोर्ड, जोनल और डिवीज़न स्तर पर पदानुक्रम को दर्शाने वाला संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1.1** में दिया गया है।

<sup>4</sup> 'भारतीय रेल में सफाई और स्वच्छता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा (रिपोर्ट संख्या 06/2007); "भारतीय रेल में पर्यावरण प्रबंधन"; स्टेशनों, "ट्रेनों और पटरियों पर कवरेज" पर निष्पादन लेखा परीक्षा (रिपोर्ट संख्या 21/2012); कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों को कवर करना (रिपोर्ट संख्या 23/2014); भारतीय रेल में अस्पताल प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2014 में जारी की गई थी (रिपोर्ट संख्या 28/2014) और 'भारतीय रेल में यात्री कोचों में जैव शौचालयों को शामिल करने' पर एक अन्य रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी (2017 की रिपोर्ट संख्या 36)।

## 1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से की गई है कि क्या विभिन्न गतिविधि केंद्रों पर उत्पन्न अपशिष्ट का उचित निर्धारण, प्रबंधन और निपटान लागू विधियों और नियमों<sup>5</sup> के अनुसार किया जाता है। लेखापरीक्षा उद्देश्य में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया है:-

1. रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो में उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान।
2. रेलवे वर्कशॉप, मेंटेनेंस शेड और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान।
3. सीवेज और अपशिष्ट संयंत्र का उपचार, पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट जल का प्रबंधन और स्वचालित कोच धोने के माध्यम से उत्पादन में कमी।
4. रेलवे अस्पतालों (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट) में उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान।
5. रेलवे प्रतिष्ठानों में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान।

## 1.3 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों और आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं (अनुलग्नक 1.2), पर्यावरण संरक्षण, वायु और जल प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा और ई-अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नीतियों के तहत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर की गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अध्ययन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SBCBs) और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया था।

## 1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित नीतियों और प्रणालियों, क्रियाविधियों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता का निर्धारण शामिल है और इस पूर्ण चक्र में पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रोकथाम/रखरखाव, पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण से प्रारम्भ होकर रिकवरी/उपचार और निपटान शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित पहलुओं का निर्धारण दिनांक

<sup>5</sup> राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों सहित लागू विधियाँ और नियम।

18.08.2020 के इसके आदेश विशेष रूप से स्थापित करने के लिए सहमति और परिचालन के लिए सहमति को जारी करने के संबंध में 31.03.2021 तक की अवधि के लिए किया गया; इस विशिष्ट पहलू को 31 जुलाई 2021 तक आगे अद्यतित किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति, रेलवे बोर्ड, जोनल/डिवीज़न मुख्यालयों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, लोको शेड, मेमू/डेमू/कार शेड, अस्पतालों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) और यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) केंद्रों आदि सहित उत्पादन इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में अभिलेखों की जांच समीक्षा पर आधारित थी। इसके अलावा रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया और अपशिष्ट प्रबंधन के पहलू पर जानकारी एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

## 1.5 नमूना चयन

विभिन्न गतिविधि केंद्रों में से चयनित नमूना नीचे तालिका 1.1 में दिखाया गया है। नमूना चयन का आधार अनुलग्नक 1.3 में विस्तृत है।

तालिका 1.1 - लेखापरीक्षा अध्ययन के लिए चयनित नमूने का विवरण  
{अनुलग्नक 1.4 से अनुलग्नक 1.7 में विवरण}

क्र सं	गतिविधि केंद्र	इकाइयां (संख्या में)
1	ए 1 श्रेणी के स्टेशन	45
1(क)	ए और बी श्रेणी के स्टेशन	59
1(ख)	सी श्रेणी के स्टेशन (आरपीयू और मेट्रो रेल)	5
2	प्रमुख कोचिंग डिपो	30
3	मैकेनिकल वर्कशॉप	23
4	सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप	08
5	सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप	10
6	डीजल/इलेक्ट्रिक लोको शेड	33
7	ईएमयू/मेमू/डेमू/कार शेड	19
8	उत्पादन इकाइयां	08
9	सेंट्रल हॉस्पिटल और सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल	23
10	मंडलीय अस्पताल/उप-मंडलीय/कार्यशाला अस्पताल	49
11	ईडीपी/पीआरएस/यूटीएस/जीएसडी	86

## 1.6 मंत्रालय की प्रतिक्रिया

16 नवंबर 2021 को रेल मंत्रालय को अनंतिम रिपोर्ट जारी की गई थी; प्राप्त उत्तर (मई 2022) को उपयुक्त प्रतिउत्तर के साथ में रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 17 दिसंबर 2021 को रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एग्जिट कांफ्रेंस हुई।

## 1.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा द्वारा रेल मंत्रालय के साथ-साथ जोनल रेलवे में संबंधित विभिन्न निदेशालयों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा करने में दिए गए सहयोग और सहायता को स्वीकार किया गया है।



## रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो पर अपशिष्ट प्रबंधन

### लेखापरीक्षा उद्देश्य 1

*क्या रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो पर उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान लागू कानूनों और नियमों के अनुसार किया गया*

स्टेशनों पर उत्पन्न भारी मात्रा में अपशिष्ट/कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इसके निर्धारण, पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण और निपटान के लिए निरंतर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संविधि के अधीन निर्मित नियमों (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल अधिनियम, 1974), SPCB/CPCB और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा जारी निर्देशों, लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन इस संबंध में होना जरूरी है। लेखापरीक्षा में निर्धारण किए गए स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो में अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में रेलवे की प्रभावकारिता और दक्षता के परिणाम आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

### 2.1 इएनएचएम विंग की स्थापना

लोक लेखा समिति (पीएसी)-चौदहवीं लोकसभा ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी (फरवरी, 2009) कि रेल मंत्रालय को समन्वयन प्रयासों को मजबूत करना चाहिए और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन पर एक मजबूत नीति तैयार करने के लिए शीर्ष स्तर पर एक संस्थागत तंत्र बनाना चाहिए। तदनुसार, रेलवे बोर्ड में कार्यालय आदेश संख्या 28/2015 दिनांक 07.04.2015 द्वारा पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन (इएनएचएम) निदेशालय स्थापित किया गया। इसके बाद, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे (अगस्त 2015) को जोनल कार्यालयों के साथ-साथ डिविजनों में इएनएचएम विंग स्थापित करने का निर्देश दिया।

रेलवे बोर्ड के परिपत्र (अगस्त 2015) में जोनल/मंडल स्तर पर इएनएचएम विंग के दायरे और गठन को निर्दिष्ट करते हुए पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए कहा गया था। जारी किए गए निर्देशों में क्षेत्रीय रेलवे में जी एम और सीएम इ और मंडलों में मण्डल रेल प्रबन्धक और सीनिएर डी एम इ के नियंत्रण में इएचएनएम विंग विंग द्वारा प्रमुख रेलवे स्टेशनों, कोचिंग ट्रेनों और कोचिंग डिपो के हाउसकीपिंग कार्यों का एकीकरण भी शामिल है।

इएनएचएम विंग को स्टेशनों और कोचिंग ट्रेनों की हाउसकीपिंग के लिए बजट का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी जिसमें स्टेशनों, कोचों और रेलवे कॉलोनीयों<sup>6</sup> की सफाई और स्वच्छता शामिल थी। हालांकि, रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों (बजट प्रस्तावों में) का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया था।

जोनल/डिवीज़न स्तर पर इएनएचएम विंगों के कार्यचालन के संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेशों के कार्यान्वयन का निर्धारण करने के लिए सभी 17 जोन (अनुलग्नक-1.4) में 109 स्टेशनों का लेखापरीक्षा द्वारा यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

- i. रेलवे ने सभी जोनों में और लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 54 मंडलों में से 43 में इएनएचएम विंग स्थापित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।
- ii. समीक्षा अवधि के दौरान ग्यारह डिवीज़नों<sup>7</sup> में इएनएचएम विंग की स्थापना नहीं की गई थी।
- iii. 13 डिवीज़नों<sup>8</sup> में अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसमें उन ग्यारह डिवीज़नों, जहां विंग का गठन नहीं किया गया था और उ.म.रे. में दो अन्य डिवीज़न जहां विंग का गठन किया गया था लेकिन अपशिष्ट के प्रबंधन की मॉनिटरिंग के कोई निर्देश रिकॉर्ड में नहीं पाए गए, को शामिल किया गया था।
- iv. भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का स्वामित्व लेने वाला कोई एकल निकाय/एजेंसी नहीं है। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों के लिए निगरानी और समन्वय कार्य करने के लिए इएनएचएम विंग का गठन किया गया था, जबकि पर्यावरण संबंधी कार्यों की योजना, मंजूरी और निष्पादन संबंधित विभाग जैसे वाणिज्यिक और इंजीनियरिंग द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था।

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि जहां इएनएचएम विंग स्थापित नहीं किया गया है वहां यांत्रिक विभाग को इएनएचएम विंग से संबंधित कर्तव्यों का आवंटन किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यांत्रिक निदेशालय से समान स्तर के समर्पण

<sup>6</sup> रेलवे कॉलोनीयां इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं की गईं

<sup>7</sup> मरे- पुणे और सोलापुर, पूरे- सियालदाह और मालदा; पूसीरे- लुम्डिंग, रंगिया व कटिहार व उरे- अंबाला, दिल्ली, लखनऊ व मुरादाबाद

<sup>8</sup> मरे-पुणे और सोलापुर, पूरे- सियालदाह और मालदा; उमरे- प्रयागराज और आगरा, पूसीरे- लुम्डिंग, रंगिया और कटिहार, उरे- दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला

की संभावना नहीं है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय और निगरानी ही EnHM विंग की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था।

### 2.1.1 बजट आवंटन और व्यय

स्टेशनों और कोचिंग ट्रेनों की हाउसकीपिंग के लिए बजट का प्रबंधन करने के लिए इएनएचएम विंग की आवश्यकता है। साफ-सफाई से जुड़े मुद्दों जैसे स्टेशन, कोच<sup>9</sup> और रेलवे कालोनी की साफ-सफाई पर होने वाले खर्च का रखरखाव रेलवे कर रहा है। बजट आवंटन और उसमें से किए गए व्यय को नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.1 - बजट आवंटन और व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	प्रतिशत उपयोग
2016-17	1751	1640	94
2017-18	2026	1874	92
2018-19	2281	2156	95
2019-20	2796	2721	97
2020-21	2081	1987	95

नोट:- इसमें कोच की सफाई, स्टेशन की सफाई और रेलवे कॉलोनियों की सफाई शामिल है। इस रिपोर्ट में कॉलोनियों की स्वच्छता शामिल नहीं की गई।

तथापि, पर्यावरण संबंधी कार्यों<sup>10</sup> की योजना, स्वीकृति एवं निष्पादन को संबंधित विभागों (वाणिज्यिक एवं अभियांत्रिकी) द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था। पर्यावरण संबंधी कार्यों (ERW) के लिए निधियों का प्रावधान एक मद के रूप में या एकमुश्त आधार पर (कार्य की लागत के एक प्रतिशत के बराबर) किया गया था। अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुछ मदों जैसे ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी अपशिष्ट से खाद, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों आदि के प्रावधान को ERWs की निर्दिष्ट सूची में शामिल किया गया था। इन कार्यों का प्रबंधन जोन/मंडल/PUs के EnHM विंग द्वारा किया जाना है। इन कार्यों की प्रगति तथा प्रावधान की तुलना में निधियों के उपयोग का विवरण पैरा 4.5 में दिया गया है।

<sup>9</sup> कोच की सफाई में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग, स्वच्छ ट्रेन स्टेशन, यांत्रिक कोच की सफाई, कीट और कृंतक नियंत्रण और कोच की कोई अन्य गतिविधि शामिल है

<sup>10</sup> पर्यावरण से संबंधित कार्य जैसे जल संरक्षण, सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचा, जल कुशल जुड़नार और निर्माण और रखरखाव के दौरान वायु और जल प्रदूषण को कम करने के उपाय आदि।

यह देखा गया है कि पर्यावरण और हाउसकीपिंग कचरे प्रबंधन के साथ एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा साफ सफाई, स्वच्छता की निगरानी के लिए पैरा 1.2 में उल्लिखित विभिन्न स्तरों पर EnHM विंग का गठन किया गया था। अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी के साथ किसी लग प्राधिकरण को नहीं सौंपा गया था और साथ ही विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई सीमांकित निधि आवंटन नहीं किया गया। इसके अलावा, हालांकि बजट आवंटन का 90 प्रतिशत से अधिक 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान उपयोग किया गया है, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबंधन में प्रगति उत्साहजनक नहीं है जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है।

## 2.2 जवाबदेह इकाइयों का गठन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने OA संख्या 141/2014 में दिनांक 01.10.2018 के अपने आदेश में रेल मंत्रालय को तीन जवाबदेह इकाइयों की पहचान करने का निर्देश दिया। आदेश में यह निर्दिष्ट किया गया कि इस इकाई में प्रत्येक स्तर पर (जोनल रेलवे स्तर पर, डिवीज़न स्तर पर और साथ ही प्रत्येक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर) कम से कम तीन चिन्हित व्यक्ति शामिल होने चाहिए ताकि ठोस अपशिष्ट निपटान, ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन किया जा सके। इन आदेशों के अनुपालन में रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को प्रत्येक स्तर<sup>11</sup> पर तीन जवाबदेह इकाइयों का गठन करने का निर्देश<sup>12</sup> दिया (05.12.2018)।

भारतीय रेल के 109 चयनित स्टेशनों के इस पहलू पर NGT के आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए अपेक्षित जवाबदेह इकाई स्थापित नहीं की गयी। इसके अलावा, हालांकि जवाबदेह इकाइयों का गठन किया गया था तथापि इनका प्रतिनिधित्व सदस्यों की अपेक्षित संख्या द्वारा नहीं किया गया था और जवाबदेह इकाइयों द्वारा बैठकों/संयुक्त निरीक्षण का आयोजन बिल्कुल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा अध्ययन में सामने आई स्थिति को नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:-

<sup>11</sup> (i) स्टेशन स्तर पर- स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रबंधक, वाणिज्यिक और अभियांत्रिकी विभाग प्रत्येक से एक पर्यवेक्षक।

(ii) डिवीज़न स्तर पर- एडीआरएम, वाणिज्यिक एवं अभियांत्रिकी विभाग प्रत्येक से एक अधिकारी।

(iii) जोनल रेलवे स्तर पर- एजीएम, वाणिज्यिक, अभियांत्रिकी और सुरक्षा विभाग प्रत्येक से एक अधिकारी।

<sup>12</sup> पत्र संख्या 2018/ईएनएचएम /01/02 दिनांकित 5.12.2018

तालिका 2.1-क - जवाबदेह इकाइयों के गठन पर प्रास्थिति

विवरण	जोनल रेलवे स्तर	डिवीज़न स्तर	स्टेशन स्तर
स्थापित नहीं किए गए जवाबदेह इकाई	पूरे और दपरे	17	42
आवश्यकता से कम प्रतिनिधित्व वाले जवाबदेह इकाई	पूमरे, उपूरे और उपरे	सात <sup>13</sup>	13 <sup>14</sup>
जवाबदेह इकाइयों द्वारा आयोजित नहीं की गई बैठकें (जैसा अनुलग्नक 2.1 में विवरण दिया गया है)	सात जोन	23	71

NGT के महत्वपूर्ण आदेशों के अननुपालन से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दों की मॉनिटरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है।

### 2.3 उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और इसका उचित प्रबंधन

लोक लेखा समिति - (चौदहवीं लोकसभा) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि भारतीय रेल को एक ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे स्टेशनों पर उत्पन्न कचरे की प्रमात्रा का वास्तविक निर्धारण किया जा सके ताकि प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक अवसंरचना के साथ पर्याप्त संग्रहण, पृथक्करण और निपटान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। रेल मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया था (30.10.2009) कि कूड़ा निपटान कार्य के लिए उपयुक्त एजेंसी तय करने के लिए निविदा देने से पहले कचरे का प्रमात्रीकरण किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में की गयी नमूना जांच से पता चली स्थिति मंत्रालय के दावे के विपरीत है जैसा कि नीचे तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.2 - अपशिष्ट उत्पादन की प्रमात्रा का निर्धारण और इसका पृथक्करण

विवरण	स्टेशन	कोचिंग डिपो
बिल्कुल नहीं किया गया निर्धारण	37	18
केवल कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	18	1
नहीं किया गया जैव निम्नीकरण/गैर-जैव निम्नीकरण के रूप में पृथक्करण	60	22
कुछ वर्षों में किए गए जैव-निम्नीकरण/ गैर-जैव-निम्नीकरण के रूप में पृथक्करण	17	1

स्रोत:- जोनल रेलवे के अभिलेखों से ली गई सूचना (अनुलग्नक 2.2)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समीक्षा की अवधि के दौरान अपशिष्ट उत्पादन की प्रमात्रा का निर्धारण या तो बिल्कुल नहीं किया गया था या समीक्षा अवधि के दौरान

<sup>13</sup> पूमरे-सोनपुर, उपूरे-लखनऊ; उपरे- अजमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर पमरे-जबलपुर;

<sup>14</sup> पूमरे- हाजीपुर, सोनपुर और मुज्जफरपुर; उपरे- अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर एवं राय का बाग, दपूतरे- रायपुर एवं गोंदिया, दरे-मेलमारुवातुर।

छिटपुट रूप से किया गया था। इसके अलावा, जैव-निम्नीकरण और गैर-जैव निम्नीकरण के रूप में कूड़े का पृथक्करण या तो नहीं किया गया था या समीक्षा अवधि के दौरान कुछ वर्षों में किया गया था। नमूना जाँच किए गए 109 स्टेशनों पर अपशिष्ट को पृथक्करण करने की शर्त को संविदा में नहीं पाया गया।

रेल मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कूड़ा निपटान संविदा के साथ-साथ कूड़ा उठाने की संविदा भी सभी ए1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर उपलब्ध होनी चाहिए और वे संविदाएं हमेशा चालू रहनी चाहिए और उनका समय पर नवीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय रेल में सभी चयनित 109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो के रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला कि 23 स्टेशनों पर, कूड़ा निपटान संविदा के साथ-साथ कूड़ा उठाने की संविदा में निरंतरता का अभाव था (अनुलग्नक 2.2)। अनिरन्तरता की अवधि व्यापक रूप से भिन्न थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- नौ स्टेशनों में एक से तीन महीने,
- 10 स्टेशनों में तीन से नौ महीने से अधिक
- 04 स्टेशनों में नौ से 20 महीने से अधिक

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि कचरे की मात्रा को ठीक से दर्ज किया गया है और क्यूबिक फीट आयाम में उल्लेख किया गया है क्योंकि क्यूबिक फीट में विशिष्ट मात्रा के ट्रॉलियों द्वारा निपटान किया जाता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि कचरे को नगरपालिका/स्थानीय निकाय में निपटान के लिए ले जाने से पहले ठेकेदार द्वारा कचरे की मात्रा का भी आकलन किया जाता है। उत्तर सामान्य है और लेखापरीक्षा टिप्पणी के लिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि तालिका 2.2 में उल्लिखित इकाइयों की लेखापरीक्षा करते समय ऐसी कोई व्यवस्था रिकॉर्ड में नहीं पाई गई थी।

## 2.4 स्टेशनों पर नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली ने रेल मंत्रालय को 36 स्टेशनों (720 प्रमुख स्टेशनों में से 5 प्रतिशत) पर अपशिष्ट प्रबंधन की उचित मॉनिटरिंग के लिए 24 चिन्हित सत्यापनीय संकेतकों<sup>15</sup> (अनुलग्नक 2.3 में उल्लिखित) के साथ एक कार्य योजना तैयार करने और लागू करने और इसके कार्यान्वयन में की गई प्रगति की आवधिक समीक्षा करने का निर्देश दिया (26 मार्च 2019)। बाद में इस योजना को अन्य सभी प्रमुख स्टेशनों के लिए चरणों में दोहराया जाना था।

<sup>15</sup> सत्यापनीय संकेतकों में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा, आईएसओ प्रमाणन, कूड़ेदान का प्रावधान, कूड़ा उठाने की संविदा, पोस्टर का प्रावधान, ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी की स्थापना, अपशिष्ट कंपोस्टिंग प्लांट की प्रावधान, सामग्री रिकवरी सुविधाएं, सफाई की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग, शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय शामिल थे ताकि अपशिष्ट की अनधिकृत डंपिंग को रोका जा सके।

रेलवे बोर्ड ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सभी क्षेत्रीय रेलवे को 37 चिन्हित स्टेशनों<sup>16</sup> पर कार्य योजना के कार्यान्वयन पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक (अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली) की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (17 अप्रैल 2019)। इसे रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 13.05.2019 द्वारा सत्यापन योग्य संकेतकों की विस्तृत सूची के साथ पुनः दोहराया गया था।

इसके अलावा, NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया (04 दिसम्बर 2019) कि वह कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन दोनों के संदर्भ में प्रमुख रेलवे स्टेशनों के निष्पादन का मूल्यांकन करे। CPCB ने यह भी निर्देश दिया (02 जून 2020) कि सभी जोनों को अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए और साथ ही सीवेज और गैर-सीवेज अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की अलग से पहचान करनी चाहिए और तदनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की योजना बनानी चाहिए।

एन जीटी ने 18 अगस्त 2020 से तीन महीने के भीतर शेष प्रमुख रेलवे स्टेशनों (कुल 720 में से) के संबंध में आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर 2020 द्वारा जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि वह एनजीटी ने के आदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करे।

मंत्रालय द्वारा एनजीटी के आदेश के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए चयनित 109 स्टेशनों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। समीक्षा से निम्नलिखित बिंदु सामने आये:-

- i. कुछ स्टेशन एनजीटी ने के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सीटीइ/सीएफओ के बिना कार्य कर रहे थे, जो उपयुक्त स्तरों पर मॉनिटरिंग की कमी को दर्शाता है।
- ii. 59 स्टेशनों<sup>17</sup> ने 31 जुलाई 2021 तक सीटीइ प्राप्त करने के लिए संबंधित SPCB में भी आवेदन नहीं किया था।

<sup>16</sup> एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 36 स्टेशनों का चयन और रेलवे अधिकारियों द्वारा पहचाने गए 01 अतिरिक्त स्टेशन (श्री माता वैष्णो देवी कटरा)

<sup>17</sup> 3 स्टेशन अर्थात् मेट्रो रेल कोलकाता-रवीन्द्र सदन, एस्प्लेनेड, दमदम के लिए अगस्त 2021 में आवेदन किया था।

- iii. ग्यारह स्टेशनों<sup>18</sup> में, हालांकि सीटीइ के लिए आवेदन किया गया, लेकिन उक्त 31.07.2021<sup>19</sup> तक SPCB से प्रतिक्रिया थी।
- iv. 31.07.2021 तक 46 स्टेशनों<sup>20</sup> के संबंध में सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया था और
- v. 34 स्टेशनों के संबंध में एसपीसीबी की सलाह पर बिना सीटीइ आवेदन किए सीधे सीएफओ प्राप्त किया।

सीटीइ के संबंध में देरी को मुख्य रूप से विशिष्ट उपकरणों को प्रदान नहीं किए जाने या एसपीसीबी की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देने और तकनीकी आधारों पर एसपीसीबी द्वारा आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था (अनुलग्नक-2.4)।

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि 720 में से 577 स्टेशनों ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सीएफओ प्राप्त किया है। उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी के लिए विशिष्ट नहीं है। उन स्टेशनों का विवरण जहां एनजीटी के आदेश का अनुपालन लंबित है, उत्तर में नहीं दिया गया है।

## 2.5 एनजीटी के आदेश के अनुसार 37 चिन्हित प्रमुख स्टेशन पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना

भारतीय रेल के सभी जोनो में 37 चिन्हित स्टेशनों पर 24 चिन्हित सत्यापनीय संकेतकों के साथ कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अभिलेखों की समीक्षा की गई और अधिकांश सत्यापनीय संकेतकों जैसे जल और ऊर्जा लेखापरीक्षा, आई एस ओ प्रमाणन, कूड़ेदान की व्यवस्था, कूड़ा उठाने की संविदा, पोस्टर आदि के संबंध में कार्यान्वयन की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई थी। तथापि, महत्वपूर्ण संकेतकों जैसे ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी की स्थापना, अपशिष्ट कंपोस्टिंग प्लांट की व्यवस्था, सामग्री वसूली सुविधाएं, सफाई की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग, अपशिष्ट की अनधिकृत डंपिंग को रोकने के क्रम में शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय जा सके, के संबंध में की गई प्रगति की स्थिति की कमी थी जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में सामने लाया गया था:-

<sup>18</sup> 01 स्टेशन अर्थात् पमरे-सवाई माधोपुर सितंबर 2021 में प्राप्त किया गया

<sup>19</sup> इसे 31 मार्च 2021 तक उद्धृत NGT के आदेश के अनुसार पूरा किया जाना आवश्यक था और लेखा परीक्षा में इस स्थिति को 31 जुलाई 2021 तक सत्यापित और अद्यतित किया गया था।

<sup>20</sup> अगस्त 2021 में 02 स्टेशनों अर्थात् दपूरे-शालीमार और खड़गपुर में प्राप्त किया गया था।

तालिका 2.3 - 24 सत्यापनीय संकेतकों को लागू करने के लिए एन जीटी के आदेशों का अनुपालन

क्र सं.	गतिविधि	कार्यान्वयन/अनुपालन की स्थिति (31 मार्च 2020 तक)
1	ईटीपी/एसटीपी/ डब्ल्यूआरपी	पांच स्टेशनों <sup>21</sup> में योजना नहीं बनाई गई अन्य पांच स्टेशनों <sup>22</sup> में हालांकि योजना बनाई गई लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया
2	अपशिष्ट खाद संयंत्र और सामग्री वसूली सुविधाएं	क्रमशः 14 स्टेशनों <sup>23</sup> पर और 16 स्टेशनों <sup>24</sup> पर उपलब्ध नहीं कराया गया
3	साफ-सफाई गतिविधि की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाएगा	मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्य के साथ-साथ स्वच्छता की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है
4	आई एस ओ प्रमाणन, जल लेखापरीक्षा और ऊर्जा लेखापरीक्षा	सभी 37 चिन्हित स्टेशनों में पूरा किया गया
5	रेलवे भूमि पर अतिक्रमण, रेलवे परिसर में अवैध डंपिंग और रेलवे की भूमि पर अनधिकृत डंपिंग रोकने के लिए चारदीवारी	पांच स्टेशनों <sup>25</sup> पर अतिक्रमण मिला चार स्टेशनों <sup>26</sup> पर रेलवे परिसर में अवैध डंपिंग देखी गई 07 स्टेशनों <sup>27</sup> पर निर्मित चारदीवारी नहीं मिली
6	आवधिक रिपोर्ट	05 स्टेशनों <sup>28</sup> पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में अनुपालन नहीं किया गया

कुछ स्टेशनों जैसे पुणे (मरे), सियालदह (पूरे), राजेंद्र नगर टर्मिनल (पूमरे), विशाखापत्तनम (पूतरे), नई दिल्ली (उरे), कटिहार (उसीरे), जयपुर और जोधपुर (उमरे) सिकंदराबाद, काचीगुडा और विजयवाड़ा (दमरे), रांची और दीघा (दपूरे), बिलासपुर (दपमरे), हुबली और मैसूर (दपरे), जबलपुर और भोपाल (पमरे) और वडोदरा (परे) के संबंध में कार्य योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक था, जहाँ 24 में

<sup>21</sup> पूमरे-धनबाद, उपूरे- लखनऊ जं. और मंडुआडीह, दरे- एमजीआर चेन्नई सेंट्रल और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल

<sup>22</sup> पूतरे- विजयनगरम, पूरे- हावड़ा, उमरे- झांसी, परे- मुंबई सेंट्रल और वडोदरा,

<sup>23</sup> मरे- नासिक रोड, उरे- वाराणसी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा, उमरे-झांसी, प्रयागराज और आगरा कैंट, उपरे-अजमेर, दरे-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., दमरे-सिकंदराबाद और विजयवाड़ा, दपूमरे-बिलासपुर पमरे-जबलपुर

<sup>24</sup> मरे- नासिक रोड, पूमरे- धनबाद पूरे- हावड़ा और सियालदह, उमरे- झांसी, आगरा कैंट और प्रयागराज, पूसीरे- गुवाहाटी और कटिहार, उपूरे-मंडुआडीह, उपरे- अजमेर, दपूमरे- बिलासपुर और रायपुर, दपूरे- दीघा, दपरे- हुबली, पमरे- जबलपुर

<sup>25</sup> पूरे-सियालदह, दपूमरे-रायपुर, दपरे-हुबली, पमरे-जबलपुर और भोपाल

<sup>26</sup> पूतरे-विजयनगरम, उमरे-आगरा कैंट, दपूरे-रांची, दपूमरे-रायपुर

<sup>27</sup> पूरे-हावड़ा, उरे- दिल्ली, फिरोजपुर, उमरे-आगरा कैंट, उपरे-अजमेर, दपूमरे-रायपुर, पमरे-भोपाल

<sup>28</sup> पूरे- हावड़ा और सियालदह, उमरे- झांसी, प्रयागराज और आगरा कैंट

से 20 या अधिक सत्यापन योग्य संकेतक लागू किए गए। हालांकि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2020 तक 37 स्टेशनों में से एक स्टेशन के संबंध में भी 24 सत्यापन योग्य संकेतकों का कार्यान्वयन पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया था।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में कहा (मई 2022) कि वर्ष 2022-23 के लिए ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी की स्थापना जिसके लिए बड़े बुनियादी ढांचे के इनपुट की आवश्यकता होती है, को स्वीकृत किया गया है। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि गीले कचरे की कम मात्रा वाले स्टेशनों पर कंपोस्टिंग प्लांट की आवश्यकता नहीं है।

रेल मंत्रालय का उत्तर उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन में शामिल स्टेशनों के लिए विशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि 37 स्टेशनों में से एक स्टेशन के संबंध में भी 24 सत्यापन योग्य संकेतकों का कार्यान्वयन पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया था।

## 2.6 37 स्टेशनों (720 स्टेशनों का शेष) के अलावा अन्य पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना

शेष प्रमुख स्टेशनों (720 स्टेशनों का शेष) में 24 चिन्हित सत्यापनीय संकेतकों के संबंध में कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का निर्धारण भारतीय रेल के सभी जोनों में चयनित 65 स्टेशनों (अनुलग्नक 2.5) में किया गया था जिससे निम्नलिखित का पता चला:-

- 41 स्टेशनों में ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी भी स्थापित नहीं किए गए,
- अपशिष्ट खाद्य संयंत्र और सामग्री रिकवरी सुविधाएं क्रमश 43 और 46 स्टेशनों में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
- 28 स्टेशनों पर सफाई गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग नहीं किया गया।
- 28 स्टेशनों पर अरबन लोकल बॉडी/लोकल बॉडी के साथ समन्वय न होना और 30 स्टेशनों पर परिसंचारी क्षेत्र में कोई शौचालय नहीं होना।
- 07 स्टेशनों<sup>29</sup> पर जल लेखापरीक्षा नहीं की गई और 11 स्टेशनों<sup>30</sup> पर उर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई।
- 10 स्टेशनों<sup>31</sup> को छोड़कर सभी स्टेशनों द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

<sup>29</sup> मरे- वाडी, पूतरे - कटक, उपूरे - काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली सिटी, उपरे- गांधी नगर जयपुर, परे- भरूच

<sup>30</sup> मरे- वाडी, पूतरे - कटक, उपूरे- काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी, पूसीरे- न्यू बोंगईगांव और न्यू जलपाईगुडी, परे- बांद्रा टर्मिनस, मेट्रो रेल- दमदम, एस्प्लेनेड और रवीन्द्र सदन

<sup>31</sup> उरे- बाराबंकी, पानीपत, रायबरेली और रोहतक, उमरे- प्रयागराज छेकी, पमरे- कटनी और पिपरिया, मेट्रो रेल-दमदम, एस्प्लेनेड और रवीन्द्र सदन

इससे इंगित होता है कि ज्यादा जोर दिये गए 24 सत्यापनीय संकेतकों के कार्यान्वयन की दिशा में रेलवे प्रशासन का दुलमुल दृष्टिकोण था। अतः, एन जी टी के आदेशों का उल्लंघन हुआ है

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में (मई 2022) कहा कि 24 सत्यापन योग्य संकेतकों के कार्यान्वयन का अनुपालन किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी विशिष्ट आवश्यकता का अनुपालन नहीं करने वाले स्टेशनों के संबंध में थी। इस पहलू पर मंत्रालय मौन है।

## 2.7 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई योग्य मद/बिंदु पर प्रगति

स्वच्छ भारत' मिशन के हिस्सेदार के रूप में, रेलवे बोर्ड ने स्टेशन परिसरों में सफाई में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य बिंदु तैयार किए और जुलाई 2016 और सितंबर 2016 में निर्देश जारी किए। जोनल रेलवे को इन बिंदुओं को सभी प्रमुख ए 1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर प्रसारित करने के लिए कहा गया था ताकि जहां भी आवश्यकता हो सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई की जा सके और स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए मॉनिटरिंग के लिए प्रणालियां स्थापित की जा सकें। इन कार्रवाई योग्य बिंदुओं में अन्य बातों के साथ साथ निहित है,

- (i) कचरा उठाने की जगह से ही उठाना और सुविधापूर्वक कचरा संग्रहण करने वाले जैसे हैडल वाले इस्टपैन का उपयोग करके फिर कचरा डिब्बे के अंदर डालना जिससे नालियों में ठोस कचरे के बहने से बचा जा सके।
- (ii) सीसीटीवी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग और सफाई कर्मचारियों के लिए विशिष्ट बीट्स निर्धारित करना।
- (iii) निर्धारित बीट्स को हमेशा कचरा मुक्त रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को की पहचान करना।
- (iv) यात्री आवाजाही के सभी क्षेत्रों में 10 मीटर के भीतर गैर जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट (सुखा अपशिष्ट) के लिए काले पॉलीथिन बैग और जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट (गीला कचरा) के लिए हरे रंग के साथ विभिन्न रंग के कूड़ेदान की व्यवस्था।
- (v) वाहन पार्किंग क्षेत्र में कूड़ेदान और उचित कूड़ा निपटान की व्यवस्था।
- (vi) ट्रैक और किनारों पर वस्तुओं और कचरे के गिरने से रोकने के लिए पूरी लंबाई में तार जाल से ढके फुट ओवर ब्रिज

इन महत्वपूर्ण कार्रवाई योग्य बिंदुओं का निर्धारण चयनित 109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो की लेखापरीक्षा में किया गया था और देखी गई कमियों को नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4 - स्वच्छ भारत मिशन पर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर कार्यान्वयन की स्थिति

क्र सं.	कार्रवाई योग्य बिंदु	कार्यान्वयन की स्थिति
1	कूड़ेदान की व्यवस्था	<p>i. गीले और सूखे अपशिष्ट के संग्रहण के लिए 12 स्टेशनों और 15 कोचिंग डिपो में अलग-अलग रंग के साइनेज इस्टबिन अंदर पॉलीथिन लाइनर बैग के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि, 97 स्टेशनों (89 प्रतिशत) में विभिन्न रंग के कूड़ेदान की व्यवस्था थी।</p> <p>ii. 27 स्टेशनों पर, उपलब्ध कराए गए कूड़ेदान यात्री आवाजाही क्षेत्रों में किसी भी स्थान से 10 मीटर के भीतर नहीं रखे गए थे।</p> <p>iii. 17 स्टेशनों पर प्रतीक्षालय और शौचालयों में ढके हुए कूड़ेदान उपलब्ध नहीं कराए गए थे;</p> <p>iv. 38 स्टेशनों पर वाहन पार्किंग क्षेत्र में कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं पाई गई।</p>
2	सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग	<p>i. 42 स्टेशनों में स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर लगे सीसीटीवी कैमरे का उपयोग अपने कार्य क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग में नहीं पाया गया।</p> <p>ii. 16 स्टेशनों पर सफाई कर्मचारियों के लिए बीट्स निर्धारित नहीं की गई थी।</p>
3	सफाई संविदाओं में सफाई पहलू को शामिल करना	<p>(i) 53 स्टेशनों और 18 कोचिंग डिपो के संबंध में सफाई संविदाओं में अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए विशिष्ट खंड नहीं थे।</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>उरे के लखनऊ मंडल के आरबीएल स्टेशन पर अलग पृथक्करण न किया गया अपशिष्ट</p> </div>

		(ii) 7 स्टेशनों पर कचरा उत्पन्न होने वाली जगह से नहीं उठाया गया था।
		 <p>MAS पर अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान</p>
4	तार युक्त जाल के साथ एफओबी को कवर करना	उपरि तारों और ट्रैक पर कचरे को गिरने से रोकने के लिए 28 स्टेशनों पर तार जाल के साथ एफओबी को कवर नहीं किया गया था

"स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत" अभियान पर स्टेशनों की प्रगति की निगरानी की दिशा में निरंतर प्रयासों में, रेल मंत्रालय ने 720 स्टेशनों की रैंकिंग और सर्वेक्षण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (2019) को लगाया। "साइट पर कोई कूड़ा-करकट नहीं, साइट में कूड़ेदान और दो कूड़ेदान जैसे पहलुओं पर प्रगति का परिणाम नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4 ए - स्टेशनों पर स्वच्छता के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए क्यूसीआई द्वारा किए गए ई-सर्वेक्षण के परिणाम के अंश

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	साइट पर कोई कूड़ा-करकट नहीं	साइट में कूड़ेदान	दो कूड़ेदान
पार्किंग क्षेत्र	73.98	64.6	73.77
मुख्य प्रवेश	85.97	84.72	62.30
टिकट काउंटर	92.22	78.75	67.02
इंतज़ार क्षेत्र	94.03	84.18	61.17
एफओबी और सीढ़ियाँ	93.56	63.01	76.40
खुले बैठने की जगह	90.93	87.76	72.68
विक्रेता क्षेत्र	91.68	96.13	65.60

यह देखा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा 2016 में स्टेशन परिसर की सफाई के लिए कार्रवाई योग्य बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कई स्टेशनों (720 में से) ने अभी तक कार्य योजना का कार्यान्वयन पूरा नहीं किया है।

## 2.8 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के माध्यम से रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए प्रयास

रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ रखने में रेलवे के प्रयासों को पूरा करने के लिए, रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया<sup>32</sup> (फरवरी 2016) कि वह कारपोरेट और पी एस यू के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत चिन्हित रेलवे कार्यों को निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से अपने कारोबार/प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्टेशनों पर कार्यों को प्रायोजित करने को प्रोत्साहित करे। इन कार्यों में स्टेशनों पर कूड़ेदान, अपशिष्ट परिवहन ट्रॉलियों, सफाई मशीनों, सीवेज/बहाव वाले उपचार संयंत्र, अपशिष्ट से खाद, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र आदि की व्यवस्था शामिल थी। कारपोरेट और पीएसयू की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ सी एस आर पहल के तहत ये प्रावधान पर्यावरणीय स्थिरता कार्यों के निष्पादन, सफाई कार्यों, स्टेशनों की स्वच्छता और कुछ यात्री सुविधाओं के प्रावधान थे।

जोनल रेलवे/डिवीजन के इएनएचएम विंग को सी एस आर गतिविधि के ऐसे प्रायोजन का समन्वय करना था और सी एस आर पहल के माध्यम से निर्मित सुविधाओं का एक उपयुक्त डाटाबेस रेल प्रशासन द्वारा बनाया जाना था।

सी एस आर पहल के तहत किए गए उपायों को बहुत सीमित सफलता मिली। सी एस आर पहलों के माध्यम से स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदान की गई सुविधाओं की समीक्षा सभी जोनल रेलवे में की गई थी और इसका परिणाम नीचे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.5 - सीएसआर पहल के तहत प्रतिक्रिया

क्र सं.	प्रदान की गई कार्य/मद	संख्या	डिवीज़न	जोन	लागत (₹ करोड़ में)
1	कूड़ेदान	1906	सी एस एम टी, दिल्ली, आगरा, मुंबई सेंट्रल, वडोदरा और वाल्टेयर	मरे, उरे, उमरे, परे, पूतरे	0.86
2	खाद संयंत्र के लिए अपशिष्ट	10	सियालदह, बीकानेर, सिकंदराबाद, मुंबई सेंट्रल, और वाल्टेयर	पूरे, उपरे, दमरे, परे, पूतरे	0.75
3	ट्रॉली	10	बिलासपुर	दपूमरे	0.05
4	ऊर्जा संयंत्र के लिए अपशिष्ट	1	जयपुर	उपरे	0.91

<sup>32</sup> पत्र संख्या 2015/ईएनएचएम /06/06 दिनांक 03.02.2016

## 2.9 स्टेशनों पर खानपान इकाइयों द्वारा और ओबीएचएस के तहत आने वाली ट्रेनों से उत्पन्न अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण

परिचालित पेंट्री कारों और स्थिर इकाइयों से उत्पन्न अपशिष्ट और उनके निपटान के लिए 2016 के रेलवे बोर्ड द्वारा प्रसारित किए गए वाणिज्यिक आदेश परिपत्र संख्या 55 के तहत खानपान संविदाकार के साथ लाइसेंस करार में दो रंग के कुड़ेदानों<sup>33</sup> में अपशिष्ट के संग्रहण का प्रावधान निर्धारित किया गया था। 1999 के रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 14 और 2011 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 45 के माध्यम से प्रसारित दिशा-निर्देशों में प्लेटफार्मों पर पेंट्रीकार अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय संयुक्त प्रक्रिया आदेश (जेपीओ) होने के निर्देश शामिल थे। चलती ट्रेनों में सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए रेलवे ने ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं (ओ बी एच एस) योजना को अपनाया था जिसके तहत आउटसोर्स एजेंसियों की नियुक्ति करके कोचों और शौचालयों की सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाना था। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों (17 फरवरी 2016) में संविदाकार द्वारा पॉलीबैग/इको-फ्रेंडली बैग में कुड़ेदानों से कचरे/कूड़े का संग्रहण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

सभी जोनल रेलवे में 109 चयनित स्टेशनों में की गई समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

- i. खानपान संविदाकार के साथ लाइसेंस करार में निर्धारित दो रंग के डिब्बे में अपशिष्ट के संग्रहण का प्रावधान 39 स्टेशनों में शामिल नहीं किया गया था जिससे अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण नहीं हुआ।
- ii. 58 स्टेशनों के संबंध में संविदाकारों द्वारा ओबीएचएस ट्रेनों से कचरा युक्त पॉलीबैग का संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया गया।
- iii. लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि पेंट्रीकार और ओबीएचएस ट्रेनों से संग्रहित पृथक अपशिष्ट को 49 स्टेशन में सुरक्षित बैग में नहीं उतारा गया। उपरोक्त 49 स्टेशनों में से 42 स्टेशनों पर पेंट्रीकारों या ओबीएचएस ट्रेनों से संग्रहित पृथक अपशिष्ट को अलग से सोंपे गए कूड़ेदानों में नहीं डाला गया।
- iv. पेंट्रीकार से अपशिष्ट के संग्रहण की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए 70 स्टेशनों पर जे पी ओ जारी नहीं किए गए थे।

<sup>33</sup> खानपान इकाइयों में जैव-निम्नीकरण कचरे/गीले कचरे के लिए हरा और गैर जैव-निम्नीकरण कचरे/सूखे कचरे के लिए काला

स्टेशनों पर और इन ओबीएचएस ट्रेनों से खानपान इकाइयों के अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अननुपालन से इन स्टेशनों पर स्वच्छता के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हुए थे।

## 2.10 स्टेशनों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्धारण और संग्रह/पृथक्करण

रेल परिचालन, ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट दोनों-विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट की विशाल मात्रा उत्पन्न करता है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट (2008-09) में यह देखा था कि प्लास्टिक का उपयोग करते समय रेल मंत्रालय को पर्यावरणीय चिंता को ध्यान में रखना चाहिए और लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने तीन रेलवे स्टेशनों (नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन) पर उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में RITES के माध्यम से एक अध्ययन प्रायोजित किया। रिपोर्ट (दिसंबर 2009) में दर्शाया गया कि इन स्टेशनों द्वारा प्रतिदिन लगभग 6758 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न किया जा रहा था और इन स्टेशनों पर उत्पन्न होने वाले निम्नीकरण और गैर-जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को अलग करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के संदर्भ में, भारतीय रेल को 'अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता'<sup>34</sup> के रूप में पहचाना गया था।

रेलवे बोर्ड (अक्टूबर 2016) ने जोनल रेलवे को निम्नलिखित निर्देश<sup>35</sup> जारी किए:-

- कम से कम प्लास्टिक का उपयोग
- प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को उचित तरीके से स्थापित करें और
- सभी सफाई संविदाओं में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऐसे अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करें

प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे प्राधिकरण पर यह जरूरी है कि वह स्टेशनों पर प्लास्टिक अपशिष्ट के अलग-अलग संग्रहण और पृथक्करण के लिए निर्धारण करें और कदम उठाए।

<sup>34</sup> नियम 3 (x) इन नियमों में आगे इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता (क) प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पन्न होने को कम करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2000 या समय-समय पर संशोधित के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग करने के लिए कदम उठाएगा और (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को कूड़े में नहीं डालेगा और स्रोत पर अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करेगा और शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या पंजीकृत अपशिष्ट बीनने वालों, पंजीकृत रीसाइक्लर या अपशिष्ट संग्रह एजेंसियों को पृथक अपशिष्ट सौंपा जाएगा।

<sup>35</sup> पत्र संख्या 2016/पर्यावरण/01/01 दिनांक 17.10.2016

109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो पर किए गए लेखापरीक्षा अध्ययन से पता चला है कि भारतीय रेल द्वारा 71 स्टेशनों और 26 कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था (अनुलग्नक 2.6)।

रेलवे बोर्ड (अगस्त 2019) ने सभी जोनल रेलवे को 02.10.2019 से प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत उपाय लागू करने का निर्देश<sup>36</sup> दिया जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल थे:-

- एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें।
- सभी रेलवे विक्रेता को प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल से बचने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कर्मचारियों को प्लास्टिक उत्पादों को कम करने, पुनः उपयोग और प्रतिषेध करने के लिए और प्लास्टिक फुट प्रिन्ट को कम करने के लिए सस्ती पुनः प्रयोज्य बैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- IRCTC विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के भाग के रूप में पीने के पानी की प्लास्टिक बोटलों की वापसी को लागू करें।
- प्लास्टिक बोटल कुचलने की मशीनें शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

इन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अनुपालन और रेलवे बोर्ड के निर्देशों की लेखापरीक्षा में भी जांच की गई और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर यह देखा गया कि निम्नलिखित उपायों को कुछ हद तक लागू किया गया था:-

- प्लास्टिक की बोटल कुचलने की मशीनों की योजना और स्थापना
- केवल प्लास्टिक वाले कुड़ेदान की व्यवस्था

उपरोक्त उपायों पर प्रगति नीचे दर्शाई गई है:-

- NGT के आदेशों के अनुपालन में सभी 37 प्रमुख स्टेशनों (लेखापरीक्षा के लिए चयनित 109 स्टेशनों में शामिल) पर पीबीसीएम की स्थापना की योजना बनाई गई थी। यह भी 24 संकेतकों (पैरा 2.5 में संदर्भित) में से एक महत्वपूर्ण सत्यापन योग्य संकेतकों में से एक था, जो शुरू में 37 चिन्हित प्रमुख स्टेशनों के लिए



15.02.2021 को पेट में बांद्रा टर्मिनस स्टेशन में प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन को बंद पाया गया।

<sup>36</sup> पत्र संख्या. 2019/ईएनएचएम /11/01 दिनांक 19.08.2019

लागू था। 14 स्टेशनों पर, स्थापित पीबीसीएम योजना से कम थे। (अनुलग्नक 2.6) लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 109 स्टेशनों में से 11 स्टेशनों<sup>37</sup> में पीबीसीएम की योजना भी नहीं बनाई गई थी और 14 स्टेशनों<sup>38</sup> में हालांकि इनकी योजना बनाई गई थी लेकिन 31 मार्च 2020 तक एक भी पीबीसीएम स्थापित नहीं किया गया था।

- ii. रेलवे अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान 15 स्टेशनों<sup>39</sup> पर स्थापित पीबीसीएम काम नहीं कर रहे थे। इनमें NGT द्वारा चिन्हित 37 प्रमुख स्टेशनों में से दो स्टेशन (हुबली और दीघा) शामिल थे।
- iii. प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण के उपाय के रूप में 'केवल प्लास्टिक के डिब्बे' के प्रावधान के संबंध में, समीक्षा से पता चला कि 90 स्टेशनों और 25 कोचिंग डिपो (अनुलग्नक 2.6) में ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी।
- iv. प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने और स्रोत पर उसे अलग करने के लिए उठाए गए कदमों के मुद्दे पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि 84 स्टेशनों और 26 कोचिंग डिपो के संबंध में सफाई अनुबंधों में प्रासंगिक खंड शामिल नहीं किया गया था।
- v. पीबीसीएम से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के अंतिम उपयोग से संबंधित रिकॉर्ड जो परिचालन में थे, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

रेल मंत्रालय ने कहा कि 720 प्रमुख स्टेशनों में से 441 पर 639 पीबीसीएम स्थापित किए गए हैं। 'केवल प्लास्टिक के डिब्बे' के प्रावधान के संबंध में रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन का आश्वासन दिया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सामान्य प्रकृति का है और टिप्पणी किए गए स्टेशनों पर पीबीसीएम की योजना/स्थापना की स्थिति उत्तर में नहीं बताई गई है।

## 2.11 नगर निगम ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और अलग संचय

भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2000/ 2016 में अधिसूचित किया है। नियम 4 (1) के अनुसार, रेलवे को यह करना आवश्यक है:-

- उपयुक्त कुड़ादान में जैव निम्नीकरण, गैर-जैव निम्नीकरण और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे तीन अलग-अलग वर्गों में उत्पन्न अपशिष्ट को अलग करें और स्टोर करें;

<sup>37</sup> मरे-इगतपुरी, उरे-बाराबंकी, रोहतक; उमरे-प्रयागराज छिवकी; उपूरे-गोरखपुर, छपरा, हल्द्वानी; उसीरे- होजई, न्यू जलपाईगुड़ी; पमरे- राय का बाग; दरे- मेलमरुवत्तूर।

<sup>38</sup> उरे- पानीपत, राजपुरा जंक्शन, जालंधर कैंट; उमरे- आगरा का किला; उपरे- बीकानेर, लालगढ़; दरे- ओडपल्लम; दूरे- येलहंका, पांडवपुरा,; पमरे- होशंगाबाद, पिपरिया, कटनी; परे- वलसाड, बिलिमोरा जं

<sup>39</sup> मरे-पनवेल, वाडी, उरे-मुरादाबाद उपरे- जयपुर, दमरे- सिकंदराबाद, काचीगुडा, पूमरे-बिलासपुर, रायगढ़, दूरे- दीघा, दरे- एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, दूरे- केएसआर बंगलुरु, कृष्णराजनपुरम, हुबली, पमरे- सवाई माधोपुर, परे- बांद्रा टर्मिनस

- स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश या अधिसूचना के अनुसार प्राधिकृत अपशिष्ट बीनने वालों या अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं को अलग-अलग अपशिष्ट को सौंपना।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने 18-3-2015 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि सभी रेलवे प्लेटफार्मों को साफ रखा जाए और किसी भी शहरी ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्लेटफार्मों से एमएसडब्ल्यू को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली 2000 के अनुसार केवल नामित एमएसडब्ल्यू निपटान स्थल पर एकत्र किया जाना चाहिए और उनका निपटान किया जाना चाहिए और किसी अन्य स्थान पर नहीं। इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को NGT के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने और इसके लिए आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखना सुनिश्चित करने का निर्देश<sup>40</sup> दिया (अप्रैल 2015)।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 के अनुसार कोई अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता उसके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को, सड़कों पर, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजनिक स्थानों या नाली में या जल निकायों में न तो फेकेगा, न ही जलाएगा या दबाएगा नहीं। इन नियमों के अनुपालन में रेलवे बोर्ड ने दिनांक 05 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से जोनल रेलवे को निर्देश दिए कि स्टेशन पर संग्रहित अपशिष्ट को अलग-अलग रंग के चिन्हित कूड़ेदानों में स्रोत पर अलग-अलग किया जाए और इन अपशिष्टों को आगे अलग-अलग रखा जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड (09 दिसम्बर 2016) ने जोनल रेलवे को स्टेशन से ठोस कचरे के निपटान के लिए स्थानीय निकायों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने और उसी के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

एसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 में निर्धारित नियमों का अनुपालन और रेलवे बोर्ड के निर्देश (सितंबर 2016) का सभी चयनित 109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो में निर्धारण किया गया था और निम्नलिखित को पाया गया था:-

- i. एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में 41 स्टेशनों और तीन कोचिंग डिपो पर शहरी ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के संचालन के समर्थन में आवश्यक रिकॉर्ड नहीं बनाए गए थे। ऐसे रिकॉर्ड के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि NGT के आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
- ii. संग्रहित अपशिष्ट को 16 स्टेशनों और 21 कोचिंग डिपो में अलग-अलग रंग चिन्हित कूड़ेदानों में स्रोत पर अलग नहीं किया जा रहा था।

<sup>40</sup> पत्र संख्या 2015/पर्यावरण//01/03 दिनांक 30.04.2015

- iii. 22 स्टेशनों और 10 कोचिंग डिपो में अंतिम निपटान से पहले अलग किए गए अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कोई भंडारण स्थल/वेट्स<sup>41</sup> की पहचान नहीं की गई थी।
- iv. 47 स्टेशनों और 17 कोचिंग डिपो में बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का संचय अलग से नहीं किया गया।

भारतीय रेल परंपरागत रूप से अपने कचरे को निकालने के लिए नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर है। इसके अलावा, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अंतिम निपटान से पहले अलग किए गए कचरे के भंडारण के लिए भंडारण स्थलों / वेट्स की अनुपस्थिति में, कचरे को जलाकर, बगल की नहरों, निचले इलाकों और ट्रैक के पास डंप करके, पर्यावरण प्रदूषण का कारण होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि ठोस कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग-अलग कूड़ेदानों में एकत्र किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर जुड़वां डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसने विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों को संबोधित नहीं किया।

### 2.11.1 ठोस अपशिष्ट का परिवहन और निपटान

लेखापरीक्षा ने एकत्रित ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में एनजीटी के आदेश (जैसा कि पैरा 2.11 में उल्लिखित है) के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की और निम्नलिखित बिंदु सामने आए:

- i. 14 स्टेशनों और सात कोचिंग डिपो में अंतिम निपटान स्थल पर ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया;
- ii. पृथक अपशिष्ट को 15 स्टेशनों और पांच कोचिंग डिपो में ढकी हुई स्थिति में नहीं ले जाया गया;
- iii. रेल प्रशासन ने 97 स्टेशनों और 28 कोचिंग डिपो में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए यूएलबी/स्थानीय निकायों के साथ एमओयू नहीं किया।
- iv. 65 स्टेशनों और 22 कोचिंग डिपो पर NGT/आरबी निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए कोई अभिलेख नहीं रखा गया।

<sup>41</sup> वैट कचरा डालने के लिए कंटेनर है

- v. 50 स्टेशनों और 13 कोचिंग डिपो में मौजूदा निर्देशों में परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट चुननेवाले या अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को सौंपने की व्यवस्था नहीं पाई गई।

(अनुलग्नक 2.7)

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मई 2022) कि सभी प्रमुख 720 स्टेशनों पर सफाई के ठेके दिए जा चुके हैं और ठोस अपशिष्ट को निपटान के लिए संबंधित नगर निकायों को सौंप दिया गया है। उत्तर, हालांकि, रिपोर्ट में टिप्पणी की गई ठोस कचरे के भंडारण और परिवहन से संबंधित मुद्दों पर मौन है।

### 2.11.2 ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सुविधाएं

37 चिह्नित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कार्य योजना को, रेलवे बोर्ड (अप्रैल 2019) द्वारा जारी NGT के उन निर्देशों (मार्च 2019) को 720 स्टेशनों में लागू किया जाना है, जिसमें कंपोस्टिंग संयंत्र के प्रावधान जैसे अपशिष्ट के भंडारण और निपटान, सामग्री रिकवरी सुविधा और पृथक अपशिष्ट परिवहन से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

सभी चयनित 109 रेलवे स्टेशनों तथा 30 कोचिंग डिपो में NGT के दिनांक 26.03.2019 के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की समीक्षा की गई (अनुलग्नक 2.8) और लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:-

- 77 स्टेशनों तथा 29 कोचिंग डिपो में गीले अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी।
- 87 स्टेशनों और 27 कोचिंग डिपो पर सामग्री रिकवरी की सुविधा नहीं दी गई।
- 77 स्टेशनों तथा 28 कोचिंग डिपो पर कंपोस्टिंग संयंत्र नहीं लगाया गया।
- 102 स्टेशनों तथा 29 कोचिंग डिपो पर अपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र नहीं स्थापित किए गए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए आठ स्टेशनों<sup>42</sup> की पहचान<sup>43</sup> की गई थी। इन संयंत्रों के लिए बोली प्रक्रिया प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन के लिए राइट्स को लगाया गया था। चिह्नित आठ स्टेशनों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना के क्रियान्वयन की समीक्षा से पता चला कि 7 स्टेशनों (पटना स्टेशन को छोड़कर) पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

<sup>42</sup> छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पटना, सियालदाह, हावड़ा, प्रयागराज, वाराणसी, सिकंदराबाद और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल

<sup>43</sup> भारतीय रेल की पर्यावरणीय स्थिरता वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

## 2.12 निष्कर्ष

स्टेशनों और कोचिंग डिपो में उत्पन्न भारी मात्रा अपशिष्ट के निर्धारण, पृथक्करण, भंडारण और इसके निपटान की निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। सांविधिक नियम हैं, जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। एन जी टी ने कई आदेश जारी कर भारतीय रेल को निर्देश दिए कि वह रेलवे स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करे।

जोनल और डिवीज़न स्तर पर इएनएचएम निदेशालय की स्थापना के लिए लोक लेखा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का आंशिक अनुपालन किया गया। रेलवे स्टेशनों, डिवीज़नो और जोनल स्तर पर नमूना जांच किए गए 38.60 प्रतिशत स्टेशनों में उत्तरदायी इकाइयों का गठन नहीं किया गया। पीएसी की सिफारिशों के बावजूद कई स्टेशनों पर बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल श्रेणियों में उत्पन्न करने की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया गया। एन जी टी के निर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में स्टेशनों ने सीटीई/सीएफओ के लिए आवेदन भी नहीं किया था।

एन जी टी के निर्देशानुसार 37 प्रमुख स्टेशनों पर 24 सत्यापनीय संकेतकों के साथ कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति कई स्टेशनों पर संतोषजनक नहीं पाई गई। ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी, अपशिष्ट से कंपोस्टिंग संयंत्र की व्यवस्था मार्च 2020 तक की जानी शेष थी। अपशिष्ट के उचित पृथक्करण और निपटान के लिए एजेंसियों के साथ सफाई संविदाओं में अपेक्षित खंडों को शामिल नहीं किया गया था। CSR के माध्यम से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के प्रयासों को थोड़ी सफलता मिली। पेंट्रीकार अपशिष्ट संग्रहण के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश तैयार करने के लिए रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्देशों का कई स्टेशनों पर अनुपालन नहीं किया गया। स्टेशनों पर पीबीसीएम की स्थापना को धीमी प्रतिक्रिया मिली क्योंकि पीबीसीएम की स्थापना (मार्च 2020) योजना से काफी कम थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और गैर-बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में संचित ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण कई स्टेशनों पर नहीं किया गया। इसके अलावा, ऐसे अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया और बड़ी संख्या में स्टेशनों में अपशिष्ट के निपटान के लिए यूएलबी/एलबी के साथ एमओयू सुनिश्चित नहीं किए गए। नमूना जांच किए गए स्टेशनों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण जैसे अपशिष्ट कंपोस्टिंग संयंत्रों, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनःचक्रण संयंत्र की दिशा में प्रगति अधिकांश स्टेशनों में खराब थी। पर्यावरण और हाउसकीपिंग कार्यों के प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में विभिन्न गतिविधि केंद्रों पर उत्पन्न कचरे

के प्रबंधन की भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्धारण स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा, विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि आवंटन निर्धारित नहीं थी।

### लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- जोनल और डिवीजनल स्तर पर इएनएचएम निदेशालय स्थापित करने के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिशों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।
- अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के विशिष्ट संदर्भ में भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निधियों का सीमांकन भी नहीं किया गया था। एनजीटी के निर्देशों के बावजूद विभिन्न स्तरों पर जवाबदेह संस्थाओं की अनुपस्थिति ने अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- एनजीटी के आदेश के संदर्भ में सत्यापनीय संकेतक के कार्यान्वयन पर प्रगति उत्साहजनक नहीं थी।
- योजना के अनुसार स्टेशनों पर पीबीसीएम स्थापित नहीं किया गया था और जहां स्थापित भी किया गया था, वहां कार्य नहीं कर रहे थे।
- अपशिष्ट के उचित पृथक्करण और निपटान के लिए एजेंसियों के साथ सफाई संविदाओं में अपेक्षित खंड शामिल नहीं किए गए थे। इसके अलावा, रेलवे के पास ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अवसंरचना का अभाव था।

### 2.13 सिफारिश

भारतीय रेल को अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए एनजीटी के निर्देशानुसार जोनल और डिवीजन स्तर पर इएनएचएम विंग के गठन और जवाबदेह संस्थाओं के गठन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आईआर को विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निधि आवंटन और जिम्मेदारियों के लिए स्पष्ट भूमिका परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, भारतीय रेल को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।



## रेलवे कार्यशालाओं, रखरखाव शेड कोचिंग डिपो और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन

### लेखापरीक्षा का उद्देश्य 2

क्या रेलवे कार्यशाला, रखरखाव शेड और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान लागू विधियों और नियमों के अनुसार किया गया।

भारतीय रेल ने विभिन्न उत्पादन इकाइयों के अलावा लोकोमोटिव/कोच/वैगनों के लिए कार्यशालाओं और रखरखाव शेड का एक नेटवर्क स्थापित किया है। रखरखाव/मरम्मत/उत्पादन गतिविधियों के दौरान, ये इकाइयां भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का उत्पादन करती हैं जो सफाई एजेंटों, तेल, स्नेहक, ग्रीज़, भारी धातुओं और खतरनाक ठोस पदार्थों से दूषित होता है। अपशिष्ट जल और उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट पर्यावरण के नजरिए से अत्यंत चिंता का क्षेत्र है जिसमें केंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा बनाए गए अधिनियमों/नियमों के अनुसार उचित निर्धारण, उपचार, भंडारण और निपटान की आवश्यकता है। इन गतिविधि केन्द्रों (चयनित 101<sup>44</sup> कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों और 30 कोचिंग डिपो<sup>45</sup>) में अपशिष्ट के प्रबंधन में पाई गई कमियों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

### 3.1 जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित करने के लिए सहमति (सीटीई) या परिचालन हेतु सहमति (सीएफओ)

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1978 और 1988 में यथा संशोधित) की धारा 24, 25 और 26 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की पूर्व सहमति के बिना किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा, जिसमें सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट की धारा या कुएं या सीवर या भूमि पर निस्तारित करने की संभावना हो। यदि जल अधिनियम लागू होने से पहले कोई संयंत्र परिचालन में था तो उसे तीन महीने की अवधि के भीतर सीटीई/सीएफओ प्राप्त करना आवश्यक था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगस्त 2020 में जारी अपने निर्देशों<sup>46</sup> में यही मत व्यक्त किया था।

चयनित इकाइयों में सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई और यह पाया गया कि 40 इकाइयों में मार्च 2020 तक सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किए गए थे

<sup>44</sup> 22 मैकेनिकल कार्यशालाएं, 09 एस एंड टी कार्यशालाएं, 10 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 18 डीजल लोको शेड, 15 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 19 मेमू/डेमू/ईएमयू कार शेड और 8 उत्पादन इकाई

<sup>45</sup> आरपीयू और मेट्रो रेलवे, कोलकाता सहित 17 जोनों में।

<sup>46</sup> ओए संख्या 141/2014 (सलोनी सिंह बनाम भारत संघ) अगस्त 2020 में जारी

(अनुलग्नक -3.1)। इन इकाइयों द्वारा सीटीई/सीएफओ प्राप्त न करने के अभिलेख में कोई विशिष्ट कारण उपलब्ध नहीं थे। जल अधिनियम के तहत विशिष्ट शर्त के बावजूद, इन 40 इकाइयों<sup>47</sup> में अपर्याप्त अनुपालन पर्यावरणीय चिंताओं के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अप्रभावी मानीटरिंग का संकेत है।

### 3.2 खतरनाक और अन्य अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार

खतरनाक अपशिष्ट को किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जो इसके किसी भी भौतिक, रासायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक विशेषताओं के कारण खतरे का कारण बनता है या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है, चाहे वह अकेले हो या जब अन्य अपशिष्टों या पदार्थों के संपर्क में हो।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन, और सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 के नियम 6 (1) में यह प्रावधान है कि खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन और सुपुर्दगी में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे अधिभोगी, जिनमें रेलवे कार्यशालाएं, शेड और उत्पादन इकाइयां शामिल हैं, को अन्य अपशिष्टों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट को पृथक करने और (एसपीसीबी)/सीपीसीबी द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार इसके निपटान से पहले ठीक ढंग से भंडारण करने की आवश्यकता होती है।

चयनित इकाइयों में संबंधित अभिलेख की जांच से पता चला कि 50 इकाइयों<sup>48</sup> (अनुलग्नक -3.1) ने संबंधित एसपीसीबी से खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया था। इस प्रकार, इन इकाइयों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट की पहचान, पृथक्करण, भंडारण और निपटान के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। मानीटरिंग के अभाव के कारण विशेष रूप से इन इकाइयों के कामगारों और सामान्य रूप से पड़ोसी समुदाय के कामगारों के स्वास्थ्य पर परिणामी प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

### 3.3 एफ्लुएंट और खतरनाक अपशिष्ट के संचालन के लिए एसपीसीबी प्राधिकार में विलम्ब

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 के नियम 6 (1) में प्रावधान है कि इन नियमों के तहत प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन पिछले प्राधिकार की समाप्ति से तीन महीने पहले किया जा सकता है।

<sup>47</sup> 02 मैकेनिकल कार्यशालाएं, 05 एस एंड टी कार्यशालाएं, 06 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 02 डीजल लोको शेड, 08 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 17 मेमू/डेमू/ईएमयू कार शेड

<sup>48</sup> 06 यांत्रिक कार्यशालाएं, 05 एस एंड टी कार्यशालाएं, 06 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 07 डीजल लोको शेड, 08 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 18 मेमू/डेमू/ईएमयू कार शेड

लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में संबंधित अभिलेख की जांच से पता चला कि 21 इकाइयों<sup>49</sup> (अनुलग्नक-3.2) ने उक्त नियमों/शर्तों का अनुपालन नहीं किया था। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के साथ-साथ जल अधिनियम के तहत सीएफओ के नवीकरण के संबंध में, प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करने में देरी देखी गई, जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.1 - एसपीसीबी से प्राधिकार मांगने की प्रास्थिति

क्र.सं.	एसपीसीबी से प्राधिकार नवीकरण के लिए की मांग में देरी की रेंज	हजार्डस वेस्ट प्रबंधन नियम के तहत इकाइयों की संख्या	जल अधिनियम के तहत इकाइयों की संख्या
1	1 से 06 महीने	एक	3
2	06 से 18 महीने	एक	8
3	18 से 30 महीने	दो	5
4	30 महीने से अधिक	छः	6

नवीनीकरण प्राप्त करने में ऐसी देरी का कोई कारण रेलवे प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### 3.4 पर्यावरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 14 के संदर्भ में औद्योगिक संचालन या प्रक्रिया करने वाले प्रत्येक संगठन को संबंधित एसपीसीबी को वार्षिक रूप से एक पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करना होता है जैसा कि नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.2 - एसपीसीबी को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले पर्यावरणीय विवरण

फॉर्म	वर्तमान प्रावधान/नियम	निम्न के बारे में किया जाने वाला प्रकटीकरण	फाइल करने की निर्धारित तिथि
फॉर्म 4	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016	श्रेणीवार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा, निपटान सुविधा या पुनर्चक्रण या अन्य को भेजी गई मात्रा, इन-हाउस उपयोग की गई मात्रा और वर्ष के अंत में भंडारण में मात्रा	30 जून

<sup>49</sup> 06 मैकेनिकल कार्यशालाएं, 01 एस एंड टी कार्यशाला, 01 इंजीनियरिंग कार्यशाला, 05 डीजल लोको शेड, 04 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 04 पीयू

<b>फॉर्म V</b>	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 या वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 या दोनों	जल और कचरी सामग्री की खपत, पर्यावरण में प्रवाहित प्रदूषक और इकाइयों द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्टों की प्रमात्रा	30 सितंबर
----------------	---	---	-----------

लेखापरीक्षा ने उक्त दो वार्षिक पर्यावरणीय विवरणों को प्रस्तुत करने की स्थिति की जांच की और निम्नलिखित पाया:

- (i) 83 इकाइयों<sup>50</sup> द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत फॉर्म-V संबंधित एस पी सी बी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इनमें से 40 इकाइयों में जल अधिनियम के तहत सहमति प्राप्त नहीं की गई थी (अनुलग्नक-3.1)।
- (ii) 84 इकाइयों<sup>51</sup> में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत फॉर्म-4 जमा नहीं किया गया। इनमें से 50 (अनुलग्नक-3.1) ने खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है।

### 3.5 खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए अभिलेखों का रखरखाव

किसी भी सुविधा में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट खतरे का कारण बनता है या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होने की संभावना होती है, इसलिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नियम) में ऐसे अपशिष्ट के उचित पृथक्करण, भंडारण, लेबलिंग और निपटान के लिए विभिन्न शर्तों का प्रावधान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे तालिका 3.4 में दर्शाए किए गए हैं:-

**तालिका 3.4 - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत पालन किए जाने वाले आवश्यक नियमों/प्रावधानों का सार**

नियम	नियम/प्रावधान का सार	निर्धारित फॉर्म
17	कंटेनरों में इस तरह के अपशिष्ट का उचित भंडारण और इसकी लेबलिंग	फॉर्म - 8
	इस तरह के अपशिष्ट की बिक्री, हस्तांतरण, भंडारण, पुनःचक्रण, उपयोग आदि के अभिलेख का रखरखाव	फॉर्म - 3

<sup>50</sup> 14 यांत्रिक कार्यशालाएं, 09 एसएंडटी कार्यशालाएं, 10 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 13 डीजल लोको शेड, 13 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 19में मू/डेमू/ईएमयू कार शेड और 05 उत्पादन इकाइयां

<sup>51</sup> 16 यांत्रिक कार्यशालाएं, 09 एस एंड टी कार्यशालाएं, 10 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 12 डीजल लोको शेड, 13 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 19में मू/डेमू/ईएमयू कार शेड और 05 उत्पादन इकाइयां

18 (2)	खतरनाक अपशिष्ट की प्रत्येक बिक्री/निर्णय के लिए परिवहन आपातकालीन (TREM) कार्ड जारी करना	फॉर्म - 9
19 (1)	मालसूची प्रणाली - खतरनाक अपशिष्ट को जनरेटर छोड़ने के समय से लेकर उपचार/निपटान स्थल तक पहुंचने तक	फॉर्म - 10

लेखापरीक्षा में चयनित 131 इकाइयों (30 कोचिंग डिपो सहित) में खतरनाक अपशिष्ट के उचित भंडारण और निपटान के लिए निर्धारित नियमों का पालन एक सीमा तक किया गया और निम्नलिखित बिंदु सामने आए:-

- i. 102 इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट के उचित भंडारण और लेबलिंग को नहीं किया गया,
- ii. 110 इकाइयों में भंडारण, उपयोग के लिए अभिलेख नहीं रखा गया,
- iii. 117 इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट की प्रत्येक बिक्री/हस्तांतरण के लिए परिवहन आपातकालीन (टीआरइएम) कार्ड जारी नहीं किया गया,
- iv. 101 इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट के प्रत्येक निर्गम/बिक्री के लिए इसके निपटान तक खतरनाक अपशिष्ट की ट्रैकिंग के लिए निर्धारित मालसूची प्रणाली का पालन नहीं किया।

### (अनुलग्नक - 3.3)

उपर्युक्त निर्धारित नियमों का पालन न करने से मॉनीटरिंग तंत्र की पूरी प्रणाली समग्र रूप से अप्रभावी हो जाती है जो पर्यावरण के साथ-साथ इन इकाइयों में कार्यरत कामगार/स्टाफ के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इसमें खतरनाक अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिए निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदीकरण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

### 3.6 अनुमेय अवधि के बाद खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन, और सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 (हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नियम) के नियम 8 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि सुविधाओं के अधिभोगी नब्बे (90) दिनों से अधिक अवधि के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का भंडारण नहीं कर सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) कुछ निर्दिष्ट मामलों में नब्बे दिनों की उक्त अवधि को बढ़ाकर एक सौ अस्सी (180) दिन कर सकते हैं। चयनित इकाइयों में संबंधित अभिलेख की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

1. खतरनाक अपशिष्ट<sup>52</sup> की भंडारण अवधि 36 इकाइयों में नब्बे दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक थी। खतरनाक अपशिष्ट की वास्तविक भंडारण अवधि 06 इकाइयों में 3 से 6 महीने, 12 इकाइयों में 6 महीने से अधिक से लेकर 12 महीने तक, छह इकाइयों में 12 महीने से अधिक से लेकर 24 महीने तक और 12 इकाइयों में 24 महीने और अधिक थी।
2. कुछ इकाइयों<sup>53</sup> में भंडारण अवधि 8 से 9 साल या उससे भी अधिक पाई गई थी। अभिलेखों से यह पता नहीं चलता था कि इन इकाइयों ने अनुमेय सीमा से अधिक ऐसे अपशिष्ट के भंडारण के लिए एसपीसीबी से कोई अनुमति प्राप्त की है।

खतरनाक अपशिष्ट का समय पर निपटान इसके उचित प्रबंधन के लिए और व्यक्तियों या पर्यावरण को इस के कारण होने वाले खतरे को रोकने के लिए भी होना चाहिए, इसलिए लंबी अवधि के लिए ऐसे अपशिष्ट का भंडारण करने वाली रेलवे इकाइयों की कार्रवाई से निर्धारित सांविधिक प्रावधान अप्रभावी हो जाते हैं। इस तरह के लंबे भंडारण के साथ, पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संभावित खतरा रहता है।



उत्तर पूर्व रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड/गोंडा में खुली जगह में पड़ा खतरनाक अपशिष्ट

### 3.7 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली/ग्रीन रेटिंग प्रमाणन

रेलवे बोर्ड के निर्देशों<sup>54</sup> (जून 2015) के संदर्भ में, जोनल रेलवे को गुणवत्ता के लिए ISO 9001, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए ISO 14001 और व्यावसायिक स्थिति और सुरक्षा (ओएचएसएस) के लिए ISO 18001 को संबोधित करते हुए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आइएमएस) के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली रखना आवश्यक है। जोनल रेलवे से कहा गया कि वह सभी पीयू/कार्यशालाओं के साथ-साथ ईएमयू/डेमू कार शेड सहित लोको शेड और प्रमुख कोचिंग डिपो के लिए आइएमएस प्रमाणन प्राप्त करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे। फरवरी 2017 में, जोनल रेलवे को ऊर्जा संरक्षण उपायों, नवीनीकरणीय के उपयोग, जल पुनर्चक्रण/वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और तरल) और

<sup>52</sup> जैसे अपशिष्ट तेल, तेल कीचड़, ईटीपी कीचड़, पेंट कीचड़, प्रयुक्त फिल्टर, गीज़/ स्नेहक के साथ मिश्रित कपास अपशिष्ट आदि।

<sup>53</sup> सिग्नल कार्यशाला/हावड़ा, बीएलडब्ल्यू/वाराणसी, लोको कैरिज और वैगन कार्यशाला/दाहोद

<sup>54</sup> पत्र सं.2015/इएंडएचएम/03/02 दिनांक 11.06.2015,

इसके निपटान पर मापदंडों के निर्धारण को शामिल करते हुए रेलवे प्रतिष्ठानों की ग्रीन रेटिंग प्रमाणन शुरू करने के निर्देश<sup>55</sup> दिए गए थे।

चयनित रेलवे कार्यशालाओं, शेडों, उत्पादन इकाइयों और कोचिंग डिपो (131 इकाइयों) के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आइएमएस) या ग्रीन रेटिंग के तहत प्रमाणीकरण केवल 88 इकाइयों (67 प्रतिशत) के संबंध में प्राप्त किया गया था।

इस प्रकार, इस संबंध में निर्देश जारी होने के पांच साल बाद भी पर्यावरणीय मुद्दों के गुणवत्ता प्रबंधन की प्रणाली पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकी। इसके अलावा, 2019 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के माध्यम से रेल मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर यह भी देखा गया कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणन और ग्रीन रेटिंग क्रमशः केवल 10 और 2 प्रतिशत स्टेशनों द्वारा प्राप्त की गई थी।

### 3.8 निष्कर्ष

रेलवे इकाइयों में रखरखाव, मरम्मत और उत्पादन गतिविधियां भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं जिससे पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता उत्पन्न होती है। सी पी सी बी/एसपीसीबी द्वारा बनाए गए जल अधिनियम और क्रियाविधि में इस पहलू के समाधान के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्दिष्ट किया गया। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सीटीई/सीएफओ प्राप्त किए बिना बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयां प्रचालन कर रही थीं।

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निर्धारित विनियमों के साथ-साथ एसपीसीबी द्वारा निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा, खतरनाक अपशिष्ट और एफ्लुएंट की सुपुर्दगी के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करने में देरी के मामले सामने आए हैं।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार गतिविधि) नियमों में खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण, परिवहन और निपटान के लिए निर्धारित प्रणाली/क्रियाविधि का सही अर्थ में पालन नहीं किया गया। अनुमेय सीमा से बाद भंडारित किए जाने के खतरनाक अपशिष्ट के मामले पाए गए थे।

<sup>55</sup> पत्र सं.2015/इएनएचएम/12/02 दिनांक 01.02.2017

### लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- भारतीय रेल नामित प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन (सीटीई/सीएफओ) प्राप्त करने की मूलभूत आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।
- ईटीपी/एसटीपी के नियोजन एवं संस्थापन की धीमी प्रगति के कारण विभिन्न अनुरक्षण एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा पर्यावरण में छोड़े गए अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट, प्रदूषकों तथा खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रणाली जल अधिनियम एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में दोषपूर्ण थी।
- उत्पन्न अपशिष्ट के स्वरूप और प्रमात्रा का प्रकटन करने वाले अपेक्षित पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने में रेलवे इकाइयां विफल रही जिससे मॉनीटरिंग तंत्र कमजोर हो गया।

### 3.9 सिफारिश

*भारतीय रेल को आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सुनिश्चित करने और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए रखरखाव और उत्पादन इकाइयों में लगे कार्यबल को संवेदनशील बनाने के उपाय शुरू करने की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरे से बचा जा सके।*

## रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट जल का प्रबंधन

### लेखापरीक्षा उद्देश्य 3

क्या बहिःसाव/सीवेज उपचार, जल पुनर्चक्रण और स्वचालित कोच धुलाई के माध्यम से उत्पन्न अपशिष्ट जल का प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है

भारतीय रेल ने यात्री और माल ढुलाई यातायात की मात्रा के प्रबंधन के लिए स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, रखरखाव शेड और उत्पादन इकाइयों (पीयू) की भारी अवसंरचना का सृजन किया है। स्टेशनों पर यातायात के संचालन और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव से संबंधित गतिविधियों के लिए न केवल जल के व्यापक उपयोग की आवश्यकता होती है, बल्कि इससे भारी मात्रा में अपशिष्ट जल भी उत्पन्न होता है।

ताजा और अपशिष्ट जल के बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे का उद्देश्य 'कमी', 'पुनः उपयोग' और 'पुनर्चक्रण' की नीति का पालन करना है। इस पहलू को भारतीय रेल जल नीति, 2017 में प्रमुखता से रखा गया है जिसमें जल की दुर्लभता एवं अन्य बातों के साथ-साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया है।

इस नीति (जल नीति, 2017) के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा ऐसे जल उपयोग में कमी के साथ-साथ कम अपशिष्ट जल के उत्पादन के लिए, एफ्लुएंट/सीवेज परिवहन संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी), जलपुनःचक्रण संयंत्र (डब्ल्यूआरपी) और स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) की व्यवस्था की जानी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह भी निर्देश दिया (2 जून 2020) कि सभी जोन को अपशिष्ट जल उत्पादन में कमी करने के लिए और सीवेज और गैर-सीवेज अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की अलग से पहचान करने के लिए भी उपाय करने चाहिए और तदनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की योजना बनानी चाहिए।

स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, रखरखाव शेडों और उत्पादन इकाइयों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए भारतीय रेल द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावकारिता और दक्षता का निर्धारण किया गया और देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### 4.1 एफ्लुएंट/सीवेज उपचार संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी) का प्रावधान/योजना बनाना, चालू करना और कार्यचालन

जैसा कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24 में निर्धारित है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी जहरीले, हानिकारक या प्रदूषणकारी

पदार्थ को किसी धारा, कुएं, सीवर और भूमि में इसे ट्रीट किए बिना प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देगा। कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में गतिविधियां अपशिष्ट तेल, रसायन, कीचड़, अपशिष्ट ग्रीज़ आदि जैसे प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

जल अधिनियम के तहत परिचालन के लिए अनुमति (सीएफओ) से संलग्न विशेष शर्त के अनुसार सीवर/अपशिष्ट निकायों में विसर्जन से पहले एफ्लुएंट के उपचार के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का प्रावधान करना जरूरी है। इसी प्रकार, रेलवे स्टेशनों और कोचिंग डिपो में उत्पन्न एफ्लुएंट के उपचार के लिए रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचार को ध्यान में रखते हुए ईटीपी स्थापित करने के लिए, जहां भी आर्थिक रूप से वांछनीय माना गया है, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश<sup>56</sup> दिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिनांक 18 मार्च 2015 के अपने आदेश में रेलवे प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्टेशनों और कोचिंग डिपो/यार्ड पर उत्पन्न होने वाले एफ्लुएंट को भूजल में रिसने न पाये और ऐसे एफ्लुएंट को सभी प्रमुख स्टेशनों के नज़दीक स्थित ईटीपी/एसटीपी में प्रवाहित होना चाहिए। इन आदेशों के अनुपालन में रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को प्रमुख स्टेशनों के नज़दीक ईटीपी/एसटीपी स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश<sup>57</sup> दिए थे (30 अप्रैल 2015)।

लेखापरीक्षा ने चयनित 102 प्रमुख स्टेशनों, 30 कोचिंग डिपो और 101 कार्यशाला/शेड/उत्पादन इकाइयों पर ईटीपी/एसटीपी के प्रावधान के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की जांच की और निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:-

1. 40 कार्यशाला/शेड और 19 कोचिंग डिपो में नियोजित ईटीपी/एसटीपी कार्य नहीं कर रहे थे।
2. मार्च 2020 को 87 स्टेशनों पर ईटीपी/एसटीपी कार्य नहीं कर रहे थे।

ऊपर दी गई स्थिति से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपशिष्ट जल के निर्वहन से पहले उपचार की वैधानिक आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि ईटीपी/एसटीपी की स्थापना उस नियोजित से कम हो गई और कई स्थापित ईटीपी/एसटीपी गैर-कार्यात्मक रह गए। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों ने ईटीपी/एसटीपी (पर्यावरण संबंधी कार्यों का हिस्सा) की स्थापना को रोकने के लिए निधि की कमी का संकेत नहीं दिया। पैरा 4.5 में पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए निधियों का उल्लेख है जो ऐसे कार्यों पर धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रह गए हैं। भूजल/जल निकायों के प्रदूषण के साथ-साथ ताजे पानी के उपयोग में कमी की पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान नहीं किया गया। तथापि, यह देखा गया कि नमूना

<sup>56</sup> पत्र सं.99/एलएमबी/9/25 दिनांक 22-12-1999

<sup>57</sup> पत्र सं.2015/पर्यावरण/01/03 दिनांक 30.04.2015

जांच की गई सभी उत्पादन इकाइयों में ईटीपी/एसटीपी उपलब्ध कराए गए थे और वे कार्यशील अवस्था में पाए गए थे।

#### 4.2 स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी से निस्तारण किए गए एफ्लुएंट/कीचड़ का विश्लेषण

जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुपालन में रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों से निकलने वाले एफ्लुएंट को नगरपालिका की सीवेज लाइनों या निचले क्षेत्रों/भूमि पर इसके निस्तारण से पहले ईटीपी/एसटीपी में उपचारित किया जाना



पश्चिम रेलवे में रतलाम मंडल में लोको एंड कैरिज एंड वैगन कार्यशाला- दाहोद में निपटान किए बिना पड़ा ईटीपी कीचड़

होता है। जल अधिनियम के तहत परिचालन के लिए सहमति (सीएफओ) से संलग्न विशेष शर्तों के अनुसार, एफ्लुएंट निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए; इसलिए ईटीपी/एसटीपी में उपचार से पहले और बाद में विश्लेषण किया जाना चाहिए। ईटीपी/एसटीपी से कीचड़ को कीचड़सुखाने वाले बिस्तरों में सुखाया जाना चाहिए और इसके निपटान पद्धति को तय करने के लिए ऐसे सूखे कीचड़ का परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसे एफ्लुएंट और कीचड़ के सुपुर्दगी/निपटान से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए इस प्रकार का विश्लेषण/परीक्षण निर्धारित किया गया है।

रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी में एफ्लुएंट/कीचड़ की सुपुर्दगी/निपटान की प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की जांच से निम्नलिखित का पता चला:-

- i. ऐसी इकाइयों से तरल अपशिष्ट निस्तारण का विश्लेषण 40 इकाइयों में उपचार से पहले नहीं किया गया था।
- ii. ऐसे ईटीपी/एसटीपी से उपचारित एफ्लुएंट का विश्लेषण 14 इकाइयों में नहीं किया गया था।
- iii. 12 इकाइयों के मामले में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी के पास पर्याप्त कीचड़ सुखाने वाले बिस्तर उपलब्ध नहीं थे।
- iv. 53 इकाइयों में, ईटीपी/एसटीपी से उत्पन्न कीचड़ की इसकी निपटान विधि का पता लगाने के लिए जांच नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, ईटीपी/एसटीपी से उत्पन्न कीचड़ का निपटान स्थापित मानदंडों के अनुसार अनिवार्य जांच के बिना किया गया था ।

### 4.3 जल पुनःचक्रण संयंत्रों (डब्ल्यूआरपी) का प्रावधान

जल पुनःचक्रण औद्योगिक, आवासीय, नगर निगम के स्रोतों से पुनः दावा करने को पुनः उपयोग के लिए अपशिष्ट जल को टीट करके और शुद्ध करके अपशिष्ट जल का संदर्भित करता है। उपचार की सीमा के आधार पर, पुनः दावा किए गए जल का उपयोग निकृष्ट सेवाओं जैसे कोच धोने, प्लेटफार्म एप्रन की सफाई, बागवानी आदि के लिए किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से निर्देश<sup>58</sup> (जुलाई 2008 और अगस्त 2008) दिया कि वह ऐसे स्टेशनों और शेडों में डब्ल्यूआरपी उपलब्ध कराए जहां जल की कमी है और जल की मांग अधिक है। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक जोन में एक ए1 श्रेणी के स्टेशन पर डब्ल्यूआरपी के प्रावधान पर जोर<sup>59</sup> दिया (मार्च 2015) गया था। रेलवे बोर्ड ने विशेष रूप से कहा (दिसंबर 2015) कि डब्ल्यूआरपी का प्रावधान सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में 102 चयनित प्रमुख स्टेशनों में डब्ल्यूआरपी के प्रावधान की प्रास्थिति की जांच की गई। निर्देश दिए जाने के 10 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद, नमूना जांच किए गए 102 में से 86 प्रमुख स्टेशनों में डब्ल्यूआरपी का प्रावधान मार्च, 2020 तक पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार, ताजा जल के उपयोग को कम करने के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू, जिससे जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिला, पर रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

रेल मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह भी पता चला (2019) कि उनके अध्ययन में शामिल 720 स्टेशनों में से केवल 25 प्रतिशत स्टेशनों में जल संरक्षण उपायों और जल सुधार का प्रावधान था। क्यूसीआई के अध्ययन में शामिल नौ प्रतिशत स्टेशनों पर जल सुधार/अपशिष्ट जल उपयोग उपलब्ध था। यह इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों (2008) के बावजूद जल संरक्षण के पहलू पर खराब प्रतिक्रिया का संकेत है।

### 4.4 कोचिंग डिपो और कार शेड में स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) का प्रावधान

स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट (एसीडब्ल्यूपी) कोचों/ट्रेनों के लिए एक बहुस्तरीय बाहरी सफाई प्रणाली है, जिसमें दबाव वाले साबुन के साल्युशन और जल के जेट का उपयोग करके एक रेक में कोचों के पूर्ण बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए रोटेटिंग नायलॉन और कॉटन कंसाइनेशन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जबकि कोचिंग डिपो की पिट-लाइन पर इसे रखा गया हो। एसीडब्ल्यूपी के उपयोग से ताजा जल की खपत को कम करने के साथ-साथ कम अपशिष्ट जल के उत्पादन में मदद मिलती है

<sup>58</sup> पत्र सं.2006/एलएमबी/09/01 दिनांक 19.07.2006 और 04.08.2008

<sup>59</sup> पत्र सं.2015/एलएम (पीए)/08/08डब्ल्यूआरपी दिनांक 04.03.2015

जिसके परिणामस्वरूप जल का संरक्षण होता है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को सभी प्रमुख कोचिंग डिपो और कार शेड पर प्राथमिकता के आधार पर एसीडब्ल्यूपी उपलब्ध कराने के निर्देश<sup>60</sup> दिए (अक्टूबर 2017)। भारतीय रेल जल नीति, 2017 में एसीडब्ल्यूपी के प्रावधान के पहलू पर भी जोर दिया गया। कोचिंग डिपो/कार शेड में 2017-2020 के बीच 63 एसीडब्ल्यूपी का प्रावधान संस्वीकृत किया गया था। हालांकि, काम की प्रगति बहुत धीमी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- i. केवल नौ मामलों में एसीडब्ल्यूपी उपलब्ध कराने का कार्य मार्च 2020 तक पूरा हुआ था।
- ii. 43 मामलों में एसीडब्ल्यूपी उपलब्ध कराने पर कार्य बिल्कुल शुरू नहीं हुआ।
- iii. आठ मामलों में अभी कार्य चल रहा है।
- iv. पश्चिम रेलवे के तीन मामलों में कार्य की प्रगति की पुष्टि करने के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, कार्य की प्रगति से यह स्पष्ट है कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए इस तरह के एक प्राथमिकता वाले कार्य पर अपेक्षित प्रयास में गंभीरता का अभाव था। ताजा जल की खपत को कम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के परिणामी लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

#### 4.5 पर्यावरण संबंधी कार्यों (इआरडब्ल्यू) के लिए सृजित निधियों से संस्वीकृत अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति

स्वच्छ पर्यावरण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय प्रभाव के शमन के प्रति विभिन्न सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड ने पीएच-17 (कंप्यूटरीकरण) को छोड़कर सभी योजना प्रमुखों के लिए कार्य अनुमानों के एक अभिन्न भाग के रूप में पर्यावरण संबंधी कार्यों (ईआरडब्ल्यू) को शामिल करने का निर्णय<sup>61</sup> लिया। इआरडब्ल्यू के लिए प्रावधान एक मद के रूप में या एकमुश्त आधार (कार्य की लागत के 1 प्रतिशत के बराबर) पर किया गया था। ईआरडब्ल्यू के लिए एकमुश्त प्रावधान के उद्देश्य से ईबीआर (आईएफ) के प्रभार्य कार्यों को बाहर रखा जाना था। इन चिन्हित कार्यों को जोन/डिवीजन/पीयू के इएनएचएम विंग द्वारा समन्वित/प्रबंधित किया जाना है और ऐसे कार्यों को सामान्यतया दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ईटीपी/एसटीपी, डब्ल्यूआरपी, एसीडब्ल्यूपी, कंपोस्ट में अपशिष्ट, उर्जा संयंत्रों में अपशिष्ट आदि जैसे अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुछ

<sup>60</sup> पत्र सं.2001/एम1/141/1 खंड-1 दिनांक 20.04.2010 and 27.10.2017

<sup>61</sup> पत्र सं.2016/ईएनएचएम/13/02 दिनांक 13.05.2016

मदों को ईआरडब्ल्यू की निर्दिष्ट सूची में शामिल किया गया था। चूंकि जोनल रेलवे में इआरडब्ल्यू की प्रगति धीमी रही है, इसलिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को अधिक गंभीर प्रयास करने और कार्यों को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के निर्देश<sup>62</sup> दिए (मार्च 2020)।

ईआरडब्ल्यू के तहत संचित निधियों के उपयोग पर स्थिति की समीक्षा से पता चला कि उद्देश्य के लिए सृजित निधियों का समीक्षाधीन अवधि के दौरान 53 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.1 ईआरडब्ल्यू के तहत अप्रयुक्त संचित निधियों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान ईआरडब्ल्यू के लिए संचित निधियाँ	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई निधि	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त रह गई निधियाँ	अप्रयुक्त निधियाँ (प्रतिशत में)
2015-16	0.48	0.00	0.48	100.00
2016-17	24.90	2.96	21.94	88.11
2017-18	83.74	30.21	53.53	63.92
2018-19	208.53	108.67	99.86	47.89
2019-20	285.17	137.86	147.31	51.66
<b>कुल</b>	<b>602.82</b>	<b>279.70</b>	<b>323.12</b>	<b>53.60</b>

पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए निर्मित निधियाँ पर्यावरण संबंधी कार्यों के पूर्ण होने की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहीं, जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.2- ईआरडब्ल्यू निधियों के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति (अनुलग्नक 4.1)

विवरण	संस्वीकृत संख्या	स्थान	संस्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की स्थिति (मार्च 2020)
ईटीपी/एसटीपी का प्रावधान	87	11 ज़ोन	83.17	26 (30 प्रतिशत)
डब्ल्यूआरपी का प्रावधान	54	13 ज़ोन	66.62	नौ (16 प्रतिशत)
खाद के लिए अपशिष्ट का प्रावधान	93	14 ज़ोन	20.59	30 (32 प्रतिशत)
ऊर्जा संयंत्र के लिए अपशिष्ट	5	04 ज़ोन	4.91	दो (40 प्रतिशत)

<sup>62</sup> पत्र सं. 2016/ईएनएचएम /13/02 दिनांक 12.03.2020

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संबंधी निर्माण कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए ईआरडब्ल्यू निधि के निर्माण का पूरा प्रयोजन ही रेलवे अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग के अभाव के कारण विफल हो गया था। परिणामतः इन पर्यावरण संबंधी निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाले परिकल्पितलाभ प्राप्त नहीं हुए। इन स्थानों पर अपशिष्ट जल प्रबंधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

#### 4.6 निष्कर्ष

रेलवे में पानी का प्रयोग स्टेशनों पर तथा कारखानों, शेड आदि इकाइयों में होता है। पानी के उपयोग में कमी और बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए भारतीय रेल की जल नीति के अनुसार ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी/एसीडब्ल्यूपी के लिए प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। एनजीटी ने यह भी निदेश किया था कि स्टेशनों/कोचिंग डिपो/यार्डों पर उत्पन्न अपशिष्ट ईटीपी/एसटीपी को भेजा जाना चाहिए और उसे भूमिगत जल में रिसने नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा के अध्ययन से पता चला कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए धन की उपलब्धता के बावजूद योजना के अनुसार ईटीपी/एसटीपी को चालू नहीं किया गया था। इसके अलावा, इनमें से कुछ को शुरू किया गया था, परंतु इनमें से अधिकतर क्रियाशील नहीं पाए गए। कुछ ईटीपी/एसटीपी में अपशिष्टों और कीचड़ के संचालन और निस्तारण की प्रक्रिया में कमियां पाई गई थीं। जल पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित नहीं किए गए थे जिससे स्वच्छ जल के प्रयोग को कम करने का उद्देश्य विफल हुआ। कोचिंग डिपो/कार शेड में एसीडब्ल्यूपीके संस्थापन की प्रगति बहुत धीमी पाई गई। परिणामस्वरूप, जल की खपत में कमी लाने का उद्देश्य अप्राप्य रह गया।

ईआरडब्ल्यू निधि के निर्माण का उद्देश्य, ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी, खाद संयंत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध कराने के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ करने की पहल अधूरी रह गई क्योंकि पर्यावरण से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति/प्रगति न होने के कारण निर्मित निधि का उपयोग नहीं किया गया।

#### लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- ईटीपी/एसटीपी के गैर-कार्यात्मक रहने के कारण अपशिष्ट जल के निर्वहन से पहले उसके उपचार की वैधानिक आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सका, इसके अलावा, भूजल/जल निकायों के दूषित होने की पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया।
- जल पुनर्चक्रण संयंत्र और स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र प्रदान करने में धीमी प्रगति ने भारतीय रेल जल नीति, 2017 में प्रमुखता से रखे गए ताजा और अपशिष्ट जल के बेहतर प्रबंधन के पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

## 4.7 सिफारिश

भारतीय रेल की जल नीति के तहत जल संरक्षण के लिए बनाए गए ईटीपी/एसटीपी, जल पुनर्चक्रण संयंत्र, स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र जैसे कार्यों के शीघ्र पूरा होने की निगरानी के लिए भारतीय रेल को एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।।

## रेलवे अस्पतालों में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

### लेखापरीक्षा उद्देश्य 4

क्या रेलवे अस्पतालों में उत्पन्न अपशिष्ट (जैविक अपशिष्ट) का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान लागू कानूनों और नियमों के अनुसार किया गया था

रेलवे चिकित्सा विभाग का उद्देश्य कुशल रेलवे संचालन के लिए जोनल स्तर पर रेलवे अस्पतालों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रीय स्तरों पर औषधालयों की स्थापना कर कर्मचारियों को फिट एवं स्वस्थ रखना है। इन इकाइयों द्वारा काफी मात्रा में जैविक अपशिष्ट पैदा किया जाता है। जैविक अपशिष्ट का अर्थ है मनुष्य के रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण या इनसे सम्बंधित अनुसंधान कार्यों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1998, 2016 एवं 2018 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैविक अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम (बीएमडब्ल्यू नियम) जारी किए हैं, जो देश में उत्पन्न जैविक अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु विनियामक ढांचा प्रदान करता है। इसमें पर्यावरण अनुकूल तरीके से जैविक अपशिष्टों का संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान शामिल है, जिससे जैविक अपशिष्ट उत्पादन में कमी लाई जा सके और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। रेलवे के 72 चयनित अस्पतालों के संबंध में लेखापरीक्षा में जैविक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान की प्रक्रिया की प्रभावकारिता और दक्षता की जांच की गई। कमियों के बारे में उत्तरवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की जा रही है।

### 5.1 जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण

बीएमडब्ल्यू नियमों के नियम 10 में यह निर्धारित किया गया है कि इस तरह की सुविधा में जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्रत्येक अभिग्राही<sup>63</sup> को एसपीसीबी से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। अभिग्राही को नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र-II में विवरण भरने की आवश्यकता होती है, जैसे उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा, उपचार एवं निपटान की विधि, जैविक अपशिष्ट के परिवहन साधन विधि और उपलब्ध अपशिष्ट उपचार उपकरण का विवरण। प्रत्येक अभिग्राही को बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना जैविक अपशिष्ट का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

<sup>63</sup> किसी भी रेलवे स्वास्थ्य सुविधा के सदस्य में; जिसमें निम्नतम क्षेत्र स्तर पर डिस्पेंसरी भी शामिल हैं।

यह पाया गया कि 26 अस्पतालों (अनुलग्नक 5.1) के संबंध में संबंधित एसपीसीबी से अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था। इसके निम्नलिखित कारण हैं:-

- निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं (पूरी) के साथ अनभिज्ञता।
- उच्च अधिकारियों (पूरे) से निर्देशों की प्राप्ति न होना।
- एसपीसीबी (पूरे, दरे) में आवेदन फाइल न करना।
- एसपीसीबी आदि (पूरे, दपूरे, मेट्रो रेल) के साथ आवेदन का अनुसरण न करना।

अतः जैविक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय चिंता के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था।

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (मई 2022) कि रिपोर्ट में इंगित अस्पतालों के लिए प्राधिकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया कई अस्पतालों के लिए शुरू की गई बताई गई थी।

## 5.2 जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण के नवीकरण में विलम्ब होना/ नवीनीकरण में अनिरंतरता

बीएमडब्ल्यू के नियम 10 के साथ पठित फॉर्म-II में जैविक अपशिष्ट का संचालन करने वाले प्रत्येक अस्पताल द्वारा पिछले प्राधिकरण की समाप्ति से पूर्व एसपीसीबी से नए प्राधिकार को प्राप्त करने का प्रावधान है। अस्पताल के कार्यकलापों में किसी प्रकार के परिवर्तन, जैसे बेड की संख्या में वृद्धि, जैविक अपशिष्ट के संचालन की प्रक्रिया में परिवर्तन; के लिए एक नया प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में प्राधिकरण के नवीकरण में विलम्ब होना/ जारी न करना के पहलू की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि 24 रेलवे अस्पतालों (अनुलग्नक-5.2) के संबंध में प्राधिकरण का समय पर नवीकरण नहीं किया गया। विलंब/जारी न करना दो मामलों में एक से छह महीने के बीच, तीन मामलों में छह से 18 महीने से अधिक, तीन मामलों में 18 से 30 महीने से अधिक और यहां तक कि 16 मामलों में 30 महीने से अधिक था। प्राधिकरण में विलंब/जारी न करने के निम्न कारण थे:-

- आवेदन फाइल करने में विलंब (पूरे, पूरी, परे, आरपीयू);
- एसपीसीबी (परे) के साथ फाइल आवेदन का गैर-अनुसरण, उच्च अधिकारियों से निर्देशों का प्राप्त नहीं होना (पूरे); अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं होना (दमरे)।

- ईटीपी/एसटीपी की संस्थापना की आवश्यकता के लिए एसपीसीबी द्वारा नवीकरण के लिए इनकार किया जाना (उरे, उपरे, दमरे, पमरे)
- एसपीसीबी (पमरे) को जमा नहीं किए गए आवश्यक दस्तावेज/सूचना और ईटीपी (दरे) में निपटान से पहले अपशिष्ट को इकट्ठा नहीं करना और उसको कीटाणु रहित नहीं करना (दरे)।

यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण के नवीकरण के संबंध में कुशल मॉनिटरिंग के अभाव के कारण प्राधिकरण में ऐसा विलंब/रुकावट हुई थी।

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2022) कि कई मामलों में प्राधिकरण के लिए अनुमोदन प्रक्रियाधीन है और कुछ मामलों में, संबंधित एसपीसीबी से प्रतिक्रिया में भी देरी हो रही है।

### 5.3 जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए अस्पतालों में अवसंरचना का निर्माण

बीएमडब्ल्यू नियमों का नियम 4 यह निर्धारित करता है कि जैविक अपशिष्ट का संचालन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ये नियम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि अस्पताल के परिसर में इन अपशिष्टों को कंटेनर में रंगीन बैगों में रखने के लिए संरक्षित, हवादार और सुरक्षित स्थान की सुविधा दी जानी चाहिए। इन स्थानों से जैविक अपशिष्ट को उचित उपचार और निपटान के लिए सीधे सामान्य जैविक अपशिष्ट उपचार सुविधा<sup>64</sup> में ले जाया जाएगा। नियम 4(के) निर्धारित करता है कि अस्पताल प्राधिकरण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार द्रव अपशिष्टों का उपचार और निपटान के साथ साथ अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) /मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) के प्रावधान सुनिश्चित करें।

जैविक अपशिष्ट के संचालन के लिए निर्मित अवसंरचना से संबंधित लेखापरीक्षा में संबंधित अभिलेख की जांच करने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकला:-

- 14 जनों के 46 अस्पतालों (अनुलग्नक 5.3) में जैविक अपशिष्ट के भण्डारण के लिए सुरक्षित कमरे का प्रावधान मौजूद नहीं था,
- 54 अस्पतालों में तरल अपशिष्ट के उपचार के लिए ईटीपी/एसटीपी का प्रावधान नहीं किया गया था (अनुलग्नक- 5.3)।
- अवसंरचना के इस प्रकार के गैर-निर्माण के लिए कोई विशेष कारण ज्ञात नहीं किए जा सके।

<sup>64</sup> एसपीसीबी द्वारा 75 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई भी अधिकृत उपचार सुविधा

इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि पर्यावरण के ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं की मॉनिटरिंग में बहुत कम कुशलता दिखाई देती है। जैविक अपशिष्ट के संपर्क में आने वाले अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके परिणामी दुष्प्रभावों से इंकार नहीं किया जा सकता।

एमओआर ने उत्तर में कहा (मई 2022) कि तरल रासायनिक अपशिष्ट के उपचार के लिए ईटीपी/एसटीपी और बायो-मेडिकल वेस्ट के भंडारण के लिए सुरक्षित कमरा उपलब्ध कराया गया था लेकिन उनके दावे के समर्थन में कोई सबूत/दस्तावेज नहीं दिया गया था।

#### 5.4 भंडारण से पहले जैविक अपशिष्ट का पूर्व-उपचार

बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 4, अनुसूची-I और प्रपत्र-II में भंडारण से पहले जैविक अपशिष्ट के पूर्व-उपचार को निर्धारित किया गया है। इस प्रकार के अपशिष्ट में प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट, रक्त के नमूने, रक्त बैग और अन्य नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्ट शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट के लिए उपचार की विधि नियमावली की अनुसूची-I में भी निर्धारित है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इस प्रकार के अपशिष्टों को पूर्व-उपचार के बाद बंडल बनाकर अंतिम निपटान के लिए सामान्य जैविक अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजना होता है।

लेखापरीक्षा ने चयनित रेलवे अस्पतालों में विभिन्न जैविक अपशिष्टों के पूर्व-उपचार की स्थिति का आंकलन किया और पाया कि:-

1. 5 जोन के 13 अस्पतालों में प्रयोगशाला अपशिष्ट का पूर्व-उपचार नहीं किया गया था,
2. 6 जोन के 13 अस्पतालों में सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट का आवश्यक पूर्व-उपचार नहीं किया गया था,
3. 7 जोन के 15 अस्पतालों में रक्त के नमूनों का पूर्व-उपचार नहीं किया गया था। इसी प्रकार, 8 जोनों के 18 अस्पतालों में रक्त की थैलियों का निर्दिष्टपूर्व-उपचार नहीं किया गया।
4. 7 जोन के 14 अस्पतालों में अन्य नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्टका आवश्यक पूर्व-उपचार नहीं किया गया था।

(अनुलग्नक- 5.4)

इस प्रकार, जैविक अपशिष्ट के पूर्व-उपचार के लिए बीएमडब्ल्यू नियमावली में निहित शर्तों का प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन

न होने के कारण ऐसे अपशिष्ट के संपर्क में आने वाले अस्पताल के कर्मचारियों, मरीजों और आगंतुकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणामी दुष्प्रभावों से इंकार नहीं किया जा सकता।

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2022) में कहा कि रेलवे अस्पताल भंडारण से पहले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का पूर्व उपचार सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रेल मंत्रालय ने उनके दावे की सत्यता का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

### 5.5 द्रव रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण और पूर्व-उपचार

जैसा कि बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 4 और अनुसूची I और III में निर्धारित किया गया है, द्रव रासायनिक अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक् किया जाना चाहिए और इसका पूर्व-उपचार जल अधिनियम के अनुसार अन्य अपशिष्ट जल के साथ इसके मिश्रण से पूर्व किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त निस्तारण निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो। इन प्रावधानों के अनुपालन पर संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकला:-

1. नियमावली में निर्दिष्ट द्रव रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण 9 जोन के 22 अस्पतालों में नहीं किया गया था।
2. 12 जोन के 29 अस्पतालों में द्रव अपशिष्ट का उपचार जल अधिनियम में निर्धारित शर्तों (अनुलग्नक 5.5) के अनुसार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अस्पताल अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की कमी के कारण विशेष रूप से अस्पताल के कर्मचारियों, मरीजों और आगंतुकों तथा सामान्य रूप से जनता की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सांविधिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया था।

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2022) में कहा कि रेलवे अस्पताल तरल रासायनिक कचरे का पृथक्करण और पूर्व उपचार सुनिश्चित कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि ईटीपी/एसटीपी के प्रावधान की योजना बनाई जा रही है।

### 5.6 जैविक अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) के लिए उचित भंडारण सुविधा

बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 8 में निर्धारित है कि किसी भी अस्पताल में एकत्रित जैविक अपशिष्ट का इस प्रकार भंडारण किया जाना चाहिए कि उसमें किसी अन्य प्रकार के अपशिष्ट का मिश्रण नहीं हो और पशुओं द्वारा कोई बिखराव या फैलाव नहीं होना चाहिए। नियमावली में यह भी निर्धारित है कि अनुपचारित जैविक

अपशिष्ट का 48 घंटे की अवधि से अधिक संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के अपशिष्ट का भंडारण निर्दिष्ट अवधि से अधिक करना आवश्यक हो जाता है तो निर्धारित अधिकारी (एसपीसीबी) को इसके बारे में ऐसा करने के कारणों सहित सूचना दी जानी चाहिए। नियम यह भी निर्धारित करता है कि जो कंटेनर/बैग में पृथक जैविक अपशिष्ट भंडारित है, उन पर बीएमडब्ल्यू नियमावली की अनुसूची-IV के अनुसार लेबल लगाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने जैविक अपशिष्ट के उचित भंडारण के लिए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के स्तर की जांच की और निम्नलिखित कामिया पाई गई (अनुलग्नक 5.6):-

1. छः ज़ोन के नौ अस्पतालों में ऐसे स्थानों में जहाँ बीएमडब्ल्यू का ढेर है, मनुष्यों के साथ किसी भी संपर्क से बचने अथवा जानवरो द्वारा बिखराव/ फैलाव से बचाने के लिए घेराबंदी नहीं पाई गई।
2. तीन ज़ोन के सात अस्पतालों में निर्धारित अड़तालीस घंटे से भी अधिक समय तक जैविक अपशिष्ट का संग्रह किया गया था। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता कि एसपीसीबी को अनुमत्त सीमा से अधिक जैविक अपशिष्टों के संग्रहण के बारे में सूचित किया गया था।
3. इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि पांच ज़ोनों के छः अस्पतालों में जैविक अपशिष्ट के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों/बैगों पर नियमावली के अनुसार आवश्यकतानुसार लेबल नहीं लगाया गया था।



दरे में चेन्नई मध्य डिवीज़नके रेलवे अस्पताल (पुराना), पेराम्बुर में खुले में पड़ा जैविक अपशिष्ट

जैविक अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण के इन महत्वपूर्ण विनियमों/शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जैविक अपशिष्ट का संचालन एवं भंडारण ठीक से किया जाए जिससे उसे मानव संपर्क से बचाया जा सके। बीएमडब्ल्यू नियमावली में निर्धारित शर्तों के विपरीत, इस प्रकार के

अपशिष्ट के संपर्क में आने वाले मरीजों, आगंतुकों और अन्य जनो के स्वास्थ्य पर प्रभाव से बचने के लिए जैविक अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग न होने के कारण सुरक्षा का मामला अनसुलझा रहा।

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2022) में बताया कि रेलवे अस्पताल जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित भंडारण और लेबलिंग सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर के साथ दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

## 5.7 जैविक अपशिष्ट के निपटान के लिए बीएमडब्ल्यू नियमावली के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन

बीएमडब्ल्यू नियमावली (नियम 8) जैविक अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए विभिन्न मानदंडों को निर्धारित करता है। जैविक अपशिष्ट को ले जाने वाले वाहन को बीएमडब्ल्यू नियमावली की अनुसूची-IV के अनुसार जैव-खतरनाक प्रतीक के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए, जो कि सीपीसीबी द्वारा दिसंबर 2016 में जारी दिशानिर्देशों में भी वर्णित है। पृथक जैविक अपशिष्ट युक्त कंटेनर अथवा बैगों को निपटान के लिए अस्पताल से बाहर भेजने से पहले इनको बार कोड किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस तरह के अपशिष्ट को ढोने वाले वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) होना चाहिए। नियम यह भी उपबंध करते हैं कि अस्पताल के अधिकारी को अपशिष्ट का समय पर संग्रहण और निपटान स्थल पर ले जाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। नियम यह भी उपबंध करते हैं कि अस्पताल के अधिकारियों को सामान्य जैविक अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालक द्वारा नियमों के अनुसार उपचार और निपटान किया जा रहा है कि नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की अनुमति दी जानी चाहिए।

कथित मानकों के अनुपालन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, चयनित रेल अस्पतालों में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया और निम्नलिखित स्थिति सामने आई:-

- i. चार जोन के छः अस्पतालों में निर्धारित नियमों के अनुसार जैविक अपशिष्ट को ढोने वाले वाहनों पर लेबल नहीं लगाया गया था।
- ii. 14 जोन के 41 अस्पतालों में जैविक अपशिष्ट युक्त कंटेनरों या बैगों की बार कोडिंग नहीं की गई थी। इसी प्रकार, 13 जोनों के 35 अस्पतालों में जैविक अपशिष्ट को ढोने वाले वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- iii. चार जोन के सात अस्पतालों में अस्पताल अधिकारियों द्वारा जैविक अपशिष्ट का सामयिक संग्रहण और परिवहन सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- iv. छः जोन के 15 अस्पतालों में सामान्य जैविक अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालकों द्वारा अस्पताल अधिकारियों को उपचार और निपटान की जांच करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

### (अनुलग्नक 5.7)

अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जैविक अपशिष्ट के उचित संग्रहण, परिवहन और निपटान के मानदंडों का पालन नहीं करना अस्पताल के अधिकारियों द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, जैविक अपशिष्ट के परिवहन की दोषपूर्ण प्रणाली, जैसे वाहन का जीपीएस सक्षम होना और अपशिष्ट पर

बार कोडिंग की अनुपस्थिति, के कारण जैविक अपशिष्ट का अन्य नगर-निगम ठोस अपशिष्ट के साथ निपटान के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में (मई 2022) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि रेलवे अस्पताल लेबलिंग, बार-कोडिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) प्रावधान और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के समय पर संग्रह के लिए मानदंड सुनिश्चित करेंगे।

## 5.8 अस्पताल स्तर पर जैविक अपशिष्ट का निपटान

बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 4, 5 और 7 में यह निहित है कि प्रत्येक अभिग्राही (रेलवे अस्पताल) रंगीन बैगों/कंटेनरों में पृथक किए गए जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करेगा और उसे उपचार, प्रसंस्करण और अंतिम निपटान के लिए सामान्य जैविक अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजेगा। नियम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि यदि सामान्य जैविक अपशिष्ट उपचार सुविधा 75 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है तो कोई भी अभिग्राही साईट पर उपचार और निपटान सुविधा स्थापित नहीं करेगा। यदि ऐसी सेवा उपलब्ध नहीं है, तो अभिग्राही, प्राप्त प्राधिकरण के अनुसार, इन्सिनेरेटर, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव और श्रेडर जैसे उपचार और निपटान के लिए आंतरिक सुविधा स्थापित करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा रेलवे अस्पतालों में जैविक अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया और यह पाया गया कि:-

- i. छः जोन के नौ अस्पतालों में सामान्य चिकित्सा संचालक की सुविधा 75 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होने के बावजूद भी इन अस्पतालों द्वारा जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन विभागीय तौर पर किया गया, यद्यपि इन अस्पतालों में आंतरिक उपचार के उपकरण (जैसे इन्सिनेरेटर, ऑटोक्लेट्स, या माइक्रोवेव और श्रेडर) उपलब्ध नहीं थे।
- ii. 9 जोन के 15 अस्पतालों में ऐसा कोई संचालक 75 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध नहीं था। इन अस्पतालों द्वारा विभागीय रूप से जरूरी उपचार/ निपटान किया गया यद्यपि जैविक अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिए उनके पास आंतरिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अभाव में कुछ अस्पतालों ने जनता के स्वास्थ्य का जोखिम उठाते और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव डालते हुए विभागीय तौर पर जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन किया। इससे अस्पताल के अधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे की अप्रभावी मॉनिटरिंग सामने आई।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में (मई 2022) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि रेलवे अस्पताल अब आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सीबीडब्ल्यूटीएफ में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि, रेलवे अस्पतालों द्वारा इस संबंध में आवश्यक सुविधा सुनिश्चित किए बिना विभागीय रूप से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार का सहारा लेने के पहलू पर उत्तर मौन है।

### 5.9 बीएमडब्ल्यू नियमावली के तहत आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट की गैर-प्रस्तुति

बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 13 में निर्धारित किया गया है कि स्वास्थ्य सेवा सुविधा (रेलवे अस्पताल) के प्रत्येक अभिग्राही को निर्धारित नियमों के तहत प्रपत्र-IV में निर्धारित प्राधिकरण (एसपीसीबी) को एक वार्षिक रिपोर्ट 30 जून या उससे पहले, प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में विभिन्न सूचना शामिल है जिसमें विभिन्न बातों के साथ-साथ सांविधिक प्राधिकार/सहमति की स्थिति, अस्पतालों के जी.पी.एस. निर्देशांक, श्रेणीवार उत्पन्न किये गए अपशिष्टों की मात्रा, आंतरिक भण्डारण और उपचार सुविधाओं का विवरण, द्रव अपशिष्ट उत्पादन और उपचार विधियाँ आदि का विवरण शामिल है। इसके पश्चात एसपीसीबी द्वारा इन रिपोर्टों का संकलन, समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद सीपीसीबी द्वारा और अंत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 72 रेल अस्पतालों की लेखापरीक्षा में सांविधिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निष्कर्ष निकला:-

- i. केवल आठ जोन के 11 अस्पतालों ने ही सभी पांच वर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- ii. सात जोन के नौ अन्य अस्पतालों ने आंतरायिक अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- iii. 16 जोन के शेष 52 अस्पतालों ने पाँच वर्षों में एक भी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी (विवरण अनुलग्नक-5.8 में दिया गया है)।

इस प्रकार, रेलवे अस्पताल के अधिकारियों द्वारा बीएमडब्ल्यू नियमावली के अनुपालन के अभाव में जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित मॉनिटरिंग व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में (मई 2022) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि रेलवे अस्पताल जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

### 5.10 जैविक अपशिष्ट का संचालन करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रशिक्षण

बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 4 के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (रेलवे अस्पताल) के प्रत्येक अधिग्राही का यह कर्तव्य है कि वह जैविक अपशिष्ट के संचालन में शामिल कर्मचारियों का सेवा में प्रवेश के समय और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करे और उसके लिए रिकॉर्ड बनाए। इस नियम में स्वास्थ्य कर्मियों के जैविक अपशिष्ट का संचालन करने से होने वाले रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। नियम में ऐसे स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को प्रवेश के समय और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार उचित प्रशिक्षण दिए जाने और वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे प्रशिक्षण का विवरण दिए जाने का प्रावधान है।

कुछ चयनित अस्पतालों द्वारा कथित नियम के अनुपालन की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई, जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकला :-

- i. नौ जोन के 13 रेल अस्पतालों में समीक्षा अवधि (2015-16 से 2019-20) के दौरान जैविक अपशिष्ट का संचालन करने वाले कर्मचारियों की निर्धारित स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। पांच जोन के सात अस्पतालों में इस तरह के स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था।
- ii. आठ जोन के 14 अस्पतालों में समीक्षा अवधि के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यकर्ताओं को प्रतिरक्षित नहीं किया गया। इसके अलावा 11 जोन के 23 अस्पतालों में जहां टीकाकरण किए जाने का दावा किया गया था, उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।
- iii. नौ जोन के 15 अस्पतालों में स्वास्थ्य रक्षा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाये गये थे। हालांकि छः जोन के 12 अस्पतालों में जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहां इनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।
- iv. 14 जोनों के 46 अस्पतालों में संविदा में जैविक अपशिष्टों के निपटान में शामिल केवल कुशल कर्मचारियों (आउटसोर्स के मामले में) की नियुक्ति के लिए उपनियम को शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 2015-2016 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों की 7 जोन के 14 अस्पतालों में

स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी और आठ जोन के 15 अस्पतालों में निर्धारण अनुसार ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिरक्षण नहीं किया गया था।

इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अस्पताल के अधिकारी जैविक अपशिष्ट के संचालन में शामिल अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा की मॉनिटरिंग करने और इसको सुनिश्चित करने के लिए गंभीर नहीं थे।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में (मई 2022) कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणी में उल्लिखित कई रेलवे अस्पतालों ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को संभालने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है।

### 5.11 जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था की मौजूदगी

बीएमडब्ल्यू नियमावली के नियम 4 में यह प्रावधान है कि स्वास्थ्य सुविधा के प्रत्येक अधिग्राही (रेलवे अस्पताल) को मौजूदा समिति या नई समिति के माध्यम से जैविक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। ऐसी समिति की बैठक प्रति छः महीनों में एक बार होगी और वार्षिक रिपोर्ट के साथ बैठकों के कार्यवृत्त का रिकार्ड भी एसपीसीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्धारित समीक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली की प्रभाविकता का मूल्यांकन चुने हुए रेल अस्पतालों की लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था और निम्नलिखित निष्कर्ष निकला:-

- i. 52 अस्पतालों में समीक्षा और मॉनीटरिंग समिति स्थापित नहीं हुई थी।
- ii. 20 अस्पतालों में स्थापित ऐसी समिति में से केवल 11 अस्पतालों में छमाही बैठक हुई (विवरण अनुलग्नक-5.9 में दिया गया है)।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैविक अपशिष्ट के संचालन की प्रक्रिया की उचित मॉनिटरिंग के लिए सांविधिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पृथक्करण की गुणवत्ता, संग्रह, उपचार, भण्डारण और जैविक अपशिष्ट के निपटान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में (मई 2022) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि रेलवे अस्पतालों ने जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा और निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की पहल की है।

## 5.12 निष्कर्ष

भारतीय रेल देश भर में सबसे बड़ी चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान करता है जो प्रतिदिन विशाल मात्रा में जैविक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। जैविक अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, भंडारण और निपटान से संबंधित प्रक्रियाओं में कई कमियाँ पायी गईं।

बीएमडब्ल्यू नियमावली के अनुपालन में एसपीसीबी से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त नहीं किए गए और प्राधिकार के अनिवार्य नवीकरण की मांग में विलंब हुआ/नवीनीकरण में अनिंतरता पायी गई।

जैविक अपशिष्टों के संचालन के लिए अपेक्षित अवसरचना मौजूद नहीं थी और लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए अस्पतालों में जैविक अपशिष्टों के संग्रहण की प्रक्रिया में कमी थी। उत्पादित द्रव रासायनिक अपशिष्ट का बीएमडब्ल्यू नियमावली के अनुसार पृथक्करण और पूर्व-उपचार नहीं किया गया था। जैविक अपशिष्ट को 48 घंटे की निर्धारित अवधि से अधिक संग्रहीत करते हुए पाया गया था।

लेखापरीक्षा को जैविक अपशिष्ट के परिवहन में महत्वपूर्ण कमियों<sup>65</sup> का पता चला। आवश्यक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए जो समितियां गठित करने की आवश्यकता थी, वे कुछ सुविधाओं/अस्पतालों में मौजूद नहीं थीं और निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट 2015 से 2020 के किसी भी वर्ष में एसपीसीबी को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों सहित आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य की आवश्यक जांच, प्रतिरक्षण और प्रशिक्षण अपर्याप्त थे क्योंकि कुछ चिकित्सा देखभाल सुविधाओं में प्रशिक्षण सहित अपेक्षित टीकाकरण और स्वास्थ्य जाँच उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

### लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- रेलवे अस्पताल एसपीसीबी से अपेक्षित प्राधिकार के बिना काम कर रहे थे और कुछ अन्य अस्पतालों में जो बीएमडब्ल्यू नियमावली का उल्लंघन कर रहे थे, प्राधिकार के अनिवार्य नवीकरण प्राप्त करने में विलंब/रूकावट पाई गई।
- रेलवे अस्पताल बीएमडब्ल्यू नियमावली के अपेक्षित प्रावधानों के अनुसार उत्पन्न जैविक/द्रव्य रासायनिक अपशिष्ट के उपचार और इस तरह के अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन की व्यवस्था करने में विफल रहे।
- कुछ सुविधाओं में बीएमडब्ल्यू नियमों के तहत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रूप से गठित की जाने वाली समितियां मौजूद नहीं थीं जिन अस्पतालों की

<sup>65</sup> परिवहन के लिए वाहनों में अनिवार्य लेबल, बार कोडिंग और जीपीएस सुविधाओं का प्रावधान

नमूना जांच की गई, उसमें से अधिकांश ने 2015 से 2020 तक किसी भी वर्ष में एसपीसीबी को निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

### 5.13 सिफारिश

*भारतीय रेल को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, संग्रहण, पूर्व-उपचार, पृथक्करण, भंडारण और निपटान के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*



## ई-अपशिष्ट का प्रबंधन

### लेखापरीक्षा उद्देश्य - 5

क्या रेलवे संस्थानों में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का मूल्यांकन, प्रबंधन और निपटान लागू नियमों के अनुसार किया गया है

भारतीय रेल यात्री आरक्षण केंद्रों, ईडीपी केंद्रों, अनारक्षित टिकेटिंग प्रणालियों, कार्यालयों में संबंधित आईटी संरचना के कम्प्यूटीकरण एवं सिग्नलिंग और दूर संचार सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यापक आईटी अवसंरचना के कारण ई-अपशिष्ट के प्रमुख उत्पादक में से एक है। अनुपयोगी घोषित किए मद्रों में कंप्यूटर, ई मॉनिटर, टीवी सेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सर्वर आदि को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई-अपशिष्ट कहा जाता है। अतः यह अत्यावश्यक है कि ई-अपशिष्ट की इस तरीके से पहचान, पृथक, भण्डारण और निपटान किया जाए जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक न हो और पर्यावरण के अनुरूप हो।

केंद्र सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 में अधिसूचित किया था, जिसने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2011 का स्थान ले लिया था। इन नियमों का उद्देश्य ई-अपशिष्ट से उपयोगी सामग्री की रिकवरी और/या पुनः उपयोग को सक्षम करना है, जिससे निपटान के लिए नियत खतरनाक अपशिष्ट कम हो और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सभी प्रकार के अपशिष्टों का पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

चयनित 86 इकाइयों (ईडीपी/पीआरएस/यूटीएस/जीएसडी) में अभिलेखों की संवीक्षा से कई कमियों का पता चला है, जैसे स्वीकार्य सीमा से अधिक ई-अपशिष्ट का भंडारण, एसपीसीबी को निर्धारित सूचना न देना और इन पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

### 6.1 ई-अपशिष्ट के संचालन के लिए समेकित निर्देशों और प्रशिक्षण की अनुपस्थिति

ई-अपशिष्ट से संबंधित नियम अक्टूबर 2016 में जारी किए गए थे। ई-अपशिष्ट नियमों में, ई-अपशिष्ट के संचालन और भंडारण की विशिष्ट प्रक्रिया है लेकिन अन्य कार्यालय मद्रों जैसे फर्नीचर आदि के लिए निर्धारित निराकरण प्रक्रिया का ई-अपशिष्ट के संबंध में पालन किया जा रहा था। इसके अलावा, किसी भी जोन में ई-अपशिष्ट

के प्रभावी भंडारण और निपटान के लिए जागरूकता को प्रभावित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार/कार्यान्वित नहीं किया गया था। इसलिए रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण के अभाव में, ई-अपशिष्ट के भंडारण और निपटान की व्यवस्था कमजोर और अपर्याप्त थी।

## 6.2 एसपीसीबी को निर्धारित प्रपत्र 3 प्रस्तुत करना

एसपीसीबी ने यह निर्धारित किया था कि प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट की मात्रा को मीट्रिक टन (एमटी) में रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यक जानकारी को प्रपत्र 2 में भरकर एसपीसीबी को प्रस्तुत किया जाए। प्रपत्र 2 के रिकॉर्ड के अनुसार उत्पन्न, पुनर्चक्रित और वर्ष के दौरान भंजक को बेचे गए ई-अपशिष्ट की मात्रा के डेटा निर्धारित फॉर्म 3 में एसपीसीबी को भेजना आवश्यक था। एसपीसीबी के निर्देशों पर अनुपालन की स्थिति की लेखापरीक्षा में जांच की गई और निष्कर्ष तालिका 6.1 में निम्नानुसार दर्शाए गए हैं:-

तालिका 6.1-एसपीसीबी के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

विवरण	एसपीसीबी के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति		
	ईडीपी केंद्र	पीआरएस/यूटीएस केंद्र	स्क्रेप डिपों (जीएसटी)
विशिष्ट केंद्रों पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट के संबंध में श्रेणी-वार जानकारी ई-अपशिष्ट नियमों में विनिर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र-2 में रिकॉर्ड नहीं की जा रही थी।	46 (53)	16 (16)	16 (17)
एसपीसीबी को निर्धारित प्रपत्र-3 में भरकर भेजा जाने वाले उत्पन्न, पुनर्चक्रित और वर्ष के दौरान भंजक को बेचे गए ई-अपशिष्ट की मात्रा का समेकित डाटा।	चूंकि विवरण फॉर्म 2 में दर्ज नहीं किए गए थे, इसलिए फॉर्म 3 की जानकारी का आकलन नहीं किया जा सका।		

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जांच की गई कुल इकाइयों को दर्शाते हैं।

निर्धारित प्रपत्र 2 और 3 में दी गई सूचना ई अपशिष्ट की उत्पन्न और निपटान गई मात्रा की मॉनिटरिंग के लिए थी। इसके लिए प्रपत्र 2 तथा प्रपत्र 3 में रिकार्ड की जाने वाली आवश्यक सूचना के अभाव में, न ही उत्पन्न ई-अपशिष्ट की मात्रा का

निर्धारण किया जा सका और न ही उस पर मॉनिटरिंग की जा सकी।  
(अनुलग्नक 6.1 और 6.2)

### 6.3 स्वीकार्य सीमा से अधिक ई-अपशिष्ट का भंडारण

ई-अपशिष्ट नियमों में 180 दिन की अवधि का भंडारण निर्धारित किया गया है और 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए एसपीसीबी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है (अधिकतम 365 दिन)। अभिलेखों<sup>66</sup> की संवीक्षा से पता चला कि काफी मात्रा में ई-अपशिष्ट का 180 दिनों से अधिक समय से निपटान नहीं हुआ था, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

1. 12 जून में ई-अपशिष्ट अनुमत 180 दिनों से अधिक संचयित किया गया था और उपलब्ध अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता कि 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद भंडारण के लिए एसपीसीबी की स्वीकृति की मांग की गई थी।
2. 2015 से 2020 की अवधि के दौरान अनुमति लिए बिना 180 दिनों की अवधि से अधिक संचय किए गए ई-अपशिष्ट की मात्रा 0.034 मीट्रिक टन से 30.5 मीट्रिक टन के बीच थी।

### 6.4 निष्कर्ष

भारतीय रेल नियमों के अनुपालन में ई-अपशिष्ट से निपटने की प्रणाली में पीछे था। इस संबंध में ई-अपशिष्ट के संचालन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। अभिलेखों के रख-रखाव, एसपीसीबीएस को शर्तों के फार्म प्रस्तुत करने तथा 180 से अधिक समय में अपशिष्ट भंडारण के लिए एसपीसीबी के अनुमोदन की मांग करने के बारे में ई-अपशिष्ट नियमों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

#### लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

रेलवे बोर्ड ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप ई-अपशिष्ट से निपटने के लिए अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के उपाय शुरू नहीं किए।

<sup>66</sup> स्क्रेप डिपो और डिवीजनल स्टोर पर रखे गए निराकरण रिपोर्ट, बिक्री और नीलामी रजिस्टर

## 6.5 सिफारिश

भारतीय रेल को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र तैयार करने के अलावा ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए उपाय शुरू करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 29 जून 2022



(सुनील दाढ़े)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 01 जुलाई 2022




(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक



अनुलग्नक - 1.1  
(पैरा 1.1)



अनुलग्नक - 1.2

(पैरा 1.3)

अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश

क्र. सं.	रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या और तारीख	विषय
1	2015/ओ एवं एम/6/1 दिनांक 07.04.2015	पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन निदेशालय का गठन
2	2015/ईएनएचएम/06/02 दिनांक 28.08.2015,	जोनल रेलवे में पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन (ईएनएचएम) विंगों के कार्यक्षेत्र और गठन पर नीति।
3	2018/ईएनएचएम/01/02 दिनांक 05.12.2018	ओए संख्या 141/2014 में 01.10.2018 को एनजीटी के निर्णय के संबंध में दिनांक 27.11.2018 को वी.सी. के माध्यम से हुई बैठक का कार्यवृत्त
4	06/टीजी-IV/10/स्वच्छता नीति दिनांक 04.01.2007	रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता/सफाई के लिए दिशानिर्देश
5	2018/ईएनएचएम (सीई)/01/02 दिनांक 17.04.2019	ओए संख्या 141/2014 में माननीय एनजीटी आदेश दिनांक 26.03.2019 के निर्देशों का लागू करना
6	2018/ईएनएचएम/01/02 दिनांक 13.05.2019	माननीय एनजीटी के निर्देशों का लागू करना
7	2015/पर्यावरण/01/03 दिनांक 30.04.2015	सलोनी सिंह बनाम यूओआई और अन्य के मामले में नई दिल्ली में एनजीटी के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण पर मामला।
8	2015/ईएनएचएम/08/01 (पीटी1) दिनांक 28.07.2016	"स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत मिशन" - स्टेशन परिसर में सफाई में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य बिंदु
9	2016/ईएनएचएम/06/10 दिनांक 05.09.2016	प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बायोडिग्रेडेबल (गीला) और गैर-बायोडिग्रेडेबल (सूखा) अपशिष्ट के लिए अलग कूड़ेदान का प्रावधान
10	2015/ईएनएचएम/06/06 दिनांक 03.02.2016	कॉरपोरेट्स और पीएसयू के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से पहचाने गए रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए दिशानिर्देश
11	97/टीजी-III/613/1 पं. दिनांक 02.06.1999	कूड़े का निपटान
12	2009/टीजी-III/600/25 दिनांक 13.09.2011	अपशिष्ट का निपटान (खानपान अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली)
13	2011/टीजी-III/600/45 दिनांक 02.11.2016	प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बायोडिग्रेडेबल (गीला) और गैर-बायोडिग्रेडेबल (सूखा) अपशिष्ट के लिए अलग कूड़ेदान का प्रावधान

क्र. सं.	रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या और तारीख	विषय
14	2006/एम आई/165/9 दिनांक 17.02.2016	ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश
15	2015/पर्यावरण/01/01 दिनांक 17.10.2016	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 आईआर की पहचान 'अपशिष्ट उत्पादक' के रूप में की गई है
16	2016/ईएनएचएम/06/16 दिनांक 09.12.2016	स्टेशनों और ट्रेनों की हाउसकीपिंग पर निष्पादन की समीक्षा के लिए 25.11.2016 को रेलवे बोर्ड में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।
17	2019/ईएनएचएम/11/01 दिनांक 19.08.2019	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
18	2019/ईएनएचएम/11/01 दिनांक 12.09.2019	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
19	2018/टीजी- IV/18/विविध/2/पीबीसीएम दिनांक 27.09.2019	प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन (पीबीसीएम)
20	2015/ई एवं एचएम/03/02 दिनांक 11.06.2015	पर्यावरण प्रत्याचन
21	2015/ईएनएचएम/12/02 दिनांक 01.02.2017	आईआर प्रतिष्ठानों की ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लिए नीति की पहल
22	99/एलएमबी/9/25 दिनांक 22.12.1999	जल पुनर्चक्रण संयंत्र
23	2006/एलएमबी/09/01 दिनांक 19.07.2006 और 04.08.2006	जल पुनर्चक्रण संयंत्र(डब्ल्यूआरपी)
24	2015/एलएम(पीए)/08/08/ डब्ल्यूआरपी दिनांक 04.03.2015	प्रमुख उपभोग केंद्रों पर जल पुनर्चक्रण संयंत्र की स्थापना
25	2001/एम आई/141/1 वॉल्यूम। मेंने दिनांक 20.04.2010	बी.ओ.ओ. मॉडल पर स्वचालित "ड्राइव-थ्रू" कोच वाशिंग प्लांट
26	2001/एम आई/141/1 वॉल्यूम। मेंने दिनांक 27.10.2017	पुनर्चक्रण सुविधा के साथ स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट का प्रावधान
27	2016/ईएनएचएम/13/02 दिनांक 13.05.2016	कार्यों के अनुमान में पर्यावरण संबंधी कार्यों का प्रावधान

क्र. सं.	रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या और तारीख	विषय
28	2016/ईएनएचएम/13/02 दिनांक 12.03.2020	जोनल रेलवे पर पर्यावरण संबंधी कार्यो(ईआरडब्ल्यू) के निष्पादन की मानीटरिंग

### विषय से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियम/आदेश (पैरा 1.3)

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, 8 और 25; पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का नियम 14;
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- परिसंकरमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016;
- बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001;
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- 2014 की ओ.ए. संख्या 141 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश दिनांक 18.03.2015, 01.10.2018, 22.01.2019, 26.03.2019, 04.12.2019 और 18.08.2020;
- लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा विशेषतया 2008-09 की रिपोर्ट संख्या 83, 2009-10 की 21, 2014-15 की 3 और 2015-16 की 38 के लिए समय- समय पर जारी निर्देश/सिफारिशें।

अनुलग्नक 1.3

पैरा 1.5 - नमूना चयन - लेखापरीक्षा अध्ययन के लिए नमूने के चयन का आधार

क्र. सं	विवरण	चयन का आधार
1	ए 1 श्रेणी के स्टेशन	प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में कुल चयन 3 होना चाहिए (एसईआर और एसईसीआर को छोड़कर, जहां केवल 2 ए 1 श्रेणी के स्टेशन उपलब्ध हैं)। एसईसीआर के मामले में, 2 ए1 श्रेणी के स्टेशनों का चयन किया गया था और एसईआर के मामले में, एक नंबर ए1 श्रेणी के स्टेशन यानी खड़गपुर का चयन किया गया
1(a)	ए एवं बी श्रेणी के स्टेशन	इन श्रेणियों में कुल इकाइयों का 10%, न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 के अधीन यादृच्छिक रूप से चुना जाना है
2	मुख्य कोचिंग डिपो	i) श्रेणी में 50% इकाइयाँ यदि 3 से कम हैं, तो बेतरतीब ढंग से चुनी जाने वाली इकाइयाँ = 1 ii) श्रेणी में 50% इकाइयाँ यदि 3 और 5 के बीच, यादृच्छिक रूप से चुनी जाने वाली इकाइयाँ = 2 iii) श्रेणी में 50% इकाइयाँ यदि 6 से ऊपर, यादृच्छिक रूप से चुनी जाने वाली इकाइयाँ = 3 (प्रत्येक पीयू में, न्यूनतम 5 दुकानों के अध्यक्षीन 25% विनिर्माण दुकानों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा)
3	मैकेनिकल वर्कशॉप	
4	सिग्नल एवं दूरसंचार वर्कशॉप	
5	इंजीनीरींग वर्कशॉप	
6	लोकोमोटिव शेड	
7	इएमयू/डीएमयू/मेमू कार शेड	
8	उत्पादन ईकाई	
9	केंद्रीय अस्पताल/सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/उत्पादन इकाइयां अस्पताल	
10	संभागीय अस्पताल अनुमंडल अस्पताल	प्रत्येक श्रेणी के लिए i) एक, जहां अस्पतालों की संख्या 04 से कम है, यादृच्छिक रूप से चुना जाना है ii) दो, जहां अस्पतालों की संख्या 04 के बराबर या उससे अधिक है, उन्हें यादृच्छिक रूप से चुना जाना है
11	वर्कशॉप अस्पताल	प्रत्येक जोन में एक अस्पताल, यदि उपलब्ध हो
12	ई-कचरे के लिए स्थान/लोकेशन	मैक्रो स्टडी- क्षेत्रीय मुख्यालयों/पीयू और 02 मंडलों के ईडीपी केंद्रों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाना है। सूक्ष्म अध्ययन- रेलवे बोर्ड की कार्य योजना में चिन्हित 37 स्टेशनों की सूची में से मैक्रो अध्ययन के लिए चयनित किसी भी मंडल में से 01 मंडल स्क्रैप डिपो और 01 स्टेशन।

अनुलग्नक 1.4 - (पैरा 1.5)  
नमूना चयन - स्टेशन और कोचिंग डिपो

जोनल रेलवे	ए1 श्रेणी के स्टेशन	ए और बी श्रेणी के स्टेशन	सी श्रेणी के स्टेशन	प्रमुख कोचिंग यार्ड
मरे	छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)	पनवेल		लोकमान्य तिलक टर्मिनस
	पुणे	भुसावल		
		वाडी		
	नासिक रोड	इगतपुरी		
पूरे	हावड़ा	बंदेल		टिकियापार
	सियालदाह	बर्धमान		
	भागलपुर			
पूमरे	धनबाद जं.	सोनेपुर		राजेंद्र नगर टर्मिनल
		हाजीपुर		दानापुर
	मुजफ्फरपुर	दानापुर		
	पटना	राजेंद्र नगर टर्मिनस		
पूतरे	विशाखापत्तनम	विजयनगरम		भुवनेश्वर
	भुवनेश्वर	कटक		पुरी
	पुरी			
उरे	नई दिल्ली	जालंधर कैंट		अमृतसर
	श्री माता वैष्णो देवी कटरा	रायबरेली		वाराणसी
	वाराणसी	बाराबंकी		हज़रत निज़ामुद्दीन
		राजपुरा जं.		दिल्ली एस रोहिल्ला
		रोहतक जं.		
		पानीपत		
		मुरादाबाद		
उमरे	प्रयागराज	आगरा फोर्ट		प्रयागराज
	झांसी	प्रयागराज छिविकी		
	आगरा			
उपूरे	लखनऊ	मंडुआडीह		गोरखपुर
	गोरखपुर	काठगोदाम		लखनऊ
	छपरा	बरेली सिटी		काठगोदाम
		हल्द्वानी		

जोनल रेलवे	ए1 श्रेणी के स्टेशन	ए और बी श्रेणी के स्टेशन	सी श्रेणी के स्टेशन	प्रमुख कोचिंग यार्ड
उसीरे	गुवाहाटी	न्यू कूचबिहार		डिब्रूगढ़
		दीमापुर		
	कटिहार	होजै		
	न्यू जलपाईगुड़ी	न्यू बोंगाईगांव		
दपूरे	खड़गपुर	रांची		संतरागाछी
		दीघा		हटिया
		शालीमार		
उपरे	अजमेर	बीकानेर		जोधपुर
		लालगढ़		बीकानेर
	जयपुर	गांधीनगर जयपुर		
	जोधपुर	राय-का-बाग		
दपरे	मैसूर	हुबली		बेंगलुरु
	बेंगलुरु	कृष्णाराजपुरम		
	यशवंतपुर	येलाहंका		
		पांडवपुरा		
दरे	पुरत्ची थलाइवर डॉ एम.जी.आर रेलवे स्टेशन सेंट्रल	तिरुचिरापल्ली जं.		बेसिन ब्रिज
	कोयंबटूर जं.	पलक्कड़ जं.		मंगलौर
	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	ओट्टापलम		तिरुवनंतपुरम
		मेलमारुवाथुर		
दमरे	सिकंदराबाद	नेल्लोर		सिकंदराबाद
	काचीगुडा	भीमावरम		विजयवाड़ा
	विजयवाड़ा	खम्मम		
		रामगुंडम		
दपूमरे	बिलासपुर	रायगढ़		बिलासपुर
	रायपुर	दुर्ग		
		गोंदिया		
पमरे	जबलपुर	सवाई माधोपुर		जबलपुर
	भोपाल	कटनी		
	कोटा	पिपरिया		
		होशंगाबाद		

जोनल रेलवे	ए1 श्रेणी के स्टेशन	ए और बी श्रेणी के स्टेशन	सी श्रेणी के स्टेशन	प्रमुख कोचिंग यार्ड
परे	मुंबई सेंट्रल	वलसाड		बांद्रा टर्मिनस
	वडोदरा	भरुच		अहमदाबाद
	बांद्रा टर्मिनस	बिलिमोरा		इंदौर
		दाहोद		
आरपीयू और मेट्रो रेलवे			दम दम एस्पलेनैड रवीन्द्र सदन कालीघाट महानायक उत्तम कुमार	
<b>कुल</b>	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>30</b>

अनुलग्नक 1.5

(पैरा 1.5) - नमूना चयन - वर्कशॉप, शेड और उत्पादन इकाइयां

जोनल रेलवे	वर्कशॉपएं			चयनित शेड			चयनित उत्पादन इकाइयां
	मैकेनिकल वर्कशॉप	एसएवंटी वर्कशॉप	इंजि. वर्कशॉप	डीजल लोको शेड	इलेक्ट्रिक लोको शेड	ईएमयू/डीए मयू कार शेड	
मरे	माटुंगा	बाइकुला	मनमाड	कल्याण	अजनी	कुर्ला	
	भुसावल						
पूरे	लिलुआहह	हावड़ा	मुगलसराय	हावड़ा	हावड़ा	बंदेल	
						हावड़ा	
पूमरे	समस्तीपुर			समस्तीपुर	गोमोह	सोनपुर	रेल व्हील पंत, बेला
पूतरे	मांचेश्वर			वाल्टेयर	अंगुल	खुर्दा रोड	
उरे	कालका	गाज़ियाबाद	जालंधर कैंट	लुधियाना	लखनऊ	जालंधर सिटी	
	लखनऊ			तुगलकाबाद	खनालम पुरा	कारशेड/ गाजियाबाद	मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली
							रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला
							डीएमडब्ल्यू/पटि याला
उमरे	झांसी		सीपीओएच/एसएफ जी/प्रयागराज	झांसी	कानपुर		
उपूरे	गोरखपुर		ब्रिज वर्कशाप, गोरखपुर	इज्जत नगर	गोंडा	औरिहार	
	गोरखपुर						
उसीरे	न्यू बोंगाईगांव		बोंगाईगांव	सिलीगुड़ी		सिलीगुड़ी	
दपूरे			सिनी वर्कशाप	खड़गपुर	संतरागा छी	टिकियापारा	
	खड़गपुर	खड़गपुर					
उपरे	अजमेर	अजमेर		भगत की कोठी		मेड़ता रोड	
	जोधपुर						
दपरे	हुबली			कृष्णाराजापु रम		बेंगलोर कैंट	रेल व्हील फैक्ट्री, येलहांका

जोनल रेलवे	वर्कशॉपएं			चयनित शेड			चयनित उत्पादन इकाइयां
	मैकेनिकल वर्कशॉप	एसएवटी वर्कशॉप	इंजि. वर्कशॉप	डीजल लोको शेड	इलेक्ट्रिक लोको शेड	ईएमयू/डीए मयू कार शेड	
दरे	पैराम्बुर	पोदनुर	अराकोणम	इराड़े	अराकोणम	ताम्बरम	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पैराम्बुर
				काजीपेट			
दमरे	लल्लागुडा	मेट्टुगुडा	लल्लागुडा	विजयवाड़ा	काजीपेट	मौला अली	
	गुंटपल्ली				विजयवाड़ा		
दपूमरे	रायपुर			रायपुर	भिलाई	भिलाई	
पमरे	भोपाल			नई कटनी जं.	न्यू कटनी जं.		
परे	लोअर परेल	साबरमती	साबरमती	वटवा	वडोदरा	मुंबई सेंट्रल	
	दाहोद					दाहोद	
आरपी यू और मेट्रो रेलवे कोलका ता	नोआपारा					नोआपारा	बनारस लोकोमोटिव वर्कस
						कबी सुभाष	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस
कुल	23	8	10	18	15	19	8

अनुलग्नक 1.6 (पैरा 1.5)  
नमूना चयन-केंद्रीय और मंडलीय अस्पताल

क्षेत्र	चयनित अस्पताल			
	केंद्रीय अस्पताल	मंडलीय अस्पताल	उपमंडलीय अस्पताल	वर्कशॉप अस्पताल
मरे	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल., भयखला, मुम्बई	कल्याण	इगतपुरी	
		नागपुर	कुरुद्वारी	
पूरे	बी.आर. सिंह अस्पतालकोलकाता	हावड़ा	अंदल	लिलुआह
		दानापुर	गया	
पूमरे	सेंट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना	सोनपुर		
पूतरे	केंद्रीय अस्पताल, भुबनेश्वर	वाल्टेयर		
उरे	सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आरडीएसओ, लखनऊ	मुरादाबाद	आनंद विहार टर्मिनल	जगाधरी
	केंद्रीय अस्पताल, ई एवं पीआई, नई दिल्ली	अम्बाला छावनी	अमृतसर	
	प्रोडक्शन यूनिट अस्पताल, एमसीएफ, रायबरेली			
उमरे	केंद्रीय अस्पताल, प्रयागराज	आगरा	कानपुर	
उपूरे	ललित नारायण मिश्रा रेलवे अस्पताल, गोरखपुर	वाराणसी	गोंडा	गोरखपुर
उपूसीरे	केंद्रीय अस्पताल, मालीगाँव	डिब्रूगढ़ टाऊन	न्यू जलपाईगुड़ी	
		कटिहार	रंगिया	
दपूरे	केंद्रीय अस्पताल, गार्डन रीच	खड़गपुर	भिलाई	
		आद्रा	टाटानगर	
उपरे	केंद्रीय अस्पताल, जयपुर	बीकानेर	बांदीकुई	
			आबू रोड	
दपरे	केंद्रीय अस्पताल, हुबली	मैसूर		
	रेलवे अस्पताल, रेल व्हील फैक्ट्री, येलहांका			
दरे	रेलवे अस्पताल, पैराम्बुर	गोल्डन रॉक	विल्लुपुरम	
	रेलवे अस्पताल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पैराम्बुर	अराकोनम	पोदानुर	
दमरे	केंद्रीय अस्पताल, लालागुड़ा	विजयवाडा	रायनपाडु	
		नांदेड़	पूर्णा	

क्षेत्र	चयनित अस्पताल			
	केंद्रीय अस्पताल	मंडलीय अस्पताल	उपमंडलीय अस्पताल	वर्कशॉप अस्पताल
दपूमरे	केंद्रीय अस्पताल, बिलासपुर	रायपुर		
पमरे	केंद्रीय अस्पताल, जबलपुर	कोटा	न्यू कटनी जंक्शन	
			गंगापुर सिटी	
परे	जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई सेंट्रल	रतलाम	वलसाड	दाहोद
		राजकोट		
आरपीयू और मेट्रो रेलवे	तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल, टॉलीगंज			
	केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू, वाराणसी			
	कस्तूरबा गांधी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू/चित्तरंजन			
<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>4</b>

अनुलग्नक 1.7 - (पैरा 1.5)

ईडीपी केंद्रों और स्क्रेप डिपो के चयन को दर्शाने वाली विवरण

जोनल रेलवे	जोनल ईडीपी सेंटर	मंडलीय ईडीपी केंद्र	मंडलीय स्क्रेप डिपो	स्टेशन (पीआरएस/यूटीएस)
मरे	ईडीपी केंद्र मुख्यालय	मुंबई, पुणे	मुंबई डिवीजन-एसएमएम (जी) करी रोड डिपो, मुंबई	पुणे
पूरे	जोनल मुख्यालय, हावड़ा	हावड़ा, सियालदाह	बेलूर स्क्रेप यार्ड	हावड़ा
पूमरे	जोनल मुख्यालय, हाजीपुर	दानापुर	स्क्रेप डिपो, सोनपुर गढ़हरा	राजेंद्र नगर टर्मिनल
		सोनपुर		
पूतरे	भुवनेश्वर	संबलपुर	स्क्रेप डिपो, मांचेश्वर	विशाखापत्तनम
		खुर्दा रोड		
उरे	मुख्यालय (स्टोर सैक्शन) नई दिल्ली	मुरादाबाद	जीएसडी/शकुरबस्ती (स्टोर सैक्शन)	नई दिल्ली
	डीएमडब्ल्यू/पटियाला	लखनऊ		
उमरे	ईडीपी केंद्र/मुख्यालय/प्रयागराज	झांसी	झांसी	आगरा कैंट.
		आगरा		
उपूरे	ईडीपी केंद्र, गोरखपुर	लखनऊ	गोरखपुर	मंडुआडीह
उसीरे	आईटी केंद्र / मुख्यालय / मालीगांव	लुमडिंग	पांडु	कटिहार
		अलीपुरद्वार		
उपरे	ईडीपी केंद्र- जयपुर (मुख्यालय)	बीकानेर, जयपुर	बीकानेर	अजमेर
आरपीयू और मेट्रो रेलवे	ईडीपी केंद्र /मेट्रो, कोलकाता, बनारस, चितरंजन	बीएलडब्ल्यू-सीएलडब्ल्यू-	स्क्रेप डिपो, नोआपारा	--
दरे	ईडीपी केंद्र, चेन्नई	चेन्नई	जीएसडी, पैराम्बुर	चेन्नई सेंट्रल
	ईडीपी केंद्र, आईसीएफ	पलक्कड़		
दमरे	मुख्यालय	सिकंदराबाद	लल्लागुडा	सिकंदराबाद
		विजयवाड़ा		

जोनल रेलवे	जोनल ईडीपी सेंटर	मंडलीय ईडीपी केंद्र	मंडलीय स्क्रेप डिपो	स्टेशन (पीआरएस/यूटीएस)
दपूरे	जोनल मुख्यालय / गार्डनरीच	रांची	खड़गपुर	रांची
		खड़गपुर		
दपूमरे	बिलासपुर	रायपुर	जीएसडी- रायपुर	बिलासपुर
		नागपुर		
दपरे	ईडीपी केंद्र/हुबली	हुबली	हुबली	मैसूर
	ईडीपी केंद्र/आरडब्ल्यूएफ	मैसूर		
परे	चर्चगेट, मुंबई	मुंबई सेंट्रल	महालक्ष्मी	मुंबई सेंट्रल
		अहमदाबाद		
पमरे	जबलपुर	जबलपुर	डिविज़न स्क्रेप डिपो	जबलपुर
		कोटा	जबलपुर	
कुल	22	31	17	16

अनुलग्नक- 2.1 - (पैरा 2.2)

उस जोन, डिवीजन और स्टेशन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण है जिसमें विभिन्न स्तरों पर जवाबदेह सत्त्व स्थापित नहीं किया गया था और बैठकों/संयुक्त निरीक्षणों का आयोजन किया गया नहीं पाया गया था।

क्र. सं.	जोन का नाम	प्रत्येक स्तर पर जवाबदेह सत्त्वों को स्थापित नहीं किया गया है			वर्ष 2019-20 में नहीं की गई बैठक/संयुक्त निरीक्षण		
		जोन	डिविजन	स्टेशन	जोन	डिविजन	स्टेशन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मरे	-	(01) सोलापुर	(04) इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाडी	-	(02) पुणे, सोलापुर	(04) इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाडी,
2	पूरे	01	(03) हावड़ा, सियालदाह, मालदा	(05) हावड़ा, बर्धमान, बंदेल सियालदाह भागलपुर	01	(03) हावड़ा, सियालदाह, मालदा	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल, सियालदाह, भागलपुर
3	पूतरे	-	-	-	-	-	(01) पुरी
4	उरे	-	(03) मुरादाबाद, दिल्ली और अंबाला	(05) नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, राजपुरा जं. एवं मुरादाबाद	01	(04) मुरादाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर और अंबाला	(10) वाराणसी, रायबरेली, बाराबंकी, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं.
5	उमरे	-	-	-	01	(03) प्रयागराज, आगरा, झांसी	(05) झांसी, प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट

क्र. सं.	जोन का नाम	प्रत्येक स्तर पर जवाबदेह सत्त्वों को स्थापित नहीं किया गया है			वर्ष 2019-20 में नहीं की गई बैठक/संयुक्त निरीक्षण		
		ज़ोन	डिविजन	स्टेशन	ज़ोन	डिविजन	स्टेशन
1	2	3	4	5	6	7	8
6	उपूरे	-	-	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी बरेली शहर	-	-	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी बरेली शहर
7	उपूसीरे	-	(03) लुमडिंग, रंगिया और कटिहार	(06) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार	01	(03) लुमडिंग, रंगिया और कटिहार	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू कूचबिहार, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार
8	उपरे	-	-	-	-	-	(03) गांधी नगर जयपुर, जोधपुर, राय का बाग
9	दरे	-	-	-	-	-	(02) तिरुचिरापल्ली जं. और मेलमारुवातुर,
10	दपूरे	-	-	-	-	-	(02) रांची और शालीमार
11	दपूमरे	-	(02) बिलासपुर, रायपुर	(04) बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, गोंदिया	-	(02) बिलासपुर रायपुर	(05) बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया

क्र. सं.	जोन का नाम	प्रत्येक स्तर पर जवाबदेह सत्त्वों को स्थापित नहीं किया गया है			वर्ष 2019-20 में नहीं की गई बैठक/संयुक्त निरीक्षण		
		ज़ोन	डिविजन	स्टेशन	ज़ोन	डिविजन	स्टेशन
1	2	3	4	5	6	7	8
12	दपरे	01	(02) बैंगलुरु, हुबली	(04) हुबली, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका	01	(02) बैंगलुरु, हुबली	(04) यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका हुबली
13	परे	-	(03) मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस वडोदरा, भरुच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद	01	(03) मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस वडोदरा, भरुच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद
14	पमरे	-	-	-		(01) जबलपुर	(04) होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी और पिपरिया
15	मेट्रो / कोलकाता	-	-	-	01	-	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट, महानायक उत्तम कुमार
	<b>कुल</b>	<b>02 जोन</b>	<b>17 डिवीजन</b>	<b>42 स्टेशन</b>	<b>07 जोन</b>	<b>23 डिवीजन</b>	<b>71 स्टेशन</b>

स्रोत- चयनित स्टेशनों और संबंधित डिवीजनों/जोनों के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 2.2

(पैरा 2.3 में संदर्भित)

उन स्टेशनों और कोचिंग डिपो का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनमें अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था और बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल के रूप में उत्पन्न अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया गया।

क्रम संख्या	जोन का नाम	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया (स्टेशन/कोचिंग डिपो)	कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	बायो और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	डिग्रेडेबल नॉन-बायोडिग्रेडेबल का पृथक्करण	कुछ वर्षों में किए गए जैव-डिग्रेडेबल का पृथक्करण	सफाई/कचरा उठा ने की संविदा बंद की गयी है
1	2	3	4	5	6	7	7
1	मरे	(04) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, वाड़ी, (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	-	(05) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पुणे, पनवेल और वाड़ी, (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	-	(03) इगतपुरी (07 माह) नासिक रोड (03 माह) भुसावल (12 माह)	
2	पूरे	(01) बर्धमान,	-	(05) हावड़ा, बर्धमान, बंदेल, सियालदाह, भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/टिकियापारा)	-	(02) बर्धमान (6 माह), भागलपुर (2 माह)	
3	पूमरे	-	(02) सोनपुर (19-20), मुजफ्फरपुर (19-20)	-	(05) सोनपुर (19-20), मुजफ्फरपुर (2019-20), हाजीपुर (2017-20), पटना (2018-20) और राजेंद्रनगर टर्मिनल (2018-20)	(01) सोनपुर (3 माह)	

क्रम संख्या	जोन का नाम	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया (स्टेशन/कोचिंग डिपो)	कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	बायो डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	कुछ वर्षों में किए गए जैव-डिग्रेडेबल का पृथक्करण	सफाई/कचरा उठा ने की संविदा बंद की गयी है
1	2	3	4	5	6	7
4	पूतरे	-	-	(05) विशाखापत्तनम, विजियानग्राम, भुवनेश्वर, कटक और पुरी (02) (कोचिंग डिपो/ पुरी और भुवनेश्वर)	-	(01) पुरी (2 माह)
5	उरे	(07) नई दिल्ली, रायबरेली, बाराबंकी, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट) (03) (कोचिंग डिपो/हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला और अमृतसर)	(02) राजपुरा (19-20), वाराणसी (19-20)	(08) नई दिल्ली, रायबरेली, बाराबंकी, वाराणसी, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट (03) (कोचिंग डिपो/हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला और अमृतसर)	(01) राजपुरा (19-20)	(06) (रायबरेली जं (4 माह) बाराबंकी (8 माह) पानीपत (2 माह), रोहतक (4 माह), राजपुरा (5 माह), जालंधर कैंट (2 माह)
6	उमरे	(04) झांसी, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो//प्रयागराज)	-	(04), झांसी, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो//प्रयागराज)	(01) प्रयागराज (केवल 2019-20 में किया गया)	(01) प्रयागराज छिवकी (15 माह)

क्रम संख्या	जोन का नाम	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण बिल्कुल नहीं किया गया (स्टेशन/कोचिंग डिपो)	कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	बायो डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	कुछ वर्षों में किए गए जैव-डिग्रेडेबल का पृथक्करण	सफाई/कचरा उठा ने की संविदा बंद की गयी है
1	2	3	4	5	6	7
7	उपरे	(01) बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो//गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम)	-	(01) मंडुआडीह, (03) (कोचिंग डिपो//गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम)	-	(02) हल्द्वानी (6 माह) और बरेली शहर एसटीएन। (2 माह)
8	पूसीरे	(05) दीमापुर, होजाई, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	(02) गुवाहाटी (2018-19 और 2019-20) केवल न्यू बोगीगांव (2018-19 और 2019-20)	(05) दीमापुर, होजाई, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	(02) गुवाहाटी (2018-19 और 2019-20) केवल न्यू बोगीगांव (2018-19 और 2019-20)	(01) गुवाहाटी (4 माह)
9	उपरे	(03) बीकानेर, लालगढ़, राय का बाग (01) कोचिंग डिपो/, बीकानेर	(03) जयपुर (19-20) अजमेर (19-20), गांधी नगर जयपुर (19-20)	(03) बीकानेर, लालगढ़ और राय का बाग, (02) (कोचिंग डिपो//बीकानेर और जोधपुर)	(04) अजमेर (19-20), जयपुर (2019-20) गांधी नगर जयपुर जोधपुर (19-20)	(02) जोधपुर (1 माह) गांधी नगर जयपुर (1 माह)
10	दरे	-	-	-	(01) कोचिंग डिपो//तिरुवनंतपुरम (2019-20)	(01) कोयंबटूर (4 माह),
11	दमरे	(02) (कोचिंग डिपो/विजयवाड़ा और	-	(01) भीमावरम (01) (कोचिंग डिपो/ विजयवाड़ा)	-	(02) नेल्लोर (9 माह)

क्रम संख्या	जोन का नाम	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण बिल्कुल नहीं किया गया (स्टेशन/कोचिंग डिपो)	कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	बायो डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	कुछ वर्षों में किए गए जैव-डिग्रेडेबल का पृथक्करण	सफाई/कचरा उठा ने की संविदा बंद की गयी है
1	2	3	4	5	6	7
		सिकंदराबाद)				भीमावरम (20 माह)
12	दपूरे	(02) खड़गपुर, शालीमार (01) (कोचिंग डिपो/संतारागाछी)	(01) दीघा (केवल 19-20 में किया) (01) (कोचिंग डिपो/ हटिया (2017 से 2020)	(02) खड़गपुर और शालीमार (01) (कोचिंग डिपो/संतारागाछी)	(01) दीघा (केवल 19-20 में किया गया)	-
13	दपूमरे	(01) गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/बिलासपुर)	(01) दुर्ग (15-16 और 18-19 केवल) -	(03) रायगढ़, गोंदिया, दुर्ग (01) (कोचिंग डिपो/बिलासपुर)	(01) रायपुर (केवल 19-20)	-
14	दपरे	(04) येलहांका, मैसूर, पांडवपुरा और हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	-	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	-	-
15	परे	(03) मुंबई सेंट्रल वलसाड एवं दाहोद, (03) (कोचिंग डिपो/बांद्रा टर्मिनस,	(04) बांद्रा टर्मिनस (19-20), बिलिमोरा जं (19-20), वडोदरा	(05) वलसाड, दाहोद, मुंबई सेंट्रल, वडोदरा और बिलिमोरा जेएन (03) (कोचिंग	(02) भरुच (19-20) बांद्रा टर्मिनस (19-20)	-

क्रम संख्या	जोन का नाम	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया (स्टेशन/कोचिंग डिपो)	कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	बायो डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	कुछ वर्षों में किए गए जैव-डिग्रेडेबल का पृथक्करण	सफाई/कचरा उठा ने की संविदा बंद की गयी है
1	2	3	4	5	6	7
		अहमदाबाद और इंदौर)	(18-20 केवल) और भरूच (17-20)	डिपो/बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद और इंदौर)		
16	पमरे	(02) भोपाल, होशंगाबाद,	(02) कोटा (19-20) सवाईमाधोपुर (19-20)	(06) जबलपुर, कटनी, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/जबलपुर)	-	(01) होशंगाबाद (20 महीना)
17	आरपीयू और मेट्रो रेल	-	(01) दम दम (19-20)	-		-
कुल		37 स्टेशन/ 18 कोचिंग डिपो	18 स्टेशन/01 कोचिंग डिपो	60 स्टेशन/ 22 कोचिंग डिपो	17 स्टेशन/01 कोचिंग डिपो	23 स्टेशन

स्रोत- संबंधित डिवीजनों/जोनों के चयनित स्टेशनों/कोचिंग डिपो का रिकॉर्ड

### अनुलग्नक 2.3

#### (पैरा 2.4 - सत्यापन योग्य संकेतक)

आईएसओ 14001 की उपलब्धि (प्रगति)	ठोस कचरे के अलग-अलग संग्रह के लिए आवश्यक और उपलब्ध कराए गए कूड़ेदानों के जोड़े	कूड़ा उठाने के ठेके की स्थिति (स्टेशन तक पहुंचने के लिए) (हां/नहीं)
वाटर ऑडिट (प्रगति)	अलग किए गए कचरे का परिवहन (हां/नहीं)	प्लेटफार्मों, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए नामित प्राधिकारी (सं.)
एनर्जी ऑडिट (प्रगति)	प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की योजना बनाई और प्रदान की संख्या	ट्रैक के किनारे अतिक्रमण की संख्या जो उपद्रव पैदा कर रहे हैं
जनता की शिकायतें और सुझाव प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन की वेबसाइट/वेबपेज	ट्रैक पर खुले में शौच को रोकने के लिए टीमों का गठन (संख्या)	रेलवे भूमि पर अनधिकृत डंपिंग को रोकने के लिए चारदीवारी की आवश्यकता वाले स्थान की संख्या (सं.)
पानी / अपशिष्ट / सीवरेज के पुनर्चक्रण का दायरा (केएलडी में)	रेलवे स्टेशन पर खाद संयंत्र (संख्या और क्षमता)	रेलवे पटरियों पर खुले में शौच को रोकने के लिए स्थापित शौचालयों की संख्या। (सं.)
नियोजित अपशिष्ट/जल/सीवरेज पुनर्चक्रण संयंत्र (टीडीसी और केएलडी में क्षमता के साथ)	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (वर्गमीटर में क्षेत्र)	परिसंचारी क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए शौचालयों की संख्या।
सफाई अनुबंध की स्थिति (हां/नहीं)	अनधिकृत डंपिंग, खुले में शौच और अतिक्रमण को रोकने के लिए यूएलबी के साथ समन्वय (बैठकों की संख्या)	जन जागरूकता अभियानों पर पोस्टर के लिए स्थानों की संख्या (संख्या)
अनाधिकृत डंपिंग को रोकने के लिए लगाए गए कूड़ेदानों की संख्या (संख्या)	सफाई की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे (सं.)	रेलवे परिसरों पर अवैध डंपिंग के स्थान (सं.)

अनुलग्नक- 2.4

(पैरा 2.4 में संदर्भित)

उन स्टेशनों का ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण जहां सीटीई/सीएफओ को न तो लागू किया गया था और न ही 31 जुलाई 2021 तक प्राप्त किया गया था

क्र. सं.	जोनल रेलवे	सीटीई लागू नहीं किया गया	सीटीई के लिए आवेदन किया गया लेकिन प्राप्त नहीं किया गया	सीएफओ प्राप्त नहीं हुआ	सीटीई प्राप्त किए बिना सीएफओ प्राप्त किया गया
1	2	3	4	5	6
1	मरे	-	(01) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस	(01) पनवेल	(01) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस*
2	पूरे	(05) हावड़ा बर्धमान बंदेल, सियालदाह और भागलपुर	-	(01) भागलपुर	(04) हावड़ा बर्धमान बंदेल और सियालदाह
3	पूमरे	-	-	(03) पटना, राजेंद्र नगर और दानापुर	-
4	पूतरे	-	(03) भुवनेश्वर, पुरी और कटक	(03) भुवनेश्वर, पुरी और कटक	-
5	उरे	(08) वाराणसी, रायबरेली, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और जालंधर कैंट।	-	(06) नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा	(04) वाराणसी, रायबरेली, बाराबंकी और मुरादाबाद -
6	उमरे	(05) झांसी, प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट। और आगरा फोर्ट	-	(02) आगरा कैंट और आगरा फोर्ट	(03) झांसी, प्रयागराज और प्रयागराज छिवकी
7	उपूरे	(06) गोरखपुर, लखनऊ, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली शहर	-	-	(06) गोरखपुर, लखनऊ, मंडुआडीह, काठगोदाम हल्द्वानी और बरेली शहर-

क्र. सं.	जोनल रेलवे	सीटीई लागू नहीं किया गया	सीटीई के लिए आवेदन किया गया लेकिन प्राप्त नहीं किया गया	सीएफओ प्राप्त नहीं हुआ	सीटीई प्राप्त किए बिना सीएफओ प्राप्त किया गया
1	2	3	4	5	6
8	उपूसीरे	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोंगईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार	-	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोंगईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार	-
9	उपरे	(06) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, जोधपुर,	-	(01) अजमेर	(05) बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधी नगर, जयपुर और जोधपुर -
10	दरे	(06) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जेएन, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जेएन, पलक्कड़ जं और ओत्तापलम	-	(01) तिरुचिरापल्ली	(05) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जेएन, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, पलक्कड़ जेएन और ओत्तापलम
11	दपूरे	(04) खड़गपुर, शालीमार, रांची और दीघा	-	(02) खड़गपुर, शालीमार,	(02) रांची और दीघा
12	दपूमरे	(02) दुर्ग, गोंदिया	-	(02) दुर्ग, गोंदिया	-
13	दपरे	(05) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलाहांका और मैसूर,	(01) हुबली	(03) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर और हुबली	(03) कृष्णराजापुरम, येलहांका और मैसूर
14	परे	(02) वलसाड, बिलिमोरा जं,	(04) मुंबई सेंट्रल, भरुच, बांद्रा टर्मिनस और दाहोद	(05) मुंबई सेंट्रल, भरुच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद	(01) बांद्रा टर्मिनस*
15	पमरे	-	(02) कोटा और सवाईमाधोपुर	(06) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर	-

क्र. सं.	जोनल रेलवे	सीटीई लागू नहीं किया गया	सीटीई के लिए आवेदन किया गया लेकिन प्राप्त नहीं किया गया	सीएफओ प्राप्त नहीं हुआ	सीटीई प्राप्त किए बिना सीएफओ प्राप्त किया गया
1	2	3	4	5	6
16	आरपीयू और मेट्रो रेल.	(03) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन	-	(03) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन	-
कुल		59 स्टेशन	11 स्टेशन	46 स्टेशन	34 स्टेशन

\* हालांकि सीटीई लागू किया गया था, सीधे सीएफओ दिया गया था ।

स्रोत- चयनित स्टेशनों (मेकेनिकल लॉन्डी सहित, यदि कोई हो), कोचिंग डिपो और संबंधित डिवीजनों/जोनों के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 2.5

(पैरा 2.6 में संदर्भित)

सत्यापनीय संकेतकों के प्रति उपलब्धि की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	जोन का नाम	37 चिह्नित स्टेशनों के अलावा कुल चयनित प्रमुख स्टेशन	ईटीपी/एसटीपी /डब्ल्यूआरपी उपलब्ध नहीं कराया गया	वेस्ट कंपोस्ट प्लांट नहीं लगाया गया	सामग्री रिकवरी सुविधा उपलब्ध नहीं थी	सीसीटीवी का इस्तेमाल सफाई के लिए नहीं किया गया	यूएलबी के साथ समन्वय न	परिसंचारी क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मरे	(04) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पनवेल, वाडी, और भुसावल	(01) पनवेल	(02) पनवेल और वाडी	(03) पनवेल और वाडी और भुसावल	(01) वाडी	(03) पनवेल वाडी और भुसावल	(01) वाडी
2	पूरे	(03) बर्धमान बंदेल भागलपुर	(02) बर्धमान और बंदेल	(03) बंदेल, बर्धमान और भागलपुर	(03) बंदेल, बर्धमान और भागलपुर	(01) बर्धमान	(03) बंदेल, बर्धमान और भागलपुर	-
3	पूमरे	(05) हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और दानापुर	(03) हाजीपुर, पटना और दानापुर	(03) सोनपुर, हाजीपुर और दानापुर	(03) हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर	-	(02) सोनपुर और मुजफ्फरपुर	-
4	पूतरे	(03) भुवनेश्वर, पुरी और कटक	(03) भुवनेश्वर, पुरी और कटक	-	(03) भुवनेश्वर, पुरी और कटक	-	-	(01) कटक
5	उरे	(07) रायबरेली, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, जालंधर कैंट और राजपुरा जं.	(07) रायबरेली, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, जालंधर कैंट और राजपुरा जं.	(07) रायबरेली, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, जालंधर कैंट, राजपुरा जं. और बाराबंकी	(07) रायबरेली, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, जालंधर कैंट, राजपुरा जं. और बाराबंकी	(06) रायबरेली, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, जालंधर कैंट और राजपुरा जं.	(06) रायबरेली, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, जालंधर कैंट और राजपुरा जं.	(03) रायबरेली जं, मुरादाबाद, जालंधर कैंट

क्रम सं.	जोन का नाम	37 चिन्हित स्टेशनों के अलावा कुल चयनित प्रमुख स्टेशन	ईटीपी/एसटीपी /डब्ल्यूआरपी उपलब्ध नहीं कराया गया	वेस्ट कंपोस्ट प्लांट नहीं लगाया गया	सामग्री रिकवरी सुविधा उपलब्ध नहीं थी	सीसीटीवी का इस्तेमाल सफाई के लिए नहीं किया गया	यूएलबी के साथ समन्वय न	परिसंचारी क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	उमरे	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला	(02) प्रयागराज छिवकी, आगरा किला
7	उपरे	(05) गोरखपुर, छपरा, काठगोदाम हल्द्वानी बरेली सिटी	(05) गोरखपुर, छपरा, काठगोदाम हल्द्वानी बरेली सिटी	(02) हल्द्वानी बरेली सिटी	(03) हल्द्वानी बरेली सिटी काठगोदाम	(04) गोरखपुर, छपरा हल्द्वानी बरेली सिटी	(05) गोरखपुर, छपरा हल्द्वानी बरेली सिटी और काठगोदाम	(04) छपरा हल्द्वानी बरेली सिटी और काठगोदाम
8	पूसीरे	(04) दीमापुर, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार और न्यू जलपाईगुड़ी	(04) दीमापुर, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार और न्यू जलपाईगुड़ी	(02) दीमापुर और न्यू बोंगाईगांव	(04) दीमापुर, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार और न्यू जलपाईगुड़ी	(02) न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू बोंगाईगांव	(04) दीमापुर, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार और न्यू जलपाईगुड़ी	(03) दीमापुर, न्यू बोंगाईगांव, और न्यू जलपाईगुड़ी
9	उपरे	(03) बीकानेर, लालगढ़ और गांधी नगर जयपुर	(02) लालगढ़, गांधी नगर जयपुर	(03) लालगढ़, बीकानेर और गांधी नगर जयपुर	(03) बीकानेर, गांधी नगर जयपुर और लालगढ़	(01) लालगढ़	-	(03) गांधी नगर जयपुर, बीकानेर और लालगढ़
10	दरे	(03) कोयंबटूर जं पलक्कड़ जं, ओट्टुप्पलम	(03) कोयंबटूर जं पलक्कड़ जं, ओट्टुप्पलम	(03) कोयंबटूर जं पलक्कड़ जं, ओट्टुप्पलम	(02) कोयंबटूर जं, ओट्टुप्पलम	(03) कोयंबटूर जं, पलक्कड़ जं, ओट्टुप्पलम	(03) कोयंबटूर जं, पलक्कड़ जं, ओट्टुप्पलम	(02) पलक्कड़ जं, ओट्टुप्पलम
11	दमरे	(04) खम्मम, रामागुंडम नेल्लोर, भीमावरम	(02) नेल्लोर, भीमावरम	(04) खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम	-	(02) भीमावरम, रामागुंडम	-	(04) खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम

क्रम सं.	जोन का नाम	37 चिन्हित स्टेशनों के अलावा कुल चयनित प्रमुख स्टेशन	ईटीपी/एसटीपी /डब्ल्यूआरपी उपलब्ध नहीं कराया गया	वेस्ट कंपोस्ट प्लांट नहीं लगाया गया	सामग्री रिकवरी सुविधा उपलब्ध नहीं थी	सीसीटीवी का इस्तेमाल सफाई के लिए नहीं किया गया	यूएलबी के साथ समन्वय न	परिसंचारी क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	दपूरे	(02) खड़गपुर और शालीमार	(02) खड़गपुर और शालीमार	(02) खड़गपुर और शालीमार	(02) खड़गपुर और शालीमार	(01) शालीमार	-	(01) शालीमार
13	दपूमरे	(03) रायगढ़, दुर्ग और गोंदिया	-	(02) रायगढ़ और दुर्ग	(03) रायगढ़, गोंदिया और दुर्ग	-	-	(02) रायगढ़, गोंदिया
14	दपरे	(04) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका,	(02) कृष्णराजापुर, येलहांका	(1) केएसआर बेंगलुरु	(02) कृष्णराजापुरम, येलहांका	-	-	-
15	परे	(05) बांद्रा टर्मिनस भरूच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद	(02) भरूच और दाहोद	(02) बिलिमोरा जं, दाहोद,	(01) बांद्रा टर्मिनस	(01) बिलिमोरा जं	--	(04) बांद्रा टर्मिनस वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद
16	पमरे	(05) कटनी, पिपरिया, होशंगाबाद सवाईमाधोपुर, कोटा	(01) पिपरिया	(05) कटनी, पिपरिया, होशंगाबाद, सवाई माधोपुर कोटा	(05) कटनी, पिपरिया, होशंगाबाद, सवाई माधोपुर कोटा	(04) कटनी, पिपरिया होशंगाबाद, सवाईमाधोपुर	-	-
17	मेट्रो कोल/काता	(03) दम दम, एस्प्लेनेड, रवींद्र सदन,	उन	उन	उन	उन	उन	उन
	कुल	65 स्टेशन	41 स्टेशन	43 स्टेशन	46 स्टेशन	28 स्टेशन	28 स्टेशन	30 स्टेशन

स्रोत- चयनित स्टेशनों और संबंधित डीवीजन/जोनल कार्यालयों का रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 2.6

(पैरा 2.10 में संदर्भित)

उन स्टेशनों और कोचिंग डिपो का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, जिन पर प्लास्टिक बोटल क्रशिंग मशीन की योजना नहीं बनाई गई थी, स्थापित नहीं की गई थी, 'केवल प्लास्टिक के डिब्बे' का प्रावधान नहीं किया गया था और प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्धारण और पृथक्करण नहीं किया गया था।

इटालिक्स में कालम नंबर 3 और 4 में दर्शाए गए स्टेशन से पता चलता है कि स्थापित पीबीसीएम योजना बनाए गए से कम था

क्र. सं.	जोन का नाम	एनजीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार 37 चिन्हित स्टेशनों पर योजनागत/स्थापित पीबीसीएम		स्टेशन और कोचिंग डिपो, जिन पर 'केवल प्लास्टिक बिन्स' उपलब्ध नहीं थे	स्टेशन/कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया	सफाई संविदाओं में विशेष रूप से नहीं किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का प्रावधान
		स्थापना के लिए योजनागत पीबीसीएम	स्थापित पीबीसीएम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	मरे	पुणे-09	पुणे-02	(07) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, नासिक रोड, वाडी और भुसावल	(05) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, नासिक रोड और भुसावल (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(04) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, और पुणे (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)
		नासिक रोड-01	नासिक रोड-01			
2	पूरे	हावड़ा-0	हावड़ा-03	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल सियालदाह भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/टिकियापाड़ा)	(04) बर्धमान बंदेल सियालदाह भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल सियालदाह भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)
		सियालदाह-0	सियालदाह-04			

क्र. सं.	जोन का नाम	एनजीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार 37 चिन्हित स्टेशनों पर योजनागत/स्थापित पीबीसीएम		स्टेशन और कोचिंग डिपो, जिन पर 'केवल प्लास्टिक बिन्स' उपलब्ध नहीं थे	स्टेशन/कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया	सफाई संविदाओं में विशेष रूप से नहीं किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का प्रावधान
		स्थापना के लिए योजनागत पीबीसीएम	स्थापित पीबीसीएम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
3	पूमरे	धनबाद जं.-01	धनबाद जं.-01	(06)	-	(06) हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनस, दानापुर और पटना
		राजेंद्र नगर टर्मिनल-01	राजेंद्र नगर टर्मिनल - 01	हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनस, दानापुर, पटना		(02) (कोचिंग डिपो, दानापुर और राजेंद्रनगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स)
4	पूतरे	विशाखापत्त नम-06	विशाखापत्त नम-06	(03)	(05) भुवनेश्वर, कटक,	(05) भुवनेश्वर, कटक,
		विजयनगरम-01	विजयनगर म-01	भुवनेश्वर, कटक, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम, विजयानगरम, पुरी	विशाखापत्तनम, विजयानगरम, पुरी
				(02)	(02) (कोचिंग डिपो/पुरी और भुवनेश्वर)	(02) (कोचिंग डिपो/पुरी और भुवनेश्वर)
				(कोचिंग डिपो/पुरी और भुवनेश्वर)		
5	उरे	वाराणसी-04	वाराणसी-04	(06)	(07) वाराणसी	(10) वाराणसी,
		नई दिल्ली-06	नई दिल्ली-04	रायबरेली,	रायबल्ली, बाराबंकी, रोहतक, नई दिल्ली, पानीपत, और राजपुरा	रायबरेली, बाराबंकी, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, श्री

क्र. सं.	जोन का नाम	एनजीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार 37 चिन्हित स्टेशनों पर योजनागत/स्थापित पीबीसीएम		स्टेशन और कोचिंग डिपो, जिन पर 'केवल प्लास्टिक बिन्स' उपलब्ध नहीं थे	स्टेशन/कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया	सफाई संविदाओं में विशेष रूप से नहीं किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का प्रावधान
		स्थापना के लिए योजनागत पीबीसीएम	स्थापित पीबीसीएम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
		कटरा (एसवीडीके) - 05	कटरा (एसवीडीके) -02	बाराबंकी, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पानीपत, और राजपुरा जं। (04)  (कोचिंग डिपो / दिल्ली सराय रोहिल्ला, हजरत निजामुद्दीन, वाराणसी और अमृतसर)	जं. (04) (कोचिंग डिपो/दिल्ली सराय रोहिल्ला, हजरत निजामुद्दीन, वाराणसी और अमृतसर)	माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट, राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो/ दिल्ली सराय रोहिल्ला, हजारात निजामुद्दीन, वाराणसी और अमृतसर)
6	उमरे	प्रयागराज-02 झांसी-03 आगरा कैंट-06	प्रयागराज-02 झांसी-02 आगरा कैंट-टी-03	(05)  झांसी , प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01)  (कोचिंग डिपो / प्रयागराज)	(05) झांसी, प्रयागराज, प्रयागराज, छिवकी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)	(05) झांसी, प्रयागराज, प्रयागराज, छिवकी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)

क्र. सं.	जोन का नाम	एनजीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार 37 चिन्हित स्टेशनों पर योजनागत/स्थापित पीबीसीएम		स्टेशन और कोचिंग डिपो, जिन पर 'केवल प्लास्टिक बिन्स' उपलब्ध नहीं थे	स्टेशन/कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया	सफाई संविदाओं में विशेष रूप से नहीं किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का प्रावधान
		स्थापना के लिए योजनागत पीबीसीएम	स्थापित पीबीसीएम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
7	उपरे	लखनऊ जं.-02 मंडुआडीह-02	लखनऊ जं.-02 मंडुआडीह	(06) गोरखपुर, छपरा, हल्द्वानी मंडुआडीह, काठगोदाम और बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, काठगोदाम और ऐशबाग)	- (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, काठगोदाम और ऐशबाग)	(03) मंडुआडीह, हल्द्वानी काठगोदाम (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, काठगोदाम और ऐशबाग)
8	पूसीरे	1 गुवाहाटी - 01 कटिहार-01	गुवाहाटी - 01 कटिहार-01	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	(05) होजाई, गुवाहाटी, न्यू कूच बिहार, कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)
9	उपरे	अजमेर-01 जयपुर-07 जोधपुर- 0	अजमेर-01 जयपुर-02 जोधपुर-01	(07) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, जोधपुर, राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर एवं जोधपुर)	(05) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जोधपुर, राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर एवं जोधपुर)	(07) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, जोधपुर, राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर एवं जोधपुर)
10	दरे	एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-04	एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-02	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जेएन,	(03) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तिरुचिरापल्ली जं,	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जेएन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल

क्र. सं.	जोन का नाम	एनजीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार 37 चिन्हित स्टेशनों पर योजनागत/स्थापित पीबीसीएम		स्टेशन और कोचिंग डिपो, जिन पर 'केवल प्लास्टिक बिन्स' उपलब्ध नहीं थे	स्टेशन/कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया	सफाई संविदाओं में विशेष रूप से नहीं किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का प्रावधान
		स्थापना के लिए योजनागत पीबीसीएम	स्थापित पीबीसीएम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
		तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-02	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-03	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापालम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, मँगलोर और तिरुवनंतपुरम)	मेलमारुवातुर, (02) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, मँगलोर)	तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापालम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, मँगलोर और तिरुवनंतपुरम)
		तिरुचिरापल्ली-02	तिरुचिरापल्ली-01			
11	दमरे	सिकंदराबाद-11	सिकंदराबाद-11	(04) खम्मम, रामागुंडम, भीमावरम और सिकंदराबाद (02) (कोचिंग डिपो/एससीकेअंडराबाद और विजयवाड़ा)	(02) भीमावरम और सिकंदराबाद (02) (कोचिंग डिपो/सिकंदराबाद और विजयवाड़ा)	-
		विजयवाड़ा-04	विजयवाड़ा-04			
		कचेगुड़ा-04	कचेगुड़ा-04			
12	दपूरे	रांची-03	रांची-02	(04) खड़गपुर, शालीमार, दीघा, रांची (02) (कोचिंग डिपो/हटिया और संतरागाछी)	(01) शालीमार, (01) (कोचिंग डिपो/संतरागाछी)	(02) शालीमार, दीघा (01) (कोचिंग डिपो/संतरागाछी)
		दीघा-02	दीघा-02			
13	दपूमरे	बिलासपुर-03	बिलासपुर-03	(03) बिलासपुर, रायगढ़, गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(03) दुर्ग, रायगढ़, गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(02) रायपुर, रायगढ़, (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)
		रायपुर-02	रायपुर-01			

क्र. सं.	जोन का नाम	एनजीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार 37 चिन्हित स्टेशनों पर योजनागत/स्थापित पीबीसीएम		स्टेशन और कोचिंग डिपो, जिन पर 'केवल प्लास्टिक बिन्स' उपलब्ध नहीं थे	स्टेशन/कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया	सफाई संविदाओं में विशेष रूप से नहीं किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का प्रावधान
		स्थापना के लिए योजनागत पीबीसीएम	स्थापित पीबीसीएम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
14	दपरे	मैसूर-01	मैसूर -04	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	(04) येलहांका, पांडवपुरा मैसूर, हुबली
		हुबली-04	हुबली-01			
15	परे	मुंबई सेंट्रल-06	मुंबई सेंट्रल-04	(02) बांद्रा टर्मिनस, दाहोद (02) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद और इंदौर)	(05) मुंबई सेंट्रल, भरुच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद और इंदौर)	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस वडोदरा, भरुच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद, इंदौर और बांद्रा टर्मिनस)
		वडोदरा-02	वडोदरा-02			
16	पमरे	जबलपुर-02	जबलपुर-02	(07) जबलपुर, पिपरिया, कटनी, भोपाल होशंगाबाद, कोटा और सवाई माधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(07) जबलपुर, पिपरिया, कटनी, भोपाल होशंगाबाद, कोटा और सवाई माधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(07) जबलपुर, पिपरिया, कटनी, भोपाल होशंगाबाद, कोटा और सवाई माधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)
		भोपाल-04	भोपाल-01			
17	मेट्रो / कोलकाता			(04) दमदम, एस्प्लेनेड, कालीघाट, महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट, महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट, महानायक उत्तम कुमार
कुल				90 स्टेशन/ 25 कोचिंग डिपो	71 स्टेशन/ 26 कोचिंग डिपो	84 स्टेशन/ 26 कोचिंग डिपो

स्रोत- चयनित स्टेशनों/कोचिंग डिपो, संबंधित डिवीजनों/जनों और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 2.7

(पैरा 2.11.1 में संदर्भित)

उन स्टेशनों और कोचिंग डिपो का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिस पर ठोस अपशिष्ट का परिवहन और निपटान नियम/निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है।

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया	पृथक किए गए अपशिष्ट को ढंक कर नहीं ले पाया गया	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए रेलवे और यूएलबी/एलबी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं	अपशिष्ट के भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी/आरबी निर्देश	अधिकृत अपशिष्ट बिनने/संग्रह करने वाले द्वारा नहीं उठाया गया अपशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मरे	(07) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाडी, नासिक रोड, भुसावल (01) (कोचिंग डिपो लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(01) वाडी (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक)	(02) पनवेल, इगतपुरी	(05) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाडी, (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक)	(04) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	-
2	पूरे	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल, सियालदाह और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)	-	-	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल जं, सियालदाह और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)	-	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल जं, सियालदाह और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)
3	पूमरे	(07) दानापुर, सोनपुर, पटना जं, हाजीपुर मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, धनबाद (02) (कोचिंग डिपो/दानापुर और राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स)	(01) दानापुर	(03) सोनपुर, मुजफ्फरपुर और धनबाद	(07) सोनपुर, मुजफ्फरपुर धनबाद, हाजीपुर, पटना, दानापुर और राजेंद्र नगर (02) (कोचिंग डिपो, दानापुर और राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स)	- (02) (कोचिंग डिपो/ दानापुर और राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स)	(03) हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया	पृथक किए गए अपशिष्ट को ढंक कर नहीं ले पाया गया	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए रेलवे और यूएलबी/एलबी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं	अपशिष्ट के भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी/आरबी निर्देश	अधिकृत अपशिष्ट बिनने/संग्रह करने वाले द्वारा नहीं उठाया गया अपशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
4	पूतरे	(05) भुवनेश्वर, कटक, पुरी, विजियानगरम और विशाखापत्तनम (02) (कोचिंग डिपो/ भुवनेश्वर और पुरी)	-	- (02) (कोचिंग डिपो/भुवनेश्वर और पुरी)	(05) भुवनेश्वर, पुरी, कटक, विशाखापत्तनम और विजियानगरम (02) (कोचिंग डिपो/ भुवनेश्वर और पुरी)	(05) भुवनेश्वर, पुरी, कटक, विशाखापत्तनम और विजियानगरम (02) (कोचिंग डिपो/ भुवनेश्वर और पुरी)	-
5	उरे	(10) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो अमृतसर, वाराणसी, हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली एस रोहिल्ला)	(01) रोहतक (01) कोचिंग डिपो/दिल्ली सराय रोहिल्ला	-	(10) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) कोचिंग डिपो/हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वाराणसी और अमृतसर	(07) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक और राजपुरा (02) कोचिंग डिपो/हजरत निजामुद्दीन, और अमृतसर	(04) रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट. और मुरादाबाद (04) कोचिंग डिपो/हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वाराणसी और अमृतसर
6	उमरे	(05) प्रयागराज, झांसी, प्रयागराज छिवकी आगरा कैंट और आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो प्रयागराज)	(03) प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज और झांसी (01) कोचिंग डिपो/ प्रयागराज	(01) आगरा फोर्ट	(05) प्रयागराज झांसी, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट (01) कोचिंग डिपो/प्रयागराज	(05) झांसी, प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) कोचिंग डिपो/प्रयागराज	(05) प्रयागराज झांसी, प्रयागराज छिवकी, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट (01) कोचिंग डिपो/प्रयागराज

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया	पृथक किए गए अपशिष्ट को ढंक कर नहीं ले पाया गया	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए रेलवे और यूएलबी/एलबी के बीच कोई समझौता जापन नहीं	अपशिष्ट के भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी/आरबी निर्देश	अधिकृत अपशिष्ट बिनने/संग्रह करने वाले द्वारा नहीं उठाया गया अपशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
7	उपरे	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो गोरखपुर, लखनऊ और काठगोदाम)	(03) गोरखपुर, मंडुआडीह और बरेली सिटी (02) (कोचिंग डिपो/ ऐशबाग, काठगोदाम)	(01) मंडुआडीह (03) कोचिंग डिपो/ गोरखपुर ऐशबाग, काठगोदाम	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) कोचिंग डिपो/गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम
8	पूसीरे	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बॉगईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार (01) कोचिंग डिपो डिब्रूगढ़)	(01) होजाई	(03) दीमापुर, होजाई और न्यू कूचबिहार	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बॉगईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूच बिहार, कटिहार (01) (कोचिंग डिपो-धीब्रूगढ़)	(05) दीमापुर, होजाई, न्यू कूच बिहार कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी (01) (कोचिंग डिपो-धीब्रूगढ़)	(04) दीमापुर, होजाई, न्यू कूचबिहार और कटिहार
9	उपरे	(07) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, जयपुर गांधीनगर, जोधपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर और जोधपुर)	(01) गांधी नगर जयपुर, (01) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर)	-	(07) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर, जोधपुर)	(07) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर, जोधपुर)	(05) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, गांधीनगर जयपुर, और राय का बाग (01) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर)

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया	पृथक किए गए अपशिष्ट को ढंक कर नहीं ले पाया गया	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए रेलवे और यूएलबी/एलबी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं	अपशिष्ट के भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी/आरबी निर्देश	अधिकृत अपशिष्ट बिनने/संग्रह करने वाले द्वारा नहीं उठाया गया अपशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
10	दरे	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जं., तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, मँगलोर और तिरुवनंतपुरम)	-	-	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जं., तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, तिरुवनंतपुरम और मँगलौर)	-	(02) तिरुचिरापल्ली जं और मेलमारुवातुर
11	दमरे	(07) सिकंदराबाद, कचिगुडा, विजयवाड़ा, खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम (02) (कोचिंग डिपो सिकंदराबाद और विजयवाड़ा)	- (01) (कोचिंग डिपो/ सिकंदराबाद)	-	(05) भीमावरम, नेल्लोर, खम्मम, कचीगुडा और रामागुंडम (02) (कोचिंग डिपो/विजयवाड़ा और सिकंदराबाद)	- (02) (कोचिंग डिपो/ विजयवाड़ा और सिकंदराबाद)	-
12	दपूरे	(04) खड़गपुर, शालीमार, दीघा और रांची (02) (कोचिंग डिपो संतरागाछी और हटिया)	-	(01) शालीमार	(03) खड़गपुर, शालीमार और रांची (02) (कोचिंग डिपो- संतरागाछी और हटिया)	(02) खड़गपुर, शालीमार, (01) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी)	(04) खड़गपुर, शालीमार, दीघा और रांची (02) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी और हटिया)
13	दपूमे	(05) बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(01) रायगढ़	(02) रायगढ़ और गोंदिया	(01) गोंदिया	(03) बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/बिलासपुर)	(01) गोंदिया

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया	पृथक किए गए अपशिष्ट को ढंक कर नहीं ले पाया गया	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए रेलवे और यूएलबी/एलबी के बीच कोई समझौता जापन नहीं	अपशिष्ट के भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी/आरबी निर्देश	अधिकृत अपशिष्ट बिनने/संग्रह करने वाले द्वारा नहीं उठाया गया अपशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
14	दपरे	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	-	(01) केएसआर बेंगलुरु	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/केएसआर बेंगलुरु)	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/केएसआर बेंगलुरु)	-
15	परे	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, वडोदरा, भरुच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद और इंदौर)	(02) बिलिमोरा जं और वलसाड	-	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, वडोदरा, भरुच, बिलिमोरा जं, वलसाड, दाहोद (02) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस)	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, वडोदरा, भरुच, बिलिमोरा जं, वलसाड, दाहोद (02) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद और बांद्रा टर्मिनस)	(04) वलसाड, बिलिमोरा, भरुच और दाहोद
16	पमरे	(07) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	-	(01) होशंगाबाद	(04) कटनी, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(01) कटनी, (01) (कोचिंग डिपो-जबलपुर)	(06) जबलपुर, पिपरिया, कटनी, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)
17	मेट्रो / कोलकाता	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	-	-	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	-

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया	पृथक किए गए अपशिष्ट को ढंक कर नहीं ले पाया गया	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए रेलवे और यूएलबी/एलबी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं	अपशिष्ट के भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी/आरबी निर्देश	अधिकृत अपशिष्ट बिनने/संग्रह करने वाले द्वारा नहीं उठाया गया अपशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल	109 स्टेशन/ 30 कोचिंग डिपो	14 स्टेशन/07 कोचिंग डिपो	15 स्टेशन/05 कोचिंग डिपो	97 स्टेशन/ 28 कोचिंग डिपो	65 स्टेशन/ 22 कोचिंग डिपो	50 स्टेशन/ 13 कोचिंग डिपो

स्रोत- चयनित स्टेशनों/कोचिंग डिपो, संबंधित डिवीजनों/जोनों और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 2.8

(पैरा 2.11.2 में संदर्भित)

उन स्टेशनों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, जिन पर ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान/स्थापित नहीं की गई थीं

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	गीले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग सुविधा नहीं दी गई	सामग्री वसूली सुविधा प्रदान नहीं की गई	अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था	कंपोस्टिंग प्लांट की योजना नहीं बनाई गई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रदान किया गया नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मरे	(07) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाड़ी, नासिक रोड, भुसावल (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(06) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाड़ी, नासिक रोड, (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(07) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाड़ी, नासिक रोड, भुसावल (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(05) इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाड़ी, नासिक रोड (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(06) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इगतपुरी, पनवेल, पुणे, वाड़ी, नासिक रोड (01) (कोचिंग डिपो/ लोकमान्य तिलक टर्मिनस)	(01) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
2	पूरे	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल, सियालदाह और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)	(04) हावड़ा, बर्धमान बंदेल जं और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापारा)	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल जं., सियालदाह और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)	(05) हावड़ा, बर्धमान बंदेल जं., सियालदाह और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापाड़ा)	(04) हावड़ा, बर्धमान बंदेल जं, और भागलपुर (01) (कोचिंग डिपो/ टिकियापारा)	02 हावड़ा, सियालदाह
3	पूमरे	(07) दानापुर, सोनपुर, पटना जं, हाजीपुर मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, धनबाद (02) (कोचिंग डिपो, दानापुर और राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स)	(01) दानापुर (01) (कोचिंग डिपो-दानापुर)	(02) दानापुर, धनबाद--	(05) हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर और दानापुर (01) (कोचिंग डिपो-दानापुर)	(01) दानापुर (01) (कोचिंग डिपो-दानापुर)	-

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	गीले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग सुविधा नहीं दी गई	सामग्री वसूली सुविधा प्रदान नहीं की गई	अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था	कंपोस्टिंग प्लांट की योजना नहीं बनाई गई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रदान किया गया नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
4	पूतरे	(05) भुवनेश्वर, कटक, पुरी, विजियानगरम और विशाखापत्तनम (02) (कोचिंग डिपो भुवनेश्वर और पुरी)	- (02) (कोचिंग डिपो/भुवनेश्वर और पुरी)	(03) भुवनेश्वर, पुरी, कटक, (02) (कोचिंग डिपो/ भुवनेश्वर और पुरी)	(05) भुवनेश्वर, पुरी, कटक, विशाखापत्तनम और विजियानगरम (02) (कोचिंग डिपो/ भुवनेश्वर और पुरी)	(02) (कोचिंग डिपो/भुवनेश्वर और पुरी)	उ.न.
5	उरे	(10) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो/अमृतसर, वाराणसी, हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली एस रोहिल्ला)	(09) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो/ हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वाराणसी और अमृतसर)	(09) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो/ हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वाराणसी और अमृतसर)	(09) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो/ हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वाराणसी और अमृतसर)	(09) वाराणसी, रायबरेली जं, बाराबंकी, मुरादाबाद, पानीपत, रोहतक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जालंधर कैंट और राजपुरा जं. (04) (कोचिंग डिपो/ हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वाराणसी और अमृतसर)	(01) वाराणसी
6	उमरे	(05) प्रयागराज, झांसी, प्रयागराज छिवकी आगरा कैंट और आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)	(03) प्रयागराज झांसी, प्रयागराज छिवकी (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)	(05) प्रयागराज झांसी, प्रयागराज छिवकी आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)	(05) प्रयागराज झांसी, प्रयागराज छिवकी आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)	(05) प्रयागराज झांसी, प्रयागराज छिवकी आगरा कैंट, आगरा फोर्ट (01) (कोचिंग डिपो/ प्रयागराज)	(01) प्रयागराज

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	गीले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग सुविधा नहीं दी गई	सामग्री वसूली सुविधा प्रदान नहीं की गई	अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था	कंपोस्टिंग प्लांट की योजना नहीं बनाई गई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रदान किया गया नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
7	उपरे	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, लखनऊ और काठगोदाम)	(02) हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम)	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम)	(07) गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, मंडुआडीह, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम)	(02) हल्द्वानी, बरेली सिटी (03) (कोचिंग डिपो/ गोरखपुर, ऐशबाग और काठगोदाम)	उ.न.
8	पूसीरे	(07) दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार (01) (कोचिंग डिपो डिब्रूगढ़)	(05), दीमापुर, होजाई, न्यू बोगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	(07), दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	(06), दीमापुर, होजाई, गुवाहाटी, न्यू बोगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	(03), होजाई, न्यू बोगाईगांव, न्यू कूच बिहार, (01) (कोचिंग डिपो/ डिब्रूगढ़)	उ.न.
9	उपरे	(07) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, जयपुर गांधीनगर, जोधपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर और जोधपुर)	(05) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, गांधीनगर जयपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर और जोधपुर)	(06) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जोधपुर, गांधीनगर जयपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर और जोधपुर)	(06) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जोधपुर, गांधीनगर जयपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर और जोधपुर)	(05) अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, गांधीनगर जयपुर और राय का बाग (02) (कोचिंग डिपो/ बीकानेर और जोधपुर)	उ.न.

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	गीले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग सुविधा नहीं दी गई	सामग्री वसूली सुविधा प्रदान नहीं की गई	अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था	कंपोस्टिंग प्लांट की योजना नहीं बनाई गई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रदान किया गया नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
10	दरे	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जं., तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) (कोचिंग डिपो बेसिन ब्रिज, मंगलौर और तिरुवनंतपुरम)	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जं., तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, तिरुवनंतपुरम और मंगलौर)	(03) कोयंबटूर जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, तिरुवनंतपुरम और मंगलौर	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जं., तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, तिरुवनंतपुरम और मंगलौर)	(07) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, कोयंबटूर जं., तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., पलक्कड़ जं. मेलमारुवातुर, ओट्टापलम (03) (कोचिंग डिपो/बेसिन ब्रिज, तिरुवनंतपुरम और मंगलौर)	(01) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल
11	दमरे	(07) सिकंदराबाद, कचिगुड़ा, विजयवाड़ा, खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम (02) (कोचिंग डिपो/ सिकंदराबाद और विजयवाड़ा)	(06) सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम (02) (कोचिंग डिपो/ सिकंदराबाद और विजयवाड़ा)	- (02) (कोचिंग डिपो/ विजयवाड़ा और सिकंदराबाद)	(07) सिकंदराबाद, कचिगुड़ा, विजयवाड़ा, खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम (02) (कोचिंग डिपो/ सिकंदराबाद और विजयवाड़ा)	(06) सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, खम्मम, रामागुंडम, नेल्लोर, भीमावरम (02) (कोचिंग डिपो/ सिकंदराबाद और विजयवाड़ा)	(01) सिकंदराबाद
12	दपूरे	(04) खड़गपुर, शालीमार, दीघा और रांची (02) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी और हटिया)	(03) रांची, दीघा और शालीमार (02) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी और हटिया)	(03) खड़गपुर, दीघा और शालीमार (01) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी)	(04) खड़गपुर, रांची, दीघा और शालीमार (02) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी और हटिया)	(03) खड़गपुर, दीघा और शालीमार (01) (कोचिंग डिपो/ संतरागाछी)	

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	गीले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग सुविधा नहीं दी गई	सामग्री वसूली सुविधा प्रदान नहीं की गई	अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था	कंपोस्टिंग प्लांट की योजना नहीं बनाई गई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रदान किया गया नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
13	दपूमेरे	(05) बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(03) बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(05) बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, आर और गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(05) बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, आर और गोंदिया (01) (कोचिंग डिपो/ बिलासपुर)	(03) बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, (01) (कोचिंग डिपो/बिलासपुर)	उ.न.
14	दपरे	07 केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/केएसआर बेंगलुरु))	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	(07) केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर, कृष्णराजापुरम, येलहांका, पांडवपुरा, मैसूर, हुबली (01) (कोचिंग डिपो/ केएसआर बेंगलुरु)	उ.न.
15	परे	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, वडोदरा, भरूच, वलसाड, बिलिमोरा जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद और इंदौर)	(04) वलसाड, बिलिमोरा जं, भरूच जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस और इंदौर)	(06) बांद्रा टर्मिनस, वडोदरा, वलसाड, बिलिमोरा जं, भरूच जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस और इंदौर)	(07) मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, वडोदरा, वलसाड, बिलिमोरा जं, भरूच जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस और इंदौर)	(04) वलसाड बिलिमोरा जं, भरूच जं, दाहोद (03) (कोचिंग डिपो/ अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस और इंदौर)	उ.न.

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल चयनित स्टेशन और कोचिंग डिपो	गीले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग सुविधा नहीं दी गई	सामग्री वसूली सुविधा प्रदान नहीं की गई	अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था	कंपोस्टिंग प्लांट की योजना नहीं बनाई गई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रदान किया गया नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
16	पमरे	(07) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(07) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(07) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(07) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	(07) जबलपुर, कटनी, पिपरिया, भोपाल, होशंगाबाद, कोटा और सवाईमाधोपुर (01) (कोचिंग डिपो/ जबलपुर)	उ.न.
17	मेट्रो / कोलकाता	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	(05) दमदम, एस्प्लेनेड, रवीन्द्र सदन, कालीघाट और महानायक उत्तम कुमार	उ.न.
कुल		109 स्टेशन/ 30 कोचिंग डिपो	77 स्टेशन/ 29 कोचिंग डिपो	87 स्टेशन/ 27 कोचिंग डिपो	102 स्टेशन/ 29 कोचिंग डिपो	77 स्टेशन/ 28 कोचिंग डिपो	

स्रोत- चयनित स्टेशनों/कोचिंग डिपो, संबंधित डिवीजनों/जोनों और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 3.1

(पैरा 3.1, 3.2, 3.4 में संदर्भित)

वर्कशॉपों और शेडों का विवरण, जहां सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया

जोनल रेलवे	जल अधिनियम के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया	खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया
मरे	डीजल लोको शेड/कल्याण	डीजल लोको शेड/कल्याण
	कार शेड, कुर्ला	कार शेड, कुर्ला
पूरे	सिग्नल वर्कशॉप, हावड़ा	सिग्नल वर्कशॉप, हावड़ा
	इलेक्ट्रिक लोको शेड, हावड़ा	इलेक्ट्रिक लोको शेड, हावड़ा
	ईएमयू कार शेड, बंदेल	ईएमयू कार शेड, बंदेल
	ईएमयू कार शेड, हावड़ा	ईएमयू कार शेड, हावड़ा
पूमरे	डीईएमयू शेड/सोनपुर	डीईएमयू शेड/सोनपुर
	इलेक्ट्रिक लोको शेड/गोमोह	इलेक्ट्रिक लोको शेड / गोमोह
पूतरे	इलेक्ट्रिक लोको शेड, अंगुल	इलेक्ट्रिक लोको शेड, अंगुल
	एमईएमयू शेड, खुर्दा	एमईएमयू शेड, खुर्दा
उरे	चारबाग वर्कशॉप, लखनऊ	चारबाग वर्कशॉप, लखनऊ
		कैरिज और वैगन वर्कशॉप, कालका
	सिग्नल वर्कशॉप/गाजियाबाद	सिग्नल वर्कशॉप/गाजियाबाद
	ब्रिज वर्कशॉप, जालंधर कैंट	ब्रिज वर्कशॉप, जालंधर कैंट
	डीजल शेड / आलमबाग, लखनऊ	डीजल शेड / आलमबाग, लखनऊ
		डीजल लोको शेड /तुगलकाबाद
		डीजल लोको शेड/लुधियाना
	इलेक्ट्रिक लोको शेड/खानलमपुरा, सहारनपुर	इलेक्ट्रिक लोको शेड/खानलमपुरा, सहारनपुर
	डीईएमयू/जालंधर सिटी	डीईएमयू/जालंधर सिटी
		ईएमयू/गाजियाबाद
उमरे		वैगन वर्कशॉप, झांसी
	ट्रैक मशीन केंद्रीकृत आवधिक	ट्रैक मशीन केंद्रीकृत आवधिक

जोनल रेलवे	जल अधिनियम के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया	खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया
	ओवरहालिंग, सूबेदारगंज, प्रयागराज जं	ओवरहालिंग, सूबेदारगंज, प्रयागराज जं
	इलेक्ट्रिक लोको शेड/कानपुर सेंट्रल	डीजल लोको शेड, झांसी
		इलेक्ट्रिक लोको शेड/कानपुर सेंट्रल
उपरे	सिग्नल वर्कशॉप, गोरखपुर	सिग्नल वर्कशॉप, गोरखपुर
	ब्रिज वर्कशॉप, गोरखपुर	ब्रिज वर्कशॉप, गोरखपुर
	डीईएमयू शेड, औंड़िहार	डीईएमयू शेड, औंड़िहार
पूसीरे		कैरिज एवं डब्ल्यू वर्कशॉप, न्यू बोंगाईगांव
	इंजीनियरिंग वर्कशॉप बोंगाईगांव	इंजीनियरिंग वर्कशॉप बोंगाईगांव
		डीजल लोको शेड, सिलीगुड़ी
	डीईएमयू शेड, सिलीगुड़ी	डीईएमयू शेड, सिलीगुड़ी
उपरे		लोको वर्कशॉप, अजमेर
	डीईएमयू शेड, मेड़ता रोड	डीईएमयू शेड, मेड़ता रोड
दरे		डीजल लोको शेड, इरोड
	इलेक्ट्रिक लोको शेड, अराकोणम	इलेक्ट्रिक लोको शेड, अराकोणम
	ईएमयू कार शेड, तांबरम	ईएमयू कार शेड, तांबरम
दमरे	एस और टी वर्कशॉप, मेट्टुगुडा	एस और टी वर्कशॉप, मेट्टुगुडा
	इंजीनियरिंग वर्कशॉप/लल्लागुडा	इंजीनियरिंग वर्कशॉप/लल्लागुडा
	ईएमयू कारशेड/मौला अली	ईएमयू कारशेड/मौला अली
दपूरे	एस और टी वर्कशॉप, खड़गपुर	एस और टी वर्कशॉप, खड़गपुर
	इंजीनियरिंग वर्कशॉप, सिनी	इंजीनियरिंग वर्कशॉप, सिनी
	इलेक्ट्रिक लोको शेड, संतरागाछी	इलेक्ट्रिक लोको शेड, संतरागाछी
	ईएमयू कार शेड, टिकियापाड़ा	ईएमयू कार शेड, टिकियापाड़ा
दपूमरे	इलेक्ट्रिक लोको शेड, भिलाई	इलेक्ट्रिक लोको शेड, भिलाई
	एमईएमयू शेड, भिलाई	एमईएमयू शेड, भिलाई

जोनल रेलवे	जल अधिनियम के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया	खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया
दपरे	एमईएमयू शेड, बेंगलोर केंट	एमईएमयू शेड, बेंगलोर केंट
परे	ईएमयू कार शेड, मुंबई सेंट्रल	ईएमयू कार शेड, मुंबई सेंट्रल
मेट्रो रेलवे	कार शेड, नोआपारा	कार शेड, नोआपारा
	कार शेड, कबी सुभासी	कार शेड, कबी सुभासी
	वर्कशॉप, नोआपारा	वर्कशॉप, नोआपारा
<b>कुल (ज़ोन/इकाई)</b>	<b>16/40</b>	<b>16/50</b>

स्रोत- वर्कशॉपों, लोको/कार शेड, उत्पादन इकाइयों और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 3.2

(पैरा 3.3 में संदर्भित)

जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन (एचडब्ल्यूएम) नियमों के तहत प्राधिकरण के नवीकरण में विलंब

जोनल रेलवे	यूनिट का नाम	जल अधिनियम के तहत नवीकरण में देरी		एचडब्ल्यूएम नियमों के तहत नवीनीकरण में देरी	
		काल	अवधि	काल	अवधि
मरे	इलेक्ट्रिक लोको वर्क्स (पीओएच) भुसावल	01.04.2017 से 31.03.2020	36 माह	01.04.2017 से 31.03.2020	36 माह
	लोको शेड/अजनी	01.04.2018 से 31.03.2020	24 माह	01.04.2018 से 31.03.2020	24 माह
पूरे	डीजल शेड, हावड़ा	01.06.2016 से 22.04.2018	22 माह	01.07.2017 से 31.03.2020	33 माह
	कैरिज और वैगन वर्कशॉप लुधियाना	01.01.2017 से 14.12.2017	12 माह	01.03.2016 से 03.07.2017	16 माह
उरे	डीजल लोको शेड, लुधियाना	21.10.2009 से 15.04.2016 01.04.2019 से 31.03.2020	78 माह और 12 माह		
उमरे	वैगन वर्कशॉप, झांसी	01.01.2017 से 26.12.2019	36 माह		
	डीजल लोको शेड, झांसी	01.01.2014 से 10.04.2019	63 माह		
उपूरे	इलेक्ट्रिक लोको शेड, गोंडा			01.01.2020 से 31.03.2020	03 माह
उपरे	लोको वर्कशॉप, अजमेर	01.03.2018 से 21.06.2018	03 माह		
	वर्कशॉप, जोधपुर	01.04.2018 से 21.05.2018	2 माह		
दरे	कैरिज और वैगन वर्कशॉप, पैराम्बुर	01.04.2015 से 31.03.2017	24 माह	01.04.2015 से 08.10.2018	42 माह
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्कशॉप, पोदनुरी	01.04.2015 से 31.03.2017	24 माह	01.04.2015 से 31.03.2020	60 माह
	इंजीनियरिंग वर्कशॉप, अरक्कोनम	01.04.2015 से 31.03.2016	12 माह		
	डीजल लोको शेड, इरोड	01.04.2015 से 31.03.2016	12 माह		
	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री,	01.04.2015 से	36 माह		

जोनल रेलवे	यूनिट का नाम	जल अधिनियम के तहत नवीकरण में देरी		एचडब्ल्यूएम नियमों के तहत नवीनीकरण में देरी	
		काल	अवधि	काल	अवधि
	पेरम्बूर (शैल)	31.03.2018			
	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरम्बूर (फर्निशिंग)	01.04.2015 से 31.03.2019	48 माह	10.04.2018 से 31.03.2020	24 माह
दपरे	रेल व्हील फैक्ट्री, येलहांका	01.07.2016 से 02.07.2017	12 माह		
	डीजल लोको शेड, कृष्णराजापुरम	01.07.2015 से 04.09.2015 और 01.07.2016 से 24.07.2017	02 माह और 12 माह		
परे	मेकेनिकल वर्कशॉप, लोवर परेल	01.01.2016 से 26.09.2017 और 01.01.2019 से 03.02.2020	21 माह और 13 माह		
	विद्युत लोको शेड, वड़ोदरा	28.03.2018 से 30.11.2018	08 माह		
आरपीयू और मेट्रो रेलवे	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन मुख्य ) (दुकान	01.04.2019 से 25.11.2019	07 माह	01.04.2015 से 31.03.2020	60 माह
	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (एलएयू/दानकुनी ) (शॉप	-	-	09.09.2016 से 12.11.2019	38 माह

स्रोत- वर्कशॉपों, लोको/कार शेड, उत्पादन इकाइयों और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 3.3

(पैरा 3.5 में संदर्भित)

वर्कशॉपों, शेड, उत्पादन इकाइयों, कोचिंग डिपो की जोन वार संख्या दिशाने वाला विवरण जहां खतरनाक अपशिष्ट के लिए आवश्यक फार्म नहीं रखे गए थे

जोनल रेलवे	कुल चयनित इकाई (कोचिंग डिपो सहित)	भंडारण, पुनः उपयोग/पुनर्चक्र, स्थानांतरण, बिक्री आदि के लिए अपशिष्ट के अभिलेखों के लिए फॉर्म-3 का रखखाव नहीं किया गया	निर्धारित तरीके से भंडारित और लेबल किए गए अपशिष्ट के लिए फॉर्म-8 का रखखाव नहीं किया गया	निर्धारित परिवहन आपातकालीन (टीआरईएम) कार्ड के लिए खतरनाक अपशिष्ट की प्रत्येक बिक्री / निर्गम के लिए फॉर्म-9 जारी नहीं किया गया	खतरनाक अपशिष्ट के प्रत्येक निर्गम (बिक्री) के लिए मेनिफेस्ट सिस्टम (फॉर्म 10) का पालन नहीं किया जा रहा है
मध्य रेलवे	8	6	4	6	4
पूर्वी रेलवे, कोलकाता	7	7	7	7	6
पूर्व मध्य रेलवे	8	7	6	8	8
पूर्व तटीय रेलवे	6	5	4	5	5
उत्तर रेलवे	17	16	14	16	15
उत्तर मध्य रेलवे	5	5	5	5	3
पूर्वोत्तर रेलवे	9	8	9	9	9
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	5	5	2	4	4
उत्तर पश्चिम रेलवे	7	7	7	7	6
दक्षिण रेलवे	10	10	8	10	8
दक्षिण मध्य रेलवे	11	9	7	6	5
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	5	3	4	5	6
दक्षिण पूर्व रेलवे	8	6	8	8	5
दक्षिण पश्चिम रेलवे	5	2	2	3	2
पश्चिम मध्य रेलवे	4	2	2	3	1

जोनल रेलवे	कुल चयनित इकाई (कोचिंग डिपो सहित)	भंडारण, पुनः उपयोग/पुनर्चक्र, स्थानांतरण, बिक्री आदि के लिए अपशिष्ट के अभिलेखों के लिए फॉर्म-3 का रखरखाव नहीं किया गया	निर्धारित तरीके से भंडारित और लेबल किए गए अपशिष्ट के लिए फॉर्म-8 का रखरखाव नहीं किया गया	निर्धारित परिवहन आपातकालीन (टीआरईएम) कार्ड के लिए खतरनाक अपशिष्ट की प्रत्येक बिक्री / निर्गम के लिए फॉर्म-9 जारी नहीं किया गया	खतरनाक अपशिष्ट के प्रत्येक निर्गम (बिक्री) के लिए मेनिफेस्ट सिस्टम (फॉर्म 10) का पालन नहीं किया जा रहा है
पश्चिम रेलवे	11	9	10	11	11
आरपीयू और मेट्रो रेलवे	5	3	3	4	3
<b>कुल (इकाइयां)</b>	<b>131</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>117</b>	<b>101</b>

स्रोत- वर्कशॉपों, लोको/कार शेड, उत्पादन इकाइयों, कोचिंग डिपो और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक-4.1

(पैरा सं. 4.5)

(क) ईआरडब्ल्यू फंड के तहत संस्वीकृत अपशिष्ट जल के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति

जोन ल रेलवे	समीक्षा अवधि के लिए वर्षवार विवरण	संस्वीकृत ईटीपी/एसटीपी की संख्या	संस्वीकृत ईटीपी/एसटीपी की लागत (₹ करोड़ में)	31.03.2020 तक पूर्ण की गई ईटीपी/एसटीपी की संख्या	संस्वीकृत डब्ल्यूआरपी की संख्या	संस्वीकृत डब्ल्यूआरपी की लागत (₹ करोड़ में)	31.03.2020 तक पूर्ण किए गए डब्ल्यूआरपी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
मरे	2019-20	7	13.97	0	2	2.00	0
पूरे	2019-20	3	1.39	2	1	0.50	1
पूमरे	2018-19	0	0.00	0	4	8.39	0
	2019-20	0	0.00	0	2	2.37	0
पूतरे	2017-18	6	2.72	5	3	2.86	2
	2018-19	4	0.73	0	0	0.00	0
	2019-20	6	2.09	0	0	0.00	0
उरे	2019-20	0	0.00	0	2	7.00	0
उमरे	2019-20	5	2.20	1	0	0.00	0
उपूरे	2016-17	0	0.00	0	3	4.80	0
	2017-18	0	0.00	0	2	2.53	1
	2018-19	0	0.00	0	1	1.40	0
	2019-20	0	0.00	0	1	1.46	0
उसीरे	2019-20	2	4.99	2	0	0.00	0
उपरे	2017-18	4	3.06	3	1	0.67	0
	2018-19	2	0.78	1	0	0.00	1
	2019-20	3	2.84	1	0	0.00	0
दरे	2017-18	1	0.27	1	0	0.00	0
	2018-19	1	0.08	1	1	2.30	0
	2019-20	0	0.00	0	7	2.76	0
दमरे	2018-19	0	0.00	0	0	0.00	0
	2019-20	6	17.20	1	2	0.93	0
दपूरे	2017-18	1	0.63	0	0	0.00	0
	2018-19	2	1.67	0	0	0.00	0
	2019-20	11	14.60	1	6	8.03	1

जोन ल रेलवे	समीक्षा अवधि के लिए वर्षवार विवरण	संस्वीकृत ईटीपी/ एसटीपी की संख्या	संस्वीकृत ईटीपी/ एसटीपी की लागत (₹ करोड़ में)	31.03.2020 तक पूर्ण की गई ईटीपी/एसटी पी की संख्या	संस्वीकृत डब्ल्यूआर पी की संख्या	संस्वीकृत डब्ल्यूआर पी की लागत (₹ करोड़ में)	31.03.2020 तक पूर्ण किए गए डब्ल्यूआरपी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
दपूमरे	2015-16	0	0	0	1	1.32	0
	2016-17	0	0	0	1	0.34	1
	2019-20	0	0	0	1	1.88	1
परे	2017-18	2	1.24	1	0	0.00	0
	2018-19	3	3.41	3	3	4.88	1
	2019-20	0	0.00	0	0	0.00	0
पमरे	2017-18	6	1.82	2	5	2.20	0
	2018-19	0	0.00	0	0	0.00	0
	2019-20	12	7.48	1	5	8.00	0
<b>कुल</b>		<b>87 (11 जोन)</b>	<b>83.17</b>	<b>26</b>	<b>54 (13 जोन)</b>	<b>66.62</b>	<b>9</b>

अनुलग्नक 4.1

(पैरा सं. 4.5)

(ख) ईआरडब्ल्यू निधि के तहत संस्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति

जोनल रेलवे	समीक्षा अवधि के लिए वर्षवार विवरण	वर्ष के दौरान अपशिष्ट के लिए कंपोस्ट प्लांट की नियोजित/संस्वीकृत संख्या	अपशिष्ट के लिए संस्वीकृत कंपोस्ट प्लांट की लागत (₹ करोड़ में)	अपशिष्ट के लिए 31.03.2020 तक पूर्ण किए गए कंपोस्ट प्लांट की संख्या	वर्ष के दौरान अपशिष्ट के लिए एनर्जी प्लांट को नियोजित/संस्वीकृत संख्या	अपशिष्ट के लिए संस्वीकृत एनर्जी प्लांट की लागत (₹ करोड़ में)	अपशिष्ट के लिए 31.03.2020 तक पूर्ण किए गए एनर्जी प्लांट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
मरे	2019-20	1	0.15	0	0	0	0
पूरे	2019-20	1	0.95	0	0	0.00	0
पूमरे	2018-19	0	0.00	0	1	1.02	0
	2019-20	5	0.08	0	1	0.92	0
पूतरे	2019-20	13	1.13	1	1	2.01	1
उमरे	2019-20	4	0.45	0	0	0.00	0
उपूरे	2018-19	12	0.05	12	0	0.00	0
उसीरे	2019-20	0	0.00	0	1	0.79	1
उपरे	2017-18	2	0.05	0	0	0.00	0
	2018-19	1	0.07	0	0	0.00	0
	2019-20	7	2.93	7	0	0.00	0
दरे	2018-19	1	1.18	0	1	0.17	0
	2019-20	6	4.50	1	0	0.00	0
दमरे	2019-20	3	0.15	1	0	0.00	0
दपूरे	2017-18	2	0.37	2	0	0.00	0
	2018-19	0	0.00	0	0	0.00	0
	2019-20	18	4.31	1	0	0.00	0
दपूमरे	2018-19	1	0.10	1	0	0	0
दपरे	2018-19	1	0.02	1	0	0	0
परे	2017-18	2	0.50	2	0	0.00	0
	2018-19	1	0.00	0	0	0.00	0
	2019-20	2	0.76	1	0	0.00	0
पमरे	2019-20	10	2.52	0	0	0.00	0
<b>कुल-</b>		<b>93 (14 जोन)</b>	<b>20.59</b>	<b>30</b>	<b>5 (04 जोन)</b>	<b>4.91</b>	<b>2</b>

स्रोत- जोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों के ईएनएचएम विंग के रिकॉर्ड

अनुलग्नक- 5.1

(पैरा सं. 5.1 का संदर्भ)

रेलवे अस्पतालों को बायो मेडिकल अपशिष्ट से निपटने के लिए प्राधिकरण प्राप्त नहीं दिखा बयान

जोनल रेलवे	रेलवे अस्पतालों का नाम	जोन पर ऐसे अस्पतालों की संख्या
मरे	डॉ बी आर अंबेडकर अस्पताल, भायखला, मुंबई	4
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, नागपुर	
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, इगतपुरी	
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, कुरुद्वारी	
पूरे	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, अंडाल	1
पूमरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, दानापुर	2
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गया	
उरे	सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, लखनऊ	1
उमरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, आगरा	2
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, कानपुर	
उपूरे	ललित नारायण मिश्रा रेलवे अस्पताल, गोरखपुर	4
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, वाराणसी	
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गौंडा	
	मेकेनिकल वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर	
पूसीरे	केंद्रीय अस्पताल, मालीगाँव	2
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, रंगिया	
दरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, गोल्डनरॉक	5
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, अराकोणम	
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, पोदनूर	
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, विल्लुपुरम	
	रेलवे अस्पताल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	
दमरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, नांदेद	2
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, पूर्ण	
दपूमरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, रायपुर	2
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, भिलाई मार्शलिंग यार्ड	
मेट्रो रेल	तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल, टॉलीगंज	1
कुल		26 (11 जोन)

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड।

अनुलग्नक- 5.2

(पैरा सं. 5.2 का संदर्भ)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संचालन के लिए प्राधिकरण में विलंब/अनिरंतरता

जोनल रेलवे	रेलवे अस्पतालों का नाम	विलंब/विच्छेदन की अवधि	अवधि
मरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, कल्याण	01.05.2015 31.03.2020	से 59 माह
पूरे	बी.आर. सिंह अस्पताल, सियालदाह	01.03.2016 29.01.2018	से 23 माह
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, हावड़ा	01.12.2016 24.06.2019	से 31 माह
	लिलुआह वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआहह	01.08.2018 29.08.2019	से 13 माह
उरे	केंद्रीय अस्पताल, नई दिल्ली	01.04.2017 31.03.2020	से 36 माह
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, मुरादाबाद	02.06.2019 31.03.2020	से 10 माह
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, अंबाला कैंट	01.04.2018 31.03.2020	से 24 माह
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, अमृतसर	01.04.2016 31.03.2020	से 48 माह
उमरे	केंद्रीय अस्पताल, प्रयागराज	01.01.2015 31.03.2020	से 63 माह
पूसीरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, डिब्रूगढ़ टाउन	01.04.2016 31.03.2020	से 48 माह
उपरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, बीकानेर	01.07.2015 13.02.2017	से 19 माह
दरे	रेलवे अस्पताल, पैराम्बुर	01.04.2017 31.03.2020	से 36 माह
दमरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, विजयवाड़ा	01.02.2017 31.03.2020	से 38 माह
	सीएच/लालागुड़ा	30.06.2014 31.03.2020	से 69 माह
दपूरे	डीवीजन रेलवे अस्पताल, खड़गपुर	01.04.2019 31.03.2020	से 12 माह
दपूमरे	केंद्रीय अस्पताल, बिलासपुर	06.10.2013	से 77 माह

जोनल रेलवे	रेलवे अस्पतालों का नाम	विलंब/विच्छेदन की अवधि	अवधि
		31.03.2020	
दपरे	केंद्रीय अस्पताल, हुबली	01.07.2017 07.01.2018	से 06 माह
परे	जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई सेंट्रल	01.01.2014 31.03.2020	से 75 माह
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, रतलाम	01.07.2016 31.03.2020	से 45 माह
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, राजकोट	01.04.2017 31.03.2020	से 36 माह
पमरे	केंद्रीय अस्पताल, जबलपुर	01.07.2017 31.03.2020	से 33 माह
	डीवीजन रेलवे अस्पताल, कोटा	01.02.2015 31.03.2020	से 62 माह
	सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, न्यू कटनी	20.07.2010 19.07.2019	से 108 माह
आरपीयू	कस्तूरबा गांधी अस्पताल, चित्तरंजन	01.01.2017 06.04.2017	से 03 माह

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड।

अनुलग्नक- 5.3

(पैरा नंबर 5.3 का संदर्भ)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संचालन के लिए अवसंचना का निर्माण

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	ऐसे अस्पताल जिनमें कोई अवसंचना का निर्माण नहीं किया गया	
		बीएमडब्ल्यू के भंडारण के लिए सुरक्षित कमरा	द्रव अपशिष्ट के उपचार के लिए ईटीपी/एसटीपी
सीआर	5	4 (डीआरडीएच/कल्याण, डीआरडीएच/नागपुर, एसडीएच/इगतपुरी और एसडीआरएच/कुरुदवाड़ी)	5 (सीएच / बायकुला, डीआरएच /कल्याण, डीआरएच /नागपुर, एसडीआरएच / इगतपुरी और एसडीआरएच / कुरुदवाड़ी)
ईआर	4	-	4 (सीएच/सियालदाह, डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/अंदत एवं वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआह)
पूमरे	4	4 (सेंट्रल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/पटना, डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया)	3 (डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया)
पूतरे	2	1 (डीआरएच /वाल्टेयर)	-
उरे	8	6 (एसएसएच/आरडीएसओ/एलकेओ, पीयूएच/आरबीएल, डीआरएच/मुरादाबाद, डीआरएच/अंबाला कैंट, एसडीआरएच/अमृतसर, एसडीआरएच/आनंद विहार)	5 डीआरएच/मुरादाबाद, डीआरएच/अंबाला कैंट, एसडीआरएच/अमृतसर, एसडीआरएच/आनंद विहार और वर्कशॉप अस्पताल सप/जगधारी))
उमरे	3	3 (सीएच/प्रयागराज, डीआरएच/आगरा और एसडीआरएच/कानपुर)	3 (सीएच/प्रयागराज, डीआरएच/आगरा और एसडीआरएच/कानपुर)
उपूरे	4	4 (ललित नारायण मिश्र अस्पताल/गोरखपुर, मेकेनिक वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर, एसडीआरएच/गोंडा और डीआरएच, वाराणसी)	4 (ललित नारायण मिश्र अस्पताल/गोरखपुर, डीआरएच/वाराणसी, एसडीआरएच/गोंडा और मेकेनिकल वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर)
पूसीरे	5	4 (डीआरडीएच/डिब्रूगढ़ टाउन, डीआरडीएच/कटिहार, एसडीआरएच/न्यू जलपाईगुड़ी एवं एसडीआरएच, रंगिया)	4 (डीआरडीएच/डिब्रूगढ़ टाउन, डीआरडीएच/कटिहार, एसडीआरएच/न्यू जलपाईगुड़ी और एसडीआरएच/रंगिया)
उपरे	4	4 (सीएच/जयपुर, डीआरएच/बीकानेर, एसडीआरएच/आबू रोड और एसडीआरएच/बांदीकुई)	4 (सीएच/जयपुर, डीआरएच/बीकानेर, एसडीआरएच/आबू रोड और एसडीआरएच/बांदीकुई)

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	ऐसे अस्पताल जिनमें कोई अवसंचना का निर्माण नहीं किया गया	
		बीएमडब्ल्यू के भंडारण के लिए सुरक्षित कमरा	द्रव अपशिष्ट के उपचार के लिए ईटीपी/एसटीपी
दरे	6	3 (डीआरएच/अराकोणम, एसडीआरएच/पोडनूर-एसडीआरएच/विल्लुपुरम)	4 (डीआरएच/गोल्डनरॉक, डीआरएच/अरकोणम, एसडीआरएच/पोडनूर, एसडीआरएच/विल्लुपुरम)
दमरे	5	-	2 (डीआरएच/नांदेद और एसडीआरएच/पूर्णा)
दपूरे	4	3 (डीआरएच/खड़गपुर, डीआरएच/आद्रा और एसडीआरएच/टाटा)	4 (सीएच/जीआरसी, डीआरएच/खड़गपुर, डीआरएच/आद्रा और एसडीआरएच/टाटा)
दपूमरे	3	3 (सीएच/बिलासपुर, डीआरएच/रायपुर और एसडीआरएच/भिलाई मार्शलिंग यार्ड)	3 (सीएच/बिलासपुर, डीआरएच/रायपुर और एसडीआरएच/भिलाई मार्शलिंग यार्ड)
दपरे	3	1 (डीआरएच /मैसूर)	1 (रेलवे अस्पताल / आरडब्ल्यूएफ)
पमरे	4	-	2 (एसडीआरएच/न्यू कटनी जं. और एसआरएच/गंगापुर सिटी)
परे	5	3 (डीआरडीएच/रतलाम, डीआरएच/राजकोट और एसडीआरएच/वलसाड)	3 (डीआरएच/राजकोट, एसडीआरएच/वलसाड एवं वर्कशॉप अस्पताल, दाहोद)
आरपीयू और मेट्रो आरली	3	3 (तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल/टॉलीगंज, सीएच/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी और केजी अस्पताल, चितरंजन)	3 (तपन सिन्हा अस्पताल/टॉलीगंज, सीएच/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी और केजी अस्पताल, चितरंजन)
<b>कुल</b>	<b>72</b>	<b>46 (14 जोन)</b>	<b>54 (16 जोन)</b>

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड

सीएच- सेंट्रल अस्पताल, पीयूएच- उत्पादन इकाई अस्पताल, एसएसएच- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डीआरएच- डीवीजन रेलवे अस्पताल, एसडीआरएच- सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल

अनुलग्नक-5.4

(पैरा 5.4 का संदर्भ)

भंडारण से पहले बीएमडब्ल्यू का पूर्व उपचार

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	पूर्व उपचार से बाहर नहीं किया गया:				
		प्रयोगशालाओं अपशिष्ट	सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट	रक्त के नमूने	ब्लड बैग	अन्य नैदानिक प्रयोगशालाएं बेकार
मरे	5	-	(1) एसडीआरएच / इगतपुरी	(1) एसडीआरएच/ इगतपुरी	(1) एसडीआरएच/ इगतपुरी	(1) एसडीआरएच/ इगतपुरी
पूरे	4	(4) बी.आर. सिंह अस्पताल / सियालदाह, डीआरएच / हावड़ा, एसडीआरएच / अंदल और वर्कशॉप अस्पताल / लिलुआह	(3) बीआर सिंह अस्पताल /सियालदाह, एसडीआरएच /अंदल और वर्कशॉप अस्पताल/लिलुआह	(4) बी.आर. सिंह अस्पताल / सियालदाह, डीआरएच / हावड़ा, एसडीआरएच / अंदल और वर्कशॉप अस्पताल / लिलुआह	(4) बी.आर. सिंह अस्पताल / सियालदाह, डीआरएच / हावड़ा, एसडीआरएच / अंडाल और वर्कशॉप अस्पताल / लिलुआह	(4) बी.आर. सिंह अस्पताल / सियालदाह, डीआरएच / हावड़ा, एसडीआरएच / अंदल और वर्कशॉप अस्पताल / लिलुआह
पूमरे	4	(3) डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच /गया	(3) डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच /गया	(3) डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया	(3) डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया	(3) डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया
उरे	8	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच / आनंद विहार	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच / आनंद विहार	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच/ आनंद विहार	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच/ आनंद विहार	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच/ आनंद विहार

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	पूर्व उपचार से बाहर नहीं किया गया:				
		प्रयोगशाला आं अपशिष्ट	सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट	रक्त के नमूने	ब्लड बैग	अन्य नैदानिक प्रयोगशालाएं बेकार
पूसीरे	5	-	-	-	(2) डीआरएच/कटिहार/एसडीआरएच/रंगिया	-
दपूमरे	3	(1) एसडीआरएच/भिलाई	-	(1) एसडीआरएच/भिलाई	(1) एसडीआरएच/भिलाई	(1) एसडीआरएच/भिलाई
दपरे	3	(3) सीएच/हुबली, डीआरएच/मैसूर और आरएच/आरड ब्ल्यूएफ	(3) सीएच/हुबली, डीआरएच/मैसूर और आरएच/आरड ब्ल्यूएफ	(3) सीएच/हुबली, डीआरएच/मैसूर और आरएच/आरड ब्ल्यूएफ	(3) सीएच/हुबली, डीआरएच/मैसूर और आरएच/आरड ब्ल्यूएफ	(3) सीएच/हुबली, डीआरएच/मैसूर और आरएच/आरड ब्ल्यूएफ
मेट्रो रेलवे	3	-	1 तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल टॉलीगंज	1 तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल टॉलीगंज	1 तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल टॉलीगंज	1 तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल टॉलीगंज
कुल (जोन/इकाइयां)	8/35	5/13	6/13	7/15	8/18	7/14

सीएच- सेंट्रल अस्पताल, पीयूएच- उत्पादन इकाई अस्पताल, एसएसएच- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डीआरएच- डीवीजन रेलवे अस्पताल, एसडीआरएच- सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड।

अनुलग्नक-5.5

(पैरा सं. 5.5 का संदर्भ)

तरल रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण और पूर्व-उपचार

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	तरल रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	जल अधिनियम के अनुसार तरल अपशिष्ट का उपचार नहीं किया गया
मरे	5	-	(1) एसडीआरएच/ इगतपुरी
पूरे	4	(3) बीआर सिंह अस्पताल /सियालदाह, एसडीआरएच/अंदल और वर्कशॉप अस्पताल/लिलुआह	(4) बीआर सिंह अस्पताल /सियालदाह, डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/आंदल एवं वर्कशॉप अस्पताल/लिलुआह
पूमरे	4	(4) सीएसएसएच/पटना, डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया	(3) डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर और एसडीआरएच/गया
उरे	8	5. डीआरएच/ मुरादाबाद, एसडीआरएच अमृतसर, एसडीआरएच, आनंद विहार, वर्कशॉप अस्पताल/जगधारी वर्कशॉप और डीआरएच, अंबाला कैंट।	(5) डीआरएच/ अंबाला कैंट, डीआरएच/ मुरादाबाद, एसडीआरएच/ आनंद विहार, वर्कशॉप अस्पताल/जगधारी और एसडीआरएच/ अमृतसर
उमरे	3	(3) सीएच/प्रयागराज, डीआरएच/आगरा और एसडीआरएच/कानपुर	(3) सीएच/ प्रयागराज, डीआरएच/ आगरा और एसडीआरएच/कानपुर
उपूरे	4	-	(1) डीआरएच/ वाराणसी
पूसीरे	5	(2) डीआरएच/कटिहार और एसडीआरएच/न्यू जलपाईगुड़ी	(2) डीआरएच/डिब्रूगढ़ टाउन एवं एसडीआरएच/रंगिया
उपरे	4	-	(1) एसडीआरएच/बांदीकुई
दरे	6	(1) आरएच/पैराम्बुर	(1) आरएच/पैराम्बुर
दमरे	5	(2) सीएच/लालागुड़ा, और डीएच/विजयवाड़ा	(3) डीआरएच/नांदेड़, एसडीआरएच/पूर्णा और डीआरएच/विजयवाड़ा
दपूरे	4	(1) सीएच /गार्डन रीच	(2) सीएच/गार्डन रीच एवं एसडीआरएच/टाटा
दपूमरे	3	(1) एसडीआरएच/भिलाई	(3) सीएच/बिलासपुर, डीआरएच/ रायपुर और एसडीआरएच/भिलाई

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	तरल रासायनिक अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया गया	जल अधिनियम के अनुसार तरल अपशिष्ट का उपचार नहीं किया गया
कुल (जोन/इकाइयां)	12/55	9/22	12/29

सीएच- सेंट्रल अस्पताल, पीयूएच- उत्पादन इकाई अस्पताल, एसएसएच- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डीआरएच- डीवीजन रेलवे अस्पताल, एसडीआरएच- उपडीवीजन रेलवे अस्पताल

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड।

अनुलग्नक-5.6

(पैरा सं. 5.6 का संदर्भ)

बीएमडब्ल्यू की उचित भंडारण सुविधा की स्थिति

जोनल रेलवे	चयनित इकाइयों की कुल संख्या	वह स्थान जहां बीएमडब्ल्यू का ढेर है, बाड़ नहीं थी	अनुपचारित बीएमडब्ल्यू 48 घंटे से अधिक संग्रहीत	बीएमडब्ल्यू के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर/बैग, ठीक से लेबल नहीं थे
मरे	5	1 (एसडीआरएच/इगतपुरी)	-	-
पूरे	4	-	3 (डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/अंदल और लिलुआह वर्कशॉप अस्पताल)	-
पूमरे	4	-	-	1 (एसडीआरएच/गया)
उमरे	3	-	1 (एसडीआरएच/कानपुर)	2 (सीएच /प्रयागराज और एसडीआरएच /कानपुर)
उपूरे	4	2 (ललित नारायण मिश्र अस्पताल, गोरखपुर और डीआरएच/ वाराणसी)	-	-
पूसीरे	5	1 (एसडीआरएच/रंगिया)	-	1 (एसडीआरएच/रंगिया)
दरे	6	1 (आरएच/पैराम्बुर)	-	1 (एसडीआरएच / पोडनूर)
दपूरे	4	-	-	1 (एसडीआरएच/टाटा)
दपूमरे	3	1 (डीआरडीएच/रायपुर)	-	-
परे	5	3 (डीआरडीएच/रतलाम, डीआरएच/राजकोट और एसडीआरएच/वलसाड)	3 (जेआरएच, मुंबई, डीआरएच/राजकोट और वर्कशॉप अस्पताल, दाहोद,)	-
<b>कुल (इकाई)</b>	<b>10/43</b>	<b>6/9</b>	<b>3/7</b>	<b>5/6</b>

सीएच- सेंट्रल अस्पताल, पीयूएच- उत्पादन इकाई अस्पताल, एसएसएच- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डीआरएच- डीवीजन रेलवे अस्पताल, एसडीआरएच- उपडीवीजन रेलवे अस्पताल  
स्रोत- अस्पतालों और संयुक्त निरीक्षण के रिकॉर्ड

अनुलग्नक-5.7

(पैरा सं. 5.7 का संदर्भ)

बीएमडब्ल्यू के निपटान के लिए बीएमडब्ल्यू नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न करना

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार लेबल नहीं थे	कंटेनरों की बार कोडिंग नहीं की गई	वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं कराया गया	कब्जाधारी द्वारा बीएमडब्ल्यू का समय पर संग्रह सुनिश्चित नहीं किया गया	कब्जाधारी को ऑपरेटर द्वारा उपचार सुविधा का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7
मरे	5	-	(4) सीएच/बायकुला, डीआरएच/कल्याण, एसडीआरएच/इगतपुरी और एसडीआरएच/कुरुदवारी	(4) सीएच/बायकुला, डीआरएच/कल्याण, एसडीआरएच/इगतपुरी और एसडीआरएच/कुरुदवारी	-	(2) सीएच/बायकुला और एसडीआरएच/इगतपुरी
पूरे	4	-	(1) वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआह	(4) सीएच/सियालदाह, डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/अंदल एवं वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआह	(3) डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/अंदल एवं वर्कशॉप हॉस्पिटल/लिलुआह	(4) सीएच/सियालदाह, डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/अंदल एवं वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआह
पूमरे	4	(1) एसडीआरएच/गया	(3) सीएसएसएच/पटन, डीआरएच/ दानापुर और एसडीआरएच/गया	(2) डीआरएच/दानापुर और एसडीआरएच/गया	(1) एसडीआरएच/गया	(2) सीएसएसएच/पटना और डीआरएच/सोनपुर

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार लेबल नहीं थे	कंटेनरों की बार कोडिंग नहीं की गई	वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं कराया गया	कब्जाधारी द्वारा बीएमडब्ल्यू का समय पर संग्रह सुनिश्चित नहीं किया गया	कब्जाधारी को ऑपरेटर द्वारा उपचार सुविधा का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7
उरे	8	-	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच/अना डांड विहार	(2) डीआरएच/ मुरादाबाद और एसडीआरएच/ आनंद विहार	-	(4) डीआरएच/मुरादा बाद, एसडीआरएच/ आदंन विहार, एसडीआरएच/ अमृतसर और पीयूएच/ रायबरेली
उमरे	3	(1) एसडीआरएच/ कानपुर	(2) सीएच/प्रयागराज और डीआरडीएच/आगरा	(2) डीआरडीएच/ आगरा और एसडीआरएच/ कानपुर	(1) एसडीआरएच/ कानपुर	-
उपूरे	4	-	(1) मैकेनिकल वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर	(1) मैकेनिकल वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर	-	(1) डीआरडीएच, वाराणसी
पूसीरे	5	(3) डीआरडीएच/डि ब्रूगढ़ टाउन, डीआरएच/ कटिहार और एसडीआरएच/ रंगिया	(5) सीएच/मालीगांव, डीआरडीएच/ डिब्रूगढ़ टाउन, डीआरएच/कटिहार, एसडीआरएच/ न्यू जलपाई और एसडीआरएच/ रंगिया	(5) सीएच/मालीगांव, डीआरडीएच/ डिब्रूगढ़ टाउन, डीआरएच/कटिहार, एसडीआरएच/ न्यू जलपाई और एसडीआरएच/ रंगिया	-	

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार लेबल नहीं थे	कंटेनरों की बार कोडिंग नहीं की गई	वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं कराया गया	कब्जाधारी द्वारा बीएमडब्ल्यू का समय पर संग्रह सुनिश्चित नहीं किया गया	कब्जाधारी को ऑपरेटर द्वारा उपचार सुविधा का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7
उपरे	4	-	(4) सीएच/जयपुर, डीआरएच/बीकानेर, एसडीआरएच/आबूरोड और एसडीआरएच/बांदीकुई	(4) सीएच/जयपुर, डीआरएच/बीकानेर, एसडीआरएच/आबूरोड और एसडीआरएच/बांदीकुई	-	(2) डीआरडीएच/बीकानेर, एसडीआरएच/आबूरोड
दरे	6	-	(4) सीएच/पैराम्बुर, रेलवे अस्पताल, एआईसीएफ, डीआरएच/अराकोणम और एसडीआरएच/विल्लुपुरम	-	-	-
दमरे	5	-	(2) सीएच/लालागुड़ा और डीआरएच/विजयवाड़ा	(2) सीएच/लालागुड़ा और डीआरएच/विजयवाड़ा	-	-
दपूरे	4	(01) एसडीआरएच/टाटा	(03) सीएच/गार्डन रीच, डीआरएच/खैरपुर और एसडीआरएच/टाटा	(03) सीएच/गार्डन रीच, डीआरएच/खैरपुर और एसडीआरएच/टाटा	-	--
दपूमरे	3	-	(3) सीएच/बिलासपुर डीआरएच/रायपुर और एसडीआरएच/भिलाई	(3) सीएच/बिलासपुर डीआरएच/रायपुर और एसडीआरएच/भिलाई	-	-

जोनल रेलवे	चयनित अस्पतालों की कुल संख्या	परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार लेबल नहीं थे	कंटेनरों की बार कोडिंग नहीं की गई	वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं कराया गया	कब्जाधारी द्वारा बीएमडब्ल्यू का समय पर संग्रह सुनिश्चित नहीं किया गया	कब्जाधारी को ऑपरेटर द्वारा उपचार सुविधा का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं थी
1	2	3	4	5	6	7
परे	5	-	(4) सीएच/मुंबई, डीआरएच/रतलाम, डीआरएच/राजकोट और एसडीआरएच/वलसाड	-	(2) डीआरएच/राजकोट और वर्कशॉप अस्पताल, दाहोद	-
पमरे	4	-	(3) डीआरएच/कोटा, एसडीआरएच/ न्यू कटनी जं.	(2) डीआरएच/कोटा, और एसडीआरएच/ गंगापूर सिटी	-	-
मेट्रो रेल	3	-	-	(1) तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल, टालीगंज	-	--
कुल (क्षेत्र/इकाई)	15/67	4/6	14/41	13/35	4/7	6/15

सीएच- सेंट्रल अस्पताल, पीयूएच- उत्पादन इकाई अस्पताल, एसएसएच- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डीआरएच- डीवीजन रेलवे अस्पताल, एसडीआरएच- सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड।

अनुलग्नक-5.8

(पैरा सं. 5.9 का सदंर्भ)

चयनित अस्पतालों द्वारा बीएमडब्ल्यू नियमों के तहत प्रस्तुत नहीं की गई वार्षिक रिपोर्ट

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	वह अवधि जिसके लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई
मरे	5	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल., भयखला, मुम्बई	-
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, कल्याण	2015-16, 2016-17, 2018-19 & 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, नागपुर	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, इगतपुरी	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, कुरुद्वारी	2015-16 से 2019-20
पूरे	4	बीआर. सिंह अस्पताल., सियालदही	-
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, हावड़ा	2016-17
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, अंदल	2015-16 से 2019-20
		लिलुआह वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआह	2016-17, 2018-19 & 2019-20
पूमरे	4	सेंट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, दानापुर	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, सोनपुर	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गया	2015-16 से 2019-20
पूतरे	2	केंद्रीय अस्पताल, भुबनेश्वर	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, वाल्टेयर	2015-16 से 2019-20
उरे	8	सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, आरडीएसओ, लखनऊ	2015-16 से 2019-20
		केंद्रीय अस्पताल, ई एवं पीआई, नई दिल्ली	-
		प्रोडक्शन यूनिट अस्पताल, एमसीएफ, रायबरेली	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, मुरादाबाद	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, अंबाला कैंट	-
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, एएनवीटी	-
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, अमृतसर	2015-16 से 2019-20
		वर्कशॉप अस्पताल, जगधारी	2015-16 से 2019-20

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	वह अवधि जिसके लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई
उमरे	3	केंद्रीय अस्पताल, प्रयागराज	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, आगरा	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, कानपुर	2015-16 से 2019-20
उपूरे	4	ललित नारायण मिश्रा रेलवे अस्पताल, गोरखपुर	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, वाराणसी	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गोंडा	2015-16 से 2019-20
		मेकेनिकल वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर	2015-16 से 2019-20
उपूसीरे	5	केंद्रीय अस्पताल, मालीगाँव	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, डिब्रूगढ़ टाउन	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, कटिहार	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, न्यू जलपाईगुड़ी	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, रंगिया	2015-16 से 2019-20
उपरे	4	केंद्रीय अस्पताल, जयपुर	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, बीकानेर	-
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, आबू रोड	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, बांदीकुई	2015-16, 2016-17, 2018-19 & 2019-20
दरे	6	रेलवे अस्पताल, पैराम्बुर	2015-16 से 2019-20
		रेलवे अस्पताल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	2016-17 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, गोल्डनरॉक	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, अराकोणम	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, पोदन्	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, विल्लुपुरम	2015-16 से 2019-20
दमरे	5	केंद्रीय अस्पताल, लालागुड़ा	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, विजयवाड़ा	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, नांदेद	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, पूर्णा	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, आरवाईपी वैगन वर्कशॉप अस्पताल, गुंदुपल्ली	2015-16 से 2019-20
दपूरे	4	केंद्रीय अस्पताल, गार्डन रीच	-

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	वह अवधि जिसके लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, खड़गपुर	-
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, आद्रा	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, टाटानगर	2015-16 से 2019-20
दपूमरे	3	केंद्रीय अस्पताल, बिलासपुर	2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, रायपुर	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, भिलाई मार्शलिंग यार्ड	2015-16 से 2019-20
दपरे	3	केंद्रीय अस्पताल, हुबली	-
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, मैसूर	2015-16, 2017-18 & 2018-19
		रेलवे अस्पताल, रेल व्हील फैक्ट्री, येलहांका	2015-16 & 2016-17
परे	5	जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई सेंट्रल	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, रतलाम	2015-16 से 2018-19
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, राजकोट	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, वलसाड	2015-16 से 2019-20
		वर्कशॉप अस्पताल, दाहोद	-
पमरे	4	केंद्रीय अस्पताल, जबलपुर	2015-16 से 2019-20
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, कोटा	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, न्यू कटनी जं.	2015-16 से 2019-20
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गंगापुर सिटी	2015-16 से 2019-20
आरपीयू और मेट्रो रेलवे	3	तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल, टॉलीगंज	2015-16 से 2019-20
		केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू, वाराणसी	2015-16 से 2019-20
		कस्तूरबा गांधी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू / चित्तरंजन	-

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड

अनुलग्नक-5.9

(पैरा सं. 5.11 का संदर्भ)

बीएमडब्ल्यू नियमों के तहत आवश्यक निगरानी तंत्र का गैर-अस्तित्व

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	क्या बीएमडब्ल्यू प्रबंधन समिति का गठन किया गया	यदि गठन किया गया है तो क्या न्यूनतम 2 बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं
मरे	5	डॉ बी आर अंबेडकर अस्पताल भायखला, मुंबई	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, कल्याण	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, नागपुर	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, इगतपुरी	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, कुरुद्वारी	नहीं	उ.न.
पूरे	4	बीआर. सिंह अस्पताल., सियालदाह	हां	हां
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, हावड़ा	हां	हां
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, अंदल	नहीं	उ.न.
		लिलुआह वर्कशॉप अस्पताल, लिलुआह	नहीं	उ.न.
पूमरे	4	सेंट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, दानापुर	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, सोनपुर	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गया	नहीं	उ.न.
पूतरे	2	केंद्रीय अस्पताल, भुबनेश्वर	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, वाल्टेयर	नहीं	उ.न.
उरे	8	सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, आरडीएसओ, लखनऊ	नहीं	उ.न.

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	क्या बीएमडब्ल्यू प्रबंधन समिति का गठन किया गया	यदि गठन किया गया है तो क्या न्यूनतम 2 बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं
		केंद्रीय अस्पताल, ई एवं पीआई, नई दिल्ली	हां	हां
		प्रोडक्शन यूनिट अस्पताल, एमसीएफ, रायबरेली	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, मुरादाबाद	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, अंबाला कैंट	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, एएनवीटी	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, अमृतसर	नहीं	उ.न.
		वर्कशॉप अस्पताल, जगधारी	नहीं	उ.न.
उमरे	3	केंद्रीय अस्पताल, प्रयागराज	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, आगरा	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, कानपुर	नहीं	उ.न.
उपूरे	4	ललित नारायण मिश्रा रेलवे अस्पताल, गोरखपुर	हां	हां
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, वाराणसी	हां	हां
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गोंडा	हां	हां
		मेकेनिकल वर्कशॉप अस्पताल, गोरखपुर	नहीं	उ.न.
पूसीरे	5	केंद्रीय अस्पताल, मालीगाँव	हां	नहीं
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, डिब्रूगढ़ टाउन	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, कटिहार	हां	हां
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, न्यू जलपाईगुड़ी	हां	नहीं
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, रंगिया	नहीं	उ.न.

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	क्या बीएमडब्ल्यू प्रबंधन समिति का गठन किया गया	यदि गठन किया गया है तो क्या न्यूनतम 2 बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं
उपरे	4	केंद्रीय अस्पताल, जयपुर	हां	नहीं
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, बीकानेर	हां	नहीं
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, आबू रोड	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, बांदीकुई	नहीं	उ.न.
दरे	6	रेलवे अस्पताल, पैरामबूद	नहीं	उ.न.
		रेलवे अस्पताल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, गोल्डनरॉक	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, अराकोणम	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, पोदनूर	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, विल्लुपुरम	नहीं	उ.न.
दमरे	5	केंद्रीय अस्पताल, लालागुड़ा	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, विजयवाड़ा	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, नांदेद	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, पूर्णा	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, आरवाईपी वैगन वर्कशॉप अस्पताल, गुंदुपल्ली	हां	नहीं
दपूरे	4	केंद्रीय अस्पताल, गार्डेनरीच	हां	हां
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, खड़गपुर	हां	हां
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, आद्रा	हां	हां
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, टाटानगर	नहीं	उ.न.

जोनल रेलवे	इकाइयों की संख्या	रेलवे अस्पतालों का नाम	क्या बीएमडब्ल्यू प्रबंधन समिति का गठन किया गया	यदि गठन किया गया है तो क्या न्यूनतम 2 बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं
दपूमरे	3	केंद्रीय अस्पताल, बिलासपुर	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, रायपुर	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, भिलाई मार्शलिंग यार्ड	नहीं	उ.न.
दपरे	3	केंद्रीय अस्पताल, हुबली	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, मैसूर	नहीं	उ.न.
		रेलवे अस्पताल, रेल व्हील फैक्ट्री, येलहांका	हां	नहीं
परे	5	जगजीवन राम अस्पताल, मुंबई सेंट्रल	हां	हां
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, रतलाम	नहीं	उ.न.
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, राजकोट	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, वलसाड	नहीं	उ.न.
		वर्कशॉप अस्पताल, दाहोद	हां	नहीं
पमरे	4	केंद्रीय अस्पताल, जबलपुर	हां	नहीं
		डीवीजन रेलवे अस्पताल, कोटा	नहीं	उ.न.
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, न्यू कटनी जं.	हां	नहीं
		सब-डीवीजन रेलवे अस्पताल, गंगापुर सिटी	नहीं	उ.न.
आरपीयू और मेट्रो रेलवे	3	तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल, टॉलीगंज	नहीं	उ.न.
		केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू, वाराणसी	नहीं	उ.न.
		कस्तूरबा गांधी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू/सीआरजे	नहीं	उ.न.
कुल (ज़ोन/इकाई)	17/72		हाँ -20/ नहीं 52	11

स्रोत- अस्पतालों के रिकॉर्ड/ उन - उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक-6.1

(पैरा सं. 6.2 में संदर्भित)

फॉर्म-2 में ई-अपशिष्ट के उत्पादन, भंडारण के अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने का विवरण।

जोन का नाम	वह इकाई जिसमें ई-अपशिष्ट का विवरण फॉर्म 2 में नहीं रखा गया	इकाई का नाम
1	2	3
मरे	(03) ईडीपी-02, पीआरएस-01	ईडीपी/मुख्यालय/छत्रपति शिवजी महाराज टर्मिनस, ईडीपी/मुंबई डिवीजन., पीआरएस/पुणे
पूरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	पीआरएस/हावड़ा, ईडीपी/मुख्यालय, ईडीपी/सियालदाह, ईडीपी/हावड़ा
पूमरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/हाजीपुर, ईडीपी/सोनपुर, ईडीपी/दानापुर पीआरएस/राजेंद्र नगर
पूतरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/भुवनेश्वर, ईडीपी/खुर्दा, ईडीपी/संबलपुर पीआरएस/विशाखापत्तनम
उरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/लखनऊ, ईडीपी/पटियाला, ईडीपी/मुख्यालय, पीआरएस/नई दिल्ली
उमरे	(04) ईडीपी-03 पीआरएस-01	ईडीपी/झांसी, ईडीपी/मुख्यालय, पीआरएस/आगरा, ईडीपी/आगरा
उपूरे	(03) ईडीपी-02, पीआरएस-01	ईडीपी/मुख्यालय, ईडीपी/लखनऊ, पीआरएस/मंडुआडीह
पूसीरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/मालीगांव, ईडीपी/लुमडिंग ईडीपी/अलीपुरद्वार पीआरएस/कटिहार
उपरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01,	पीआरएस/अजमेर, ईडीपी/बीकानेर, ईडीपी/जयपुर, ईडीपी/मुख्यालय
दरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	पीआरएस/चेन्नई, ईडीपी/मुख्यालय/चेन्नई, ईडीपी/चेन्नई, ईडीपी/पलक्कड़
दमरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/मुख्यालय/दमरे, ईडीपी/सिकंदराबाद, ईडीपी/विजयवाड़ा और पीआरएस/सिकंदराबाद,
दपूरे	(05) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/मुख्यालय, ईडीपी/खड़गपुर, ईडीपी/रांची, पीआरएस/रांची
दपूमरे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	पीआरएस/बिलासपुर, ईडीपी/मुख्यालय/बिलासपुर, ईडीपी/रायपुर, ईडीपी/नागपुर

जोन का नाम	वह इकाई जिसमें ई-अपशिष्ट का विवरण फॉर्म 2 में नहीं रखा गया	इकाई का नाम
1	2	3
दपरे	02) ईडीपी-01, पीआरएस-01	ईडीपी /हुबली पीआरएस/मैसूर
परे	(04) ईडीपी-03, पीआरएस-01	ईडीपी/मुख्यालय/चर्च गेट, ईडीपी/मुंबई सेंट्रल, ईडीपी/अहमदाबाद, पीआरएस/मुंबई सेंट्रल,
पमरे	(03) ईडीपी-02, पीआरएस-01	ईडीपी/जबलपुर, ईडीपी/कोटा और पीआरएस/ जबलपुर
आरपीयू और मेट्रो रेल	(03) ईडीपी-03	ईडीपी/मेट्रो, ईडीपी/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी, ईडीपी/सीएलडब्ल्यू/चितरंजन

स्रोत- स्टेशनों/डिवीजनों के रिकॉर्ड

## अनुलग्नक-6.2

(पैरा सं. 6.2 में संदर्भित)

फॉर्म 2 का रखरखाव न करने और स्क्रेप डिपो द्वारा फॉर्म 3 में रिटर्न जमा न करने और ई-अपशिष्ट के परिवहन के लिए मेनिफेस्ट सिस्टम का अनुपालन न करने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

जोन का नाम	स्क्रेप/स्टोर डिपो का नाम जहां फॉर्म 2 में ई-अपशिष्ट का डेटा का रखरखाव नहीं किया गया	फॉर्म 3 में जमा वार्षिक रिटर्न	अपनाए गए परिवहन के लिए मेनिफेस्ट सिस्टम
1	2	3	4
मरे	एसएमएम (जी)/करी रोड	नहीं	नहीं
पूरे	बेलूर स्क्रेप यार्ड	नहीं	हां
पूमरे	स्क्रेप डिपो/सोनपुर	नहीं	नहीं
पूतरे	स्क्रेप डिपो/मंचेश्वर	नहीं	नहीं
उरे	सामान्य स्क्रेप डिपो/शकूरबस्ती	नहीं	नहीं
उमरे	डिवीजनल स्क्रेप डिपो /झांसी	नहीं	नहीं
उपूरे	स्क्रेप डिपो/गोरखपुर	नहीं	नहीं
उसीरे	स्क्रेप डिपो/पांडु	नहीं	नहीं
दरे	जीएसडी/पैराम्बुर	नहीं	नहीं
उपरे	स्क्रेप यार्ड/ बीकानेर	नहीं	नहीं
दमरे	स्क्रेप डिपो/लालागुड़ा	नहीं	हां
दपूरे	डिवीजनल स्क्रेप डिपो/खड़गपुर	हां	नहीं
दपूमरे	जीएसडी/रायपुर	नहीं	नहीं
दपरे	जीएसडी/हुबली	नहीं	नहीं
परे	जीएसडी/महालक्ष्मी	नहीं	नहीं
पमरे	स्क्रेप डिपो/जबलपुर	नहीं	नहीं
मेट्रो रेल	स्क्रेप डिपो/नोपारा	नहीं	नहीं

स्रोत- स्टेशनों/डिवीजनों के रिकॉर्ड





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)